वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

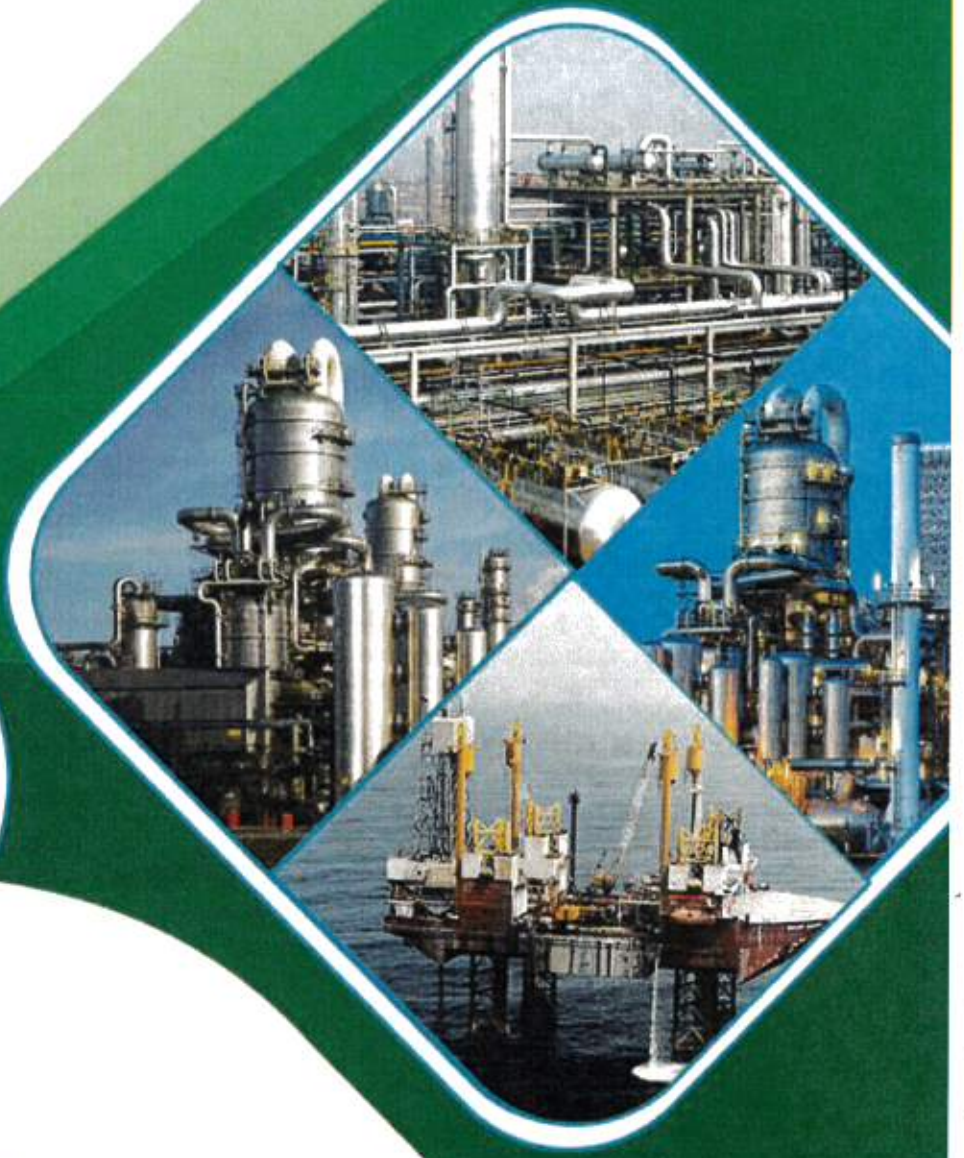

तेउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

बोर्ड के सदस्य	02
बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक	04
लक्ष्य एवं उद्देश्य	05
अध्याय 1	06
संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य	
अध्याय 2	10
वित्तीय सहायता : तेल कंपनियों को ऋण	
अध्याय 3	19
वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान	
अध्याय 4	37
वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान	
अध्याय 5	42
तेउविबो का उर्जा सुरक्षा में योगदान	
अध्याय 6	46
अन्य पहल / गतिविधियां	
अध्याय 7	53
वार्षिक लेखे 2018–19	
अध्याय 8	79
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट	
अध्याय 9	89
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे	
अध्याय 10	156
परिशिष्ट	

बोर्ड के सदस्य

(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

श्री कपिल देव त्रिपाठी,
(30.06.2018तक)
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

डा. एम एम कुट्टी,
(1.07.2018 से आगे)
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सदस्य

श्री पी राघवेन्द्र राव,
सचिव,
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(19.03.2018 से आगे)

श्री राजीव बंसल
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री प्रमोद कुमार दास
अपर सचिव
व्यय विभाग

श्री अतनु चक्रवर्ती,
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय
(31.05.2018 से आगे)

डा. वी.पी.जॉय,
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय
(04.07.2018 से आगे)

श्री अमर नाथ
संयुक्त सचिव (अंवेषण)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री संजीव सिंह
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री शशि शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री बी.सी. त्रिपाठी,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड

श्री डी. राजकुमार,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री एम. के. सुराणा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

डॉ0 एसएसवी रामकुमार,
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री प्रवेन्द्र कुमार
महा सचिव,
श्रमिक विकास परिषद,
इंडियन ऑयल बरौनी रिफाईनरी

सदस्य सचिव

श्री आशीष चटर्जी,
सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड
(13.11.2018 तक)

श्री दिवाकर नाथ मिश्रा
सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड
(14.11.2018 से आगे)

बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा–परीक्षक (रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	:	श्री आशीष चटर्जी (13.11.2018 तक) और श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (14.11.2018 से आगे)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	:	श्री अजय श्रीवास्तव (31.12.2018 तक) और श्री गौतम सैन (01.01.2019 से आगे)
बैंकर्स	i	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
	ii	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
	iii	कार्पोरेशन बैंक
	iv	इंडियन ओवरसीज बैंक
लेखा–परीक्षक		प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा–परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय		तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड़, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय		तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0. 2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं0		+91-0120-2594602 +91-0120-2594603
फैक्स		+91-0120&2594630
ई–मेल		facao.oidb@nic.in
वेब साइट		www.oidb.gov.in

तेल उद्योग विकास बोर्ड के लक्ष्य एवं उद्देश्य

» तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन।

» तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना।

» निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण और इक्विटी निवेश में सहायता देना :–

- √ भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
- √ कच्चे तेल के उत्पादन,संचालन,भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
- √ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;
- √ पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
- √ वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
- √ तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
- √ तेल उद्योग में लगे या तेल उद्योग में लगने वाले किसी भी क्षेत्र के अन्य कामों में लगे कर्मियों को भारत में या विदेशों में प्रशिक्षण तथा अन्य विहित उपायों के लिए।

अध्याय
01

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

1 प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था । तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए।
- इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग (विकास) निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए।
- इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

1.2. इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है।

2 संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(I) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(II) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे।

(III) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

(IV) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(V) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ड़) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है ।

2.4 तेल उद्योग विकास अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है ।

3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं। सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर निम्न दरों पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई/संशोधित की गई। एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल पर किसी प्रकार का उपकर प्रयोज्य नहीं है।

तिथि से प्रभावी	दर, प्रति टन
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फरवरी, 1983	300 रुपए
1 मार्च, 1987	600 रुपए
1 फरवरी, 1989	900 रुपए
1 मार्च, 2002	1800 रुपए
1 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए
1 मार्च, 2016	20 %यथा मूल्य

स्रोतः वित्त मंत्रालय

3.2 केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में अप्रैल 2012 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत अभिज्ञात 26 क्षेत्रों पर लागू 1800 रुपए प्रति टन उत्पाद शुल्क दर पर कच्चे तेल की उत्पाद शुल्क दर में 900 रुपए प्रति टन की छूट प्रदान की गई है।

3.3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

3.4 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो।

4 तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 वर्ष1974–75 में उपकर के रूप में उगाही गई 30.82 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2018–19 तक बढ़कर 207776.00 करोड़ रुपए हो गई। सरकार द्वारा कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर का वर्ष 1974–75 से वर्षवार विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

(रुपए करोड़ में)

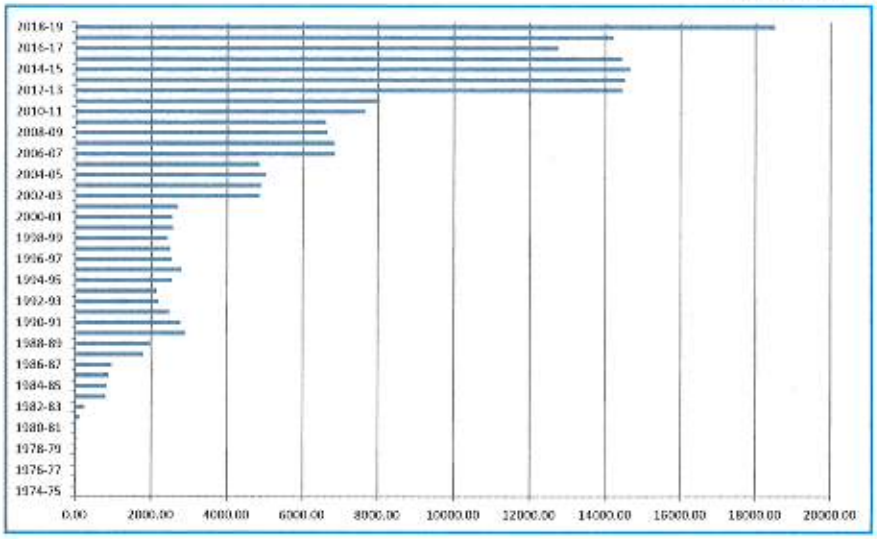

स्रोतः ओएनजीसी, ओआईएल तथा डीजीएच

4.2 केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्थापना के पश्चात से उपकर के रूप में दिनांक 31 मार्च 2019 तक अनुमानतः 207776.00 करोड़ रुपए अनुलग्नक की राशि एकत्र की है, तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। नीचे दिए गए ग्राफ में तेउविबो को दिए गए उपकर का वर्ष वार विवरण दिया गया है।

सरकार द्वारा तेउविबो को अंतरित उपकर

(रुपए करोड़ में)

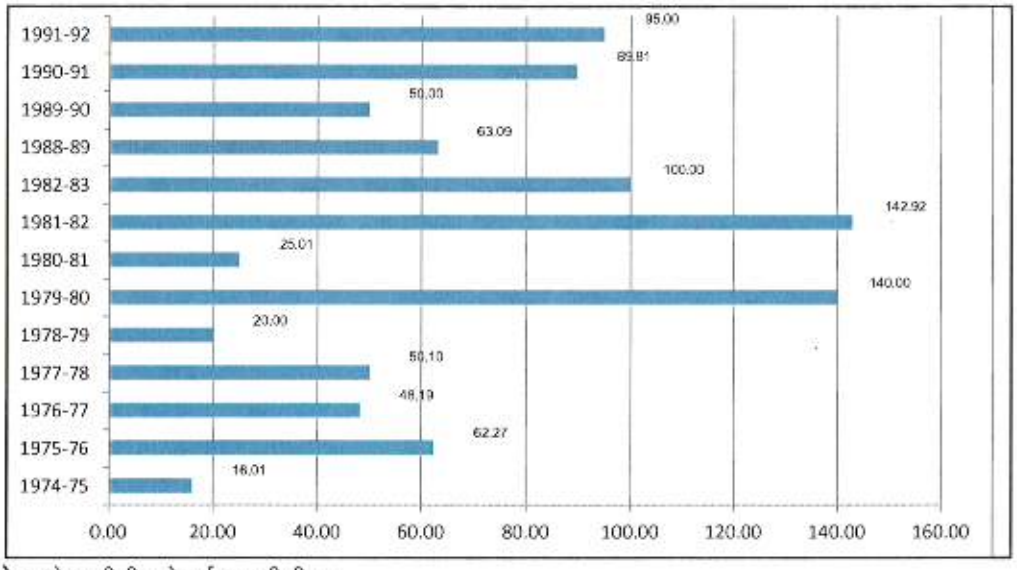

स्रोतः ओएनजीसी, ओआईएल, डीजीएच

4.3 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2019 तक तेल उद्योग विकास कोष में 11677.92 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं ।

अध्याय 02

वित्तीय सहायता – तेल कंपनियों को ऋण

1 तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 से ही तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। ऋण निधि का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों के स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों के गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वांइट मूरिंग परियोजनाओं और शहरी गैस वितरण आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

(रुपए करोड़ में)

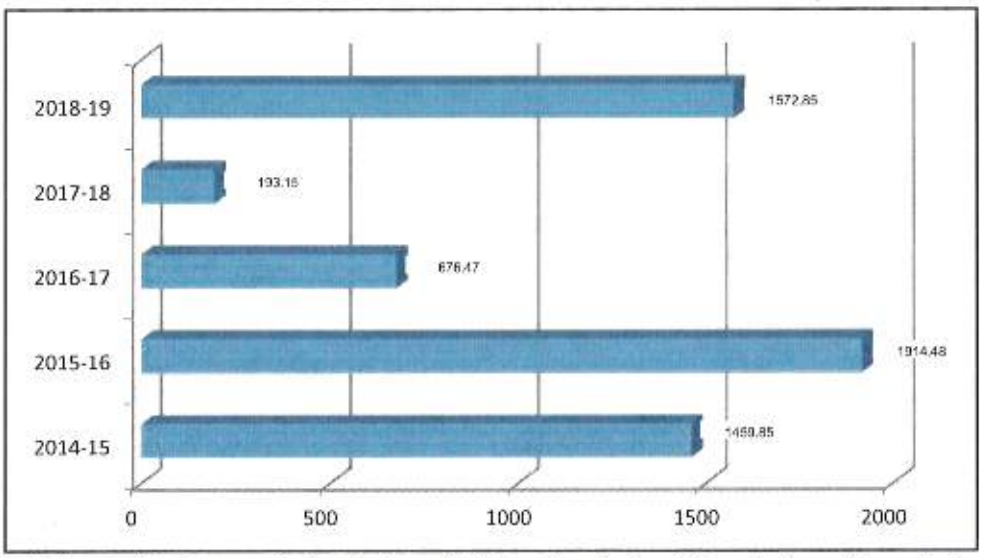

3. तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से पिछले पांच वर्षों में तेल क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

(रुपए करोड़ में)

क्र0 सं0	तेल संस्थानों के नाम	वित्तीय वर्ष					
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	5 वर्षों का कुल योग
1	आईओसीएल	420.00	711.25	-	-	-	1131.25
2	बीपीसीएल	907.50	744.25	346.00	-	500.00	2497.75
3	एचपीसीएल	120.00	124.75	-	-	600.00	844.75
4	बीसीपीएल	-	298.00	243.12	157.58	46.37	745.07
5	एमआरपीएल	-	-	-	-	268.00	268.00
6	गेल गैस लिमिटेड	12.35	24.23	87.35	35.57	36.66	196.16
7	सीपीसीएल	-	-	-	-	50.00	50.00
8.	बीको लॉरी लिमिटेड	-	12.00	-	-	71.77	83.77
	कुल	1459.85	1914.48	676.47	193.15	1572.80	5816.75

4. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), ब्रह्मपुत्र क्रेकर पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल), गेल गैस लिमिटेड, मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) और चैन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं। नीचे ग्राफ में वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान वितरित ऋण का संगठनवार विवरण दिया गया है।

वित्त वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक प्रतिशत में ऋण संवितरण के मुख्य लाभार्थी

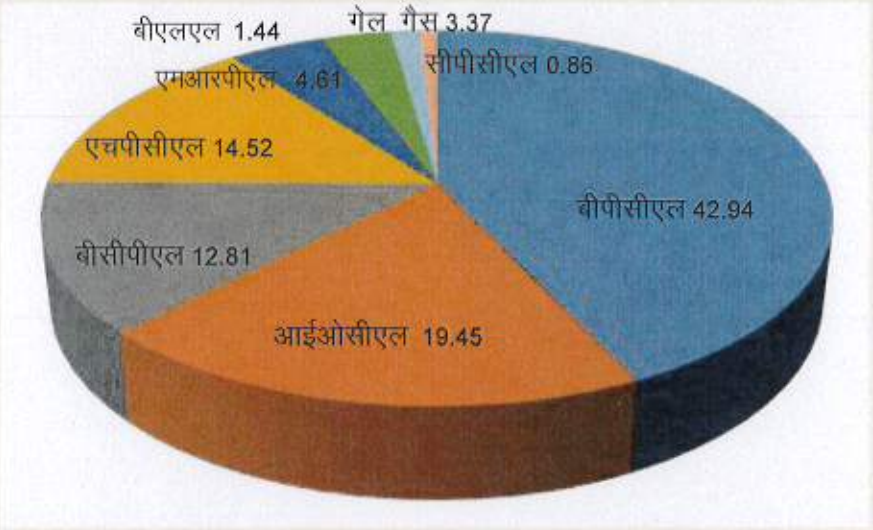

5. 31 मार्च 2019 तक, रूपये 4292.55 करोड़ रूपये का बकाया ऋण है। जिसका संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

क्रम स.	तेल संस्थानों के नाम	राशि
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	460.63
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	1358.50
3	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	692.37
4	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	1204.50
5	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	268.00
6	गेल गैस लिमिटेड	174.78
7	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50.00
8	बीको लॉरी लिमिटेड	83.77
	कुल	**4292.55**

6. वर्ष 2018–19 के दौरान वितरित ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं0	तेल संस्थानों के नाम	राशि
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	600.00
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	500.00
3	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	268.00
4	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	46.37
5	गेल गैस लिमिटेड	36.66
6	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50.00
7	बीको लॉरी लिमिटेड	71.77
	कुल	1572.80

7.0 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित पोषित परियोजनाएं

7.1 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक "नवरत्न" कंपनी है जो कच्चे तेल की रिफाइनिंग एवं पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करता है तथा दो रिफाइनरियों को परिचालित करता है जिसमें से एक मुंबई में और दूसरी विशाखापट्टनम में है। कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान निम्न परियोजनाओं के लिए ओआईडीबी से रूपये 600 करोड़ की आंशिक ऋण सहायता प्राप्त की है :

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी) : 400 करोड़ रुपये

वीआरएमपी में बीएस VI पेट्रोलियम उत्पाद (एमएस और एचएसडी) विनिर्देशों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया इकाई सुविधाएं स्थापित तथा आरंभ करना शामिल है और बॉटम्स अपग्रेडेशन यूनिट में जीरो फ्यूअल ऑयल (जनवरी 2020 से एमएआरपीओएल विनियमन प्रभावी करने हेतु) को सक्षम करना हैं। ऐसी सारी प्रकिया इकाइयां, पर्यावरणीय प्रदूषण अवरोधक इकाई तथा निगरानी सुविधाएं, एसिड गैस और सौर वाटर ऑफ गैस ट्रीटमेंट यूनिट, उच्च प्रभावी सल्फर रिकवरी यूनिट (एसआरयू) और एकीकृत इफ्युलैंट ट्रीटमेंट प्लांट (रिफाइनरी प्रयोग हेतु ट्रीटेड वाटर को अधिकतम रिसाइकल सक्षम करना) जैसी सुविधाओं के साथ पर्याप्त रूप से जुड़ी हुई हैं।

विशाख रिफाइनरी का नक्शा (टोपोग्राफी) एक "बाउल" क्षेत्र है। यह कार्यस्थल पार्श्व परिवर्तन के लिए काफी संवेदनशील है। अतः स्थानीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिफाइनरी से निकलने वाले गैसीय एवं द्रवीय पदार्थों के उत्सर्जन के लिए काफी कड़े मानदंड रखे हैं। इन सख्त पर्यावरणीय मानदंडो का पालन करने हेतु एचपीसीएल ने पर्यावरण संरक्षण इकाई और निगरानी सुविधाओं की स्थापना की हैं। विशाखापट्टनम के लिए सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानदंड (11.5 टन प्रतिदिन) देश में सबसे निम्नतम में से एक है।

राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा मोर्चे पर, इसका उल्लेख करना उचित होगा कि रेसीडयू अपग्रेडेशन फैसिलिटी (आरयूएफ) और फ्यूल कंवर्जन हाइड्रोक्रेकर (एफसीएचसीयू) से प्रमुखतया बीएस VI एमएस एवं एचएसडी बनाने हेतु लो वैल्यू इंटरमीडिएट स्ट्रीम से अनुमानित 5.8 एमएमटीपीए डिस्टिलेट निकाले जाते हैं। इस 5.8 एमएमटीपीए डिस्टिलेट को 7.7 एमएमटीपीए क्रुड से उत्पादित किया जा सकता है। इससे 158,000 बैरल प्रति दिन क्रुड ऑयल आयात की बचत से देश के आयात बिल में कमी आती है।

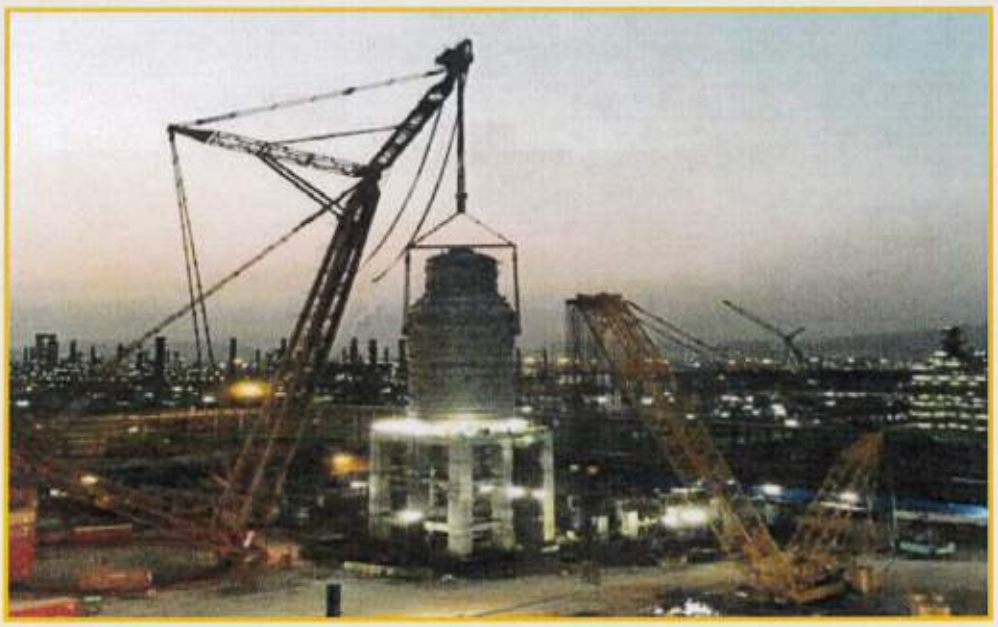

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी) फेज–1 : 200 करोड़ रुपये

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी) फेज–1 में भारत सरकार के निर्देशानुसार बीएस vi पेट्रोलियम उत्पाद (एमएस और एचएसडी) विनिर्देशों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया इकाई सुविधाएं स्थापित तथा आरंभ करना शामिल है। बीएस vi फ्यूल उत्पाद के अनुपालन के कारण पर्यावरणीय सुधार होगा।

7.2 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)

बीपीसीएल एक भारतीय उर्जा कंपनी है जो मुख्य रूप से डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम सेगमेंट में काम कर रही है , जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों का शोधन, वितरण और विपणन शामिल है। अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीपीआरएल के माध्यम से, बीपीसीएल अपस्ट्रीम परिचालन भी करता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन (ई एंड पी) शामिल है। बीपीसीएल के प्रमुख उत्पादों में पेट्रोलियम उत्पाद मोटर स्पिरिट (गैसोलीन), डीजल (गैस ऑयल), उन्नत मिटटी का तेल (एसकेओ), विमानन टरबाइन ईधन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), लुब्रिकेंट्रस, ईधन ऑयल, नाफ्था, बिटूमेन और सॉल्वैंट्स शामिल हैं। बीपीसीएल की वितरण अवसंरचना में संस्थापन, पाइपलाइन, डिपो, रिटेल आउटलेट, विमानन ईधन स्टेशन, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और ल्यूब सम्मिश्रण संयंत्र शामिल हैं। बीपीसीएल 12 एमएमटीपीए और 15.5 एमएमटीपीए की शोधन क्षमता वाली पश्चिमी मुंबई और दक्षिणी कोच्चि में स्थित दो रिफाइनरियों का स्वयं संचालन करती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, ओआईडीबी ने कोच्चि रिफाइनरी में बीसीपीएल को एमएम ब्लॉक परियोजना के लिए 828.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 500.00 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की है। शेष 328.25 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में जारी की जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी और एनजी) के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल, 2020 तक मोटर ईंधन के लिए बीएस VI विनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिफाइनरियों को अपग्रेड किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बीपीसीएल की कोच्चि रिफाइनरी मोटर स्पिरिट ब्लॉक (एमएस) परियोजना को लागू कर रही है। जिसमें रूपये 3,289 करोड़ की अनुमोदित परियोजना लागत पर 3 नई ईकाइयॉ, अर्थात नाफ्था हाइड्रो–ट्रीटर (एनएचटी), कॉन्टिनिवस कैटलिटिक रिफॉर्मर (सीसीआर) और आइसोमेरिजेशन यूनिट शामिल हैं। इस परियोजना के कार्यान्वयन के साथ, मोटर स्पिरिट (एमएस) बीएस vi विनिर्देशों को पूरा करेगा।

यह परियोजना भारत को दुनिया के करीब लाती है क्योंकि यूरोप में यूरो vi उत्सर्जन मानकों को 2014 से लागू किया गया है। इसके अलावा, चूंकि बीएस vi ईंधन में सल्फर की मात्रा कम होती है, इसलिए इससे so2 उत्सर्जन में कमी आती हैं। इससे पर्यावरण में पर्याप्त सुधार होगा, जिससे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में कमी आएगी। इसलिए एमएस ब्लॉक प्रोजेक्ट पर्यावरण सुधार परियोजना होने के साथ ही कार्यनीतिक रूप से राष्ट्रीय महत्व की भी परियोजना है। परियोजना ने 56 प्रतिशत की प्रगति कर ली है।

7.3 मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)

मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) (ओएनजीसी की एक सहायक कंपनी) एक मूलभूत पेट्रोलियम रिफाइनरी है और 15.00 एमएमटीपीए स्थापित शोधन क्षमता के साथ मैंगलोर (भारत के पश्चिमी तट पर), कर्नाटक राज्य के दक्षिणी में स्थित है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.02.2016 के प्रारूप की अधिसूचना के अनुसार, भारत को एमएस और एचएसपी के लिए बीएस VI की विशेषता को 01.04.2020 तक प्राप्त करना है। भारत में सभी रिफाइनरियों को इस विनिर्देश को 01.01.2020 तक पूरा करना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने जुलाई, 2019 तक सभी रिफाइनरियों को यांत्रिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए निर्देश दिये है। एमआरपीएल के विषय में बीएस VI में परिवर्तित करने के लिए कुल अनुमानित लागत रुपये 1,810 करोड़ है। कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (रुपये 452 करोड़) ओआईडीबी से ऋण सहायता के रूप में मिलेगा। वर्ष 2018–19 के दौरान, तेउविबो ने रुपये 268 करोड़ की ऋण सहायता और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 184 करोड़ रुपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की है।

7.4 ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल)

असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी), ऐतिहासिक असम समझौते का एक हिस्सा है जिसे लेपेटकटा, डिबरूगढ़, असम में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसमें एक क्रैकर यूनिट, डाउनस्ट्रीम पॉलिमर यूनिट और इंटीग्रेटेड ऑफसाइट और यूटीलिटी संयंत्र शामिल हैं। कॉम्प्लेक्स

में फीड स्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस और नेफ्था के साथ अन्य उप–उत्पादों सहित पॉलीइथलीन की 220,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) और पॉलीप्रोपलीन की 60,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) उत्पादन की क्षमता है। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसे भारत सरकार की पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त है तथा इसमें गेल, ऑयल, एन.आर.एल. और असम सरकार की इक्विटी है और ओआईडीबी तथा एसबीआई द्वारा ऋण प्रदान किया गया है।

यह संयंत्र 02.01.2016 को चालू किया गया था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 05.02.2016 को लेपेटकटा में एक भव्य समारोह में इसे राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया। इस परियोजना को 9,965 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित किया गया है।

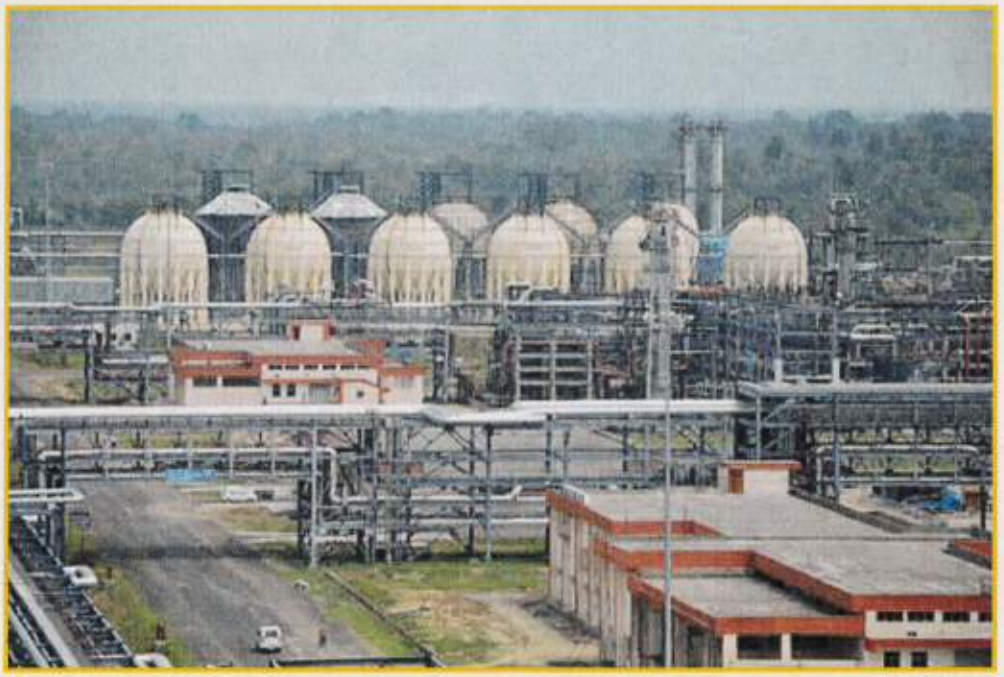

वर्ष 2018–19 के दौरान संयंत्र 107% की क्षमता उपयोग की तुलना में 2017–18 में 78% की क्षमता उपयोग पर चला था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में संयंत्र 100% से अधिक की क्षमता उपयोग पर चल रहा है। दक्षता पैरामीटर में भी सुधार हुआ है तथा बीसीपीएल ने लाइसेंसधारकों द्वारा निर्धारित डिजाइन पैरामीटरों को भी पीछे छोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कंपनी ने 69 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है।

यह संयंत्र पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल परिसर है एवं इस संयंत्र के कारण उक्त क्षेत्र में औद्योगिक जलवायु में एक सकारात्मक बदलाव आया है। इसके अलावा, बीसीपीएल के उत्पाद अब बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में सक्षम हुई है तथा बीसीपीएल के फलस्वरुप पूर्वोत्तर क्षेत्र में पॉलिमर की खपत में पर्याप्त वृद्धि भी हुई है। बीसीपीएल ने पड़ोसी देशों से अपनी भौगोलिक निकटता का लाभ उठाते हुए बांग्लादेश से निर्यात करना शुरु कर दिया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, ओआईडीबी ने 46.37 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण किया तथा उक्त राशि का उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में परियोजना की देयताओं को पूर्ण करने हेतु किया गया था। दिनांक 31.03.2019 तक, ओआईडीबी ने 1757.07 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया है तथा यह परियोजना का एक प्रमुख शेयरधारी है।

7.5 गेल गैस लिमिटेड

गेल गैस लिमिटेड, महारत्न गेल (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका गठन देश में विभिन्न शहरों में एकाग्र तरीके से सिटी गैस वितरण परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया गया। जिसे देवास जीए एंड रायसेन, शाजापुर और सीहोर जिले (मध्य प्रदेश) सोनीपत जीए (हरियाणा); मेरठ जीए, ताज ट्रेपेजियम जोन जीए और मिर्जापुर–चंदौली– और सोनभद्र जिला (उत्तर प्रदेश); बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जीए और दक्षिण कन्नड़ जिला (कर्नाटक); देहरादून जिला (उत्तराखंड); पुरी– गंजम– नयागढ़ जिला और सुंदरगढ़– झारसुगुड़ा जिले (ओडिशा); गिरिडीह– धनबाद जिला, सरायकेला–खरसावां जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला (झारखंड) में शहर गैस वितरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत किया है।

वर्षों से, कंपनी एक सतत और बेहतर कल का एहसास करने के उद्देश्य से बहु–परतों का विकास और विस्तार कर रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान शानदार प्रदर्शन और अच्छा विकास दिया है। वित्त वर्ष 2018–19 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (पीएटी) का मूल्य रुपये 80.94 करोड़ है, जबकि टर्नओवर रुपये 5330 करोड़ है। कंपनी ने अपने पाइप नेटवर्क (स्टील और एमडीपीई) का विस्तार किया है और इसके संचालन के शहरों में 2362 किलोमीटर का नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य घरेलू कनेक्शन के लिए अधिक क्षेत्रों को शामिल करना है।

वर्ष के दौरान, गेल गैस ने अपने सीएनजी बुनियादी ढांचे का विस्तार किया और 37 सीएनजी स्टेशनों को चालू किया, जिससे वर्ष आधार पर सीएनजी बिक्री में 40% वर्ष की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पीएनजी के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों की संख्या वित्त वर्ष 2018–19 में 706 है। घरेलू पीएनजी मोर्चे पर, कंपनी अपने अधिकृत शहरों में उत्तरोत्तर घरेलू ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। कंपनी के पास मार्च 2019 तक अधिकृत गैस में 3 लाख से अधिक घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। घरेलू सेगमेंट पैठ का विस्तार करने के लिए एक प्रोमोशनल स्कीम शुरू की गई थी। कंपनी ने अपने संभावित विकास क्षेत्रों में से एक के रूप में पीएनजी औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है।

गेल गैस लिमिटेड की बेंगलुरु सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं के लिए ओआईडीबी ने 2018–19 के दौरान रुपये 36.66 करोड़ का ऋण जारी किया है।

7.6 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), जिसे पूर्व में मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (एमआरएल) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1965 में 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की स्थापित क्षमता के साथ की गई थी। वर्तमान में, सीपीसीएल के पास 12.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की संयुक्त शोधन क्षमता वाली दो रिफाइनरी हैं। मनाली रिफाइनरी की क्षमता 11.1 एमएमटीपीए है और यह भारत में ईंधन, ल्यूब, वैक्स और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक उत्पादन सुविधाओं वाली सबसे जटिल रिफाइनरी में से एक है। कंपनी ने हाल ही में 3110 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय पर आरईएसआईडी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो कि भारी अपरिष्कृत को संसाधित करने की क्षमता बढ़ाने के अलावा तलछट से उच्च मूल्य के मध्य आसवनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। सीपीसीएल की दूसरी रिफाइनरी कावेरी बेसिन (सीबीआर) में नागपट्टीनम में स्थित है। इस यूनिट को 1993 में 0.5 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ स्थापित किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 1.0 एमएमटीपीए, कर दिया गया।

2018–19 के दौरान तेउविबो ने 50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता जारी की है, जो कि सीपीसीएल को पुनः गैसीकृत तरली प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण 100 करोड़ रुपये में से है। यह परियोजना उपयुक्त संशोधन प्राकृतिक गैस/आरएलएनजी को आंतरिक ईंधन की तरह उपयोग करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। ईंधन तेल/नेफ्था का आरएलएनजी में रूपांतरण के लिए 421 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

"SO2" उत्सर्जन के लिए पर्यावरणीय मानदंड, प्रमुख रिफाइनरी ईंधन तेल के रूप में एलएसएचएस के उपयोग से पूरा किया जाता है।

"SO2" उत्सर्जन का उपयोग नेफ्था का उपयोग हाइड्रोजन संयंत्रों में सुधारक फीड और ईंधन के रूप में तथा मौजूदा गैस टर्बाइन में ईंधन के रूप में कर के भी सीमित किया जाता है।

उत्सर्जन को कम करने के लिए, निम्नलिखित को आरएलएनजी परियोजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है:

क) नेफ्था के स्थान पर एनजी/एलएनजी के उपयोग के लिए 205 और 214 संयंत्रों का रूपांतरण

ख) आरएलएनजी के लिए जीटी का रूपांतरण

ग) एनजी/आरएलएनजी की प्राप्ति के लिए रिफाइनरी के भीतर एक गैस नेटवर्क स्थापित करना, बॉयलरों/हीटरों में अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग करना और जीटी, एचजीयू, आदि जैसे सभी उपभोक्ताओं की बैटरी सीमा तक नेटवर्क की स्थापना।

आरएलएनजी परियोजना के लाभों में शामिल हैं:

1. CO2 उत्सर्जन में कमी ~ 6500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष

2. तेल की खपत में कमी 2 मीट्रिक टन प्रति घंटे

- प्रक्रिया और उपयोगिता हीटर में : 30 प्रतिशत
- हाइड्रोजन उत्पादन : 25 प्रतिशत
- गैस टर्बाइन : 25 प्रतिशत

3. SO2 उत्सर्जन - शून्य (एफओ का उपयोग बंद करने से)

4. SO2 उत्सर्जन में कमी 5130 मीट्रिक टन प्रति वर्ष

7.7 बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल)

बीको लॉरी लिमिटेड, (बीएलएल) एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसका मुख्य व्यवसाय मध्यम वोल्टेज स्विचगियर का निर्माण और विपणन और इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीनरी की मरम्मत और ल्यूब के सम्मिश्रण और भराई गतिविधियां है, यह टर्नकी परियोजनाओं और इंजीनियरिंग परामर्शदाता के काम भी करती है। कंपनी पूरे भारत में अपने उत्पादों और सेवाओं का विपणन करती है। कंपनी के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न अवसरों पर कई प्रयास किए गए लेकिन सभी विफल रहे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विभिन्न प्रक्रियाओं के बावजूद, कंपनी लंबे समय तक निरंतर रूप से पुनर्जीवित नहीं हो सकी। कंपनी की चिरस्थाई रूग्णता और मंत्रालय द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद किसी भी स्थायी पुनरुद्धार न होने के परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 16.10.2018 द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को बंद करने के निर्णय को सूचित किया।

सीसीईए अनुमोदन के अनुसार, ओआईडीबी को मौजूदा कर्मचारियों के वीआरएस लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों के सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देनदारियों आदि को पूरा करने के लिए बीएलएल को रुपये 6.65 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना है। सीसीईए ने सारी लेनदारों और अन्य देनदारियों के भुगतान के लिए भारत सरकार ने 42.05 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, सीआईडीए के निर्णय के अनुसार ओआईडीबी ने बीएलएल को रुपये 71.77 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण जारी किया है।

अध्याय
03

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1. अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड अनुदान के रूप में तेल क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। इन अनुदानों में पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों जैसेकि – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को अनुदान शामिल है।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है। साथ ही तेउविबो विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की शिवसागर, असम और जियास, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं को अनुदान देता है।

3. वर्ष 1975–76 से 31.3.2019 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 3874.49 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 374.83 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 370.46 करोड़ रूपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

4. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

संस्थान	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	योग
डीजीएच	137.95	121.51	121.53	189.50	238.99	809.48
पीसीआरए	40.86	41.13	41.25	43.88	60.95	228.07
सीएचटी	10.38	19.59	19.82	32.12	20.58	102.49
पीपीएसी	14.83	17.77	20.82	21.34	23.96	98.72
ओआईएसडी	16.25	15.05	16.06	16.39	25.98	89.73
कुल	220.27	215.05	219.48	303.23	370.46	1328.49

5. पांच नियमित अनुदान प्राप्त संस्थानों को प्रदान किए गए अनुदान में 2017–18 की तुलना में 2018–19 में वृद्धि देखी गई है। 2018–19 के दौरान अनुदान की संरचना 2017–18 के लिए निम्नलिखित ग्राफ में दिखाई गई है:

2017-18

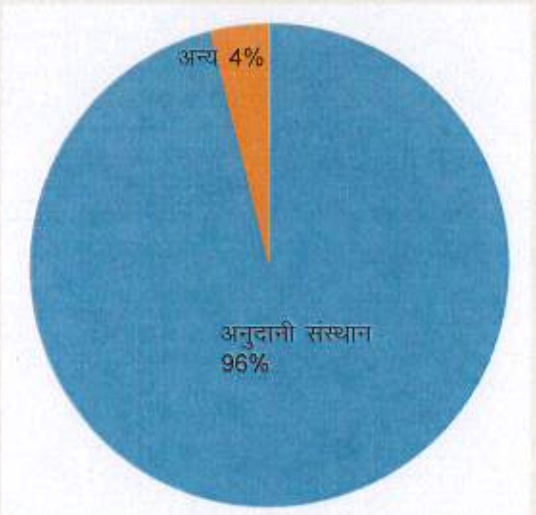

2018-19

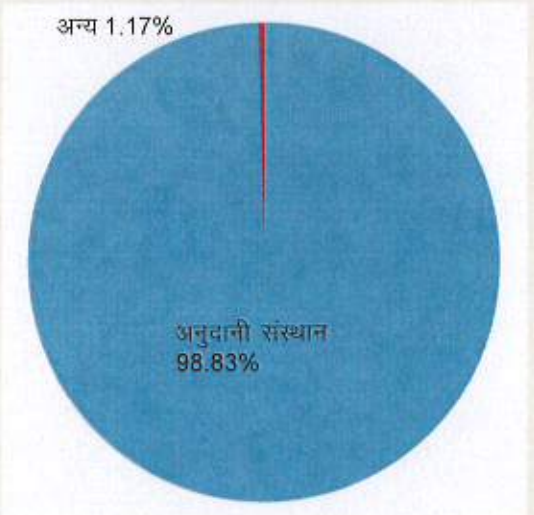

6.1 हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना 1993 में सरकारी संकल्प द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन की गई थी। डीजीएच की स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और पेट्रोलियम कार्यकलापों के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के बीच संतुलन कायम रखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के सुदृढ़ प्रबंधन को बढ़ावा देना है। डीजीएच को प्रमुख क्षेत्रों के आगार (रिजर्वायर) निष्पादन की समीक्षा करने सहित खोजे गए क्षेत्रों व अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन भागीदारी संविदाओं, अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहन देने, अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यकलापों की निगरानी से संबंधित कुछ अतिरिक्ति जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इसके अलावा, डीजीएच भावी खोज और अन्वेषण के लिए नए/गैर–अन्वेषित क्षेत्र खोजने संबंधी तथा गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों का विकास करने संबंधी कार्य कर रहा है।

डीजीएच 100% तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) द्वारा वित्त–पोषित है। वर्ष 2018–19 के दौरान, तेउविबो ने डीजीएच को 238.99 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया। वर्ष 2018–19 के दौरान डीजीएच द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप निष्पादित किए गए:

6.1.1 ओपन एकरिज लाइसेंस (ओ.ए.एल.पी.) कार्यक्रम

भारत सरकार ने 30 मार्च 2016 को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंस नीति (हेल्प) के लिए कैबिनेट द्वारा यथा अनुमोदित केंद्र सरकार की नीति अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह उल्लिखित है कि ब्लॉकों की नीलामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई.सी.बी.) के माध्यम से की जाएगी और डी.जी.एच. से इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। तदोपरांत, सचिवों की अधिकृत समिति (ई.सी.एस.) की बैठक 24 जून 2017 को आयोजित की गई जिसमें ई.सी.एस. ने मॉडल राजस्व भागीदारी संविदा, मॉडल सर्वेक्षण संविदा, ओपन एकरिज लाइसेंस (ओ.ए.एल.पी.) का प्रचालन और भावी बोली राउंड के लिए सूचना आमंत्रण प्रस्ताव के प्रारूप को अनुमोदित किया। ओ.ए.एल.पी. के छमाही चक्र के लिए प्रतिवर्ष 15 नवंबर और 15 मई की घोषणा की गई।

ओ.ए.एल.पी. की प्रक्रिया 01 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुई और 15 नवंबर 2017 तक प्राप्त सत्तावन (57) अभिरुचि की अभिव्यक्तियों (ई.ओ.आई.) में से पचपन (55) अभिरुचि की अभिव्यक्तियों को अनुमोदित किया गया। 11 जनवरी 2018 को हुई ई.सी.एस. की बैठक में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के लिए 55 ब्लॉकों को अनुमोदित किया गया है। ओ.ए.एल.पी. राउंड 18 जनवरी 2018 को शुरू किया गया जिसमें 10 अवसादी बेसिनों में 55 ब्लॉकों का प्रस्ताव रखा गया। इन 55 ब्लॉकों का कुल क्षेत्र 59,282 वर्ग किलोमीटर बेसिनों में फैला हुआ है और 55 ब्लॉकों का क्षेत्र अन्वेषण और उत्पादन के लिए 46 भूमि पर (ऑनलैंड), 8 उथले पानी और 1 गहरे पानी वाले क्षेत्र हैं।

इस बोली राउंड में कुल 110 ऑनलाइन बोलियाँ प्राप्त हुई थीं जिसमें 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और 59 भारतीय निजी कंपनियों से थीं। इनमें से 92 बोलियाँ तटीय ब्लॉकों के लिए और 18 अपतटीय ब्लॉकों की थीं जिसका औसत 2 बोली प्रति ब्लॉक है। सभी 55 ब्लॉकों के राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससी) पर 01 अक्टूबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 13 अवसादी बेसिनों में 7 जनवरी 2019 तथा 10 फरवरी 2019 को 37 ब्लाकों (14 ओ.ए.एल.पी–II तथा 24 ओ.ए.एल.पी–III) के अंतर्गत ओ.ए.एल.पी–II तथा ओ.ए.एल.पी–III बोली राउंड के अंतर्गत आरंभ किया। अन्वेषण तथा उत्पादन हेतु कुल 37 ब्लॉकों का क्षेत्रफल 60,955 वर्ग कि.मी. के बेसिन जमीनी, उथले तथा गहरे जल के हैं। ऑफर किए गए कुल 37 ब्लॉकों में से 27 जमीनी, 8 उथले जल तथा 2 गहरे जल के हैं।

6.1.2 नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का कार्यान्वयन (एनईएलपी)

अब तक, एनईएलपी के 9 चरण (राउंड) संपन्न हो चुके हैं तथा अन्वेषण और उत्पादन के लिए 254 ब्लॉक सौंपे गए हैं। ये तटीय (111), उथले जल (62) और गहरे जल(81) ब्लॉक से हैं। 254 ब्लॉकों में से वर्तमान में 50 ब्लॉक परिचालन कर रहे हैं, 6 अन्वेषण ब्लॉकों में पीईएल (पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस) की प्रतीक्षा है और 156 ब्लॉकों को वापस ले लिया गया है तथा अन्य 42 ब्लॉकों को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है ।

वर्ष 2018–19 के दौरान, एनईएलपी के अंतर्गत 7 ब्लॉकों में 3 तेल तथा 6 गैस खोजें की गई हैं । एनईएलपी के अंतर्गत 59 ब्लॉकों में कुल 171 तेल और गैस खोजें की गई हैं । वर्तमान में, कुल 39 एनईएलपी खोजें विकास की राह पर हैं और 30 एनईएलपी खोजों से उत्पादन हो रहा है शेष 102 खोजें विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

6.1.3 उत्पादन भागीदारी संविदाओं की निगरानी :

भारत सरकार ने खोजे गए क्षेत्रों, 33 सीबीएम ब्लॉकों, एनईएलपी–पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत 28 अन्वेषण ब्लॉकों तथा एनईएलपी व्यवस्था के अंतर्गत 254 ब्लॉकों की 28 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। डीजीएच प्रत्येक ब्लॉक/क्षेत्र के लिए स्थापित प्रबंधन समितियों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से इन उत्पादन भागीदारी संविदाओं के प्रबंधन के निष्पादन की निगरानी करता है। इसमें वार्षिक कार्यक्रम, परियोजना निगरानी, भंडार और उत्पादन प्रोफाइल की बारीकी से समीक्षा और विकास योजना, बजट और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा और अनुमोदन भी शामिल है ।

वर्ष 2018–19 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रों/ब्लॉकों ने 9.87 एमएमटी तेल, 4.77 बीसीएम प्राकृतिक गैस और 0.71 बीसीएम सी.बी.एम. गैस का उत्पादन किया है।

6.1.4 भौमिकीय डेटा अधिग्रहण

क. भारतीय अवसादी बेसिनों में हाइड्रोकार्बन के लिए भौमिकीय डेटा जेनरेट करने की नीतिः

भूकंपीय सर्वेक्षण एक महंगी प्रक्रिया है – विशेषतः अपतटीय क्षेत्रों में गैर–अपवर्जक (नॉन एक्सक्लूसिव) बहु–ग्राहकीय भौमिकीय सर्वेक्षण, एक विशिष्ट व्यवसाय योजना है जिसमें सरकार पर बिना किसी वित्तीय भार के क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। बहु–ग्राहकीय भौमिकीय डेटा अधिग्रहण नीति के अंतर्गत पश्चिमी तटीय – कच्छ, सौराष्ट्र और मुंबई बेसिनों में सी.एस.ई.एम. का 310.5 एलकेएम डेटा प्राप्त और प्रोसेस किया गया है।

ख. भूमि (ऑनलैंड) पर भारतीय अवसादी बेसिनों के "मूल्यांकित किए जाने वाले क्षेत्रों" में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण :

ओएनजीसी और ऑयल को राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत 2डी भूकंपीय डेटा अधिग्रहण का कार्य सौंपा गया है। ऑयल ने भारत के उत्तर–पश्चिम भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में डेटा अधिग्रहण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और वित्त वर्ष 2018–19 में नागालैंड को छोड़कर शेष राज्यों से 2216.22 एलकेएम भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण कर लिया है। ओएनजीसी द्वारा सौराष्ट्र, कैम्बे, राजस्थान कच्छ, महानदी बंगाल, डेकन सिंक्लाइस नार्थ, विंध्यान नर्मदा क्षेत्रों में 12664.9 एलकेएम भूकंपीय डेटा अधिग्रहित किया है। अन्य क्षेत्रों में भी अधिग्रहण का कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है।

6.1.5 क्षेत्र विकास, आगार और उत्पादन संबंधी निगरानी

उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससी) की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी की गई और आगार (रिजर्वायर) निष्पादन निगरानी के संदर्भ में अन्वेषण ब्लॉकों में कार्यकलापों, खोज की समीक्षा, संभावित वाणिज्यिक हित, वाणिज्यत्व की घोषणा और क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) आदि संबंधी कार्यकलाप भी किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, पीएससी और आरएससी व्यवस्था के अंतर्गत 4 डीओसी तथा 12 एफडीपी को अनुमोदित किया गया।

6.1.6 राष्ट्रीय डेटा रेपॉजिटरी (एनडीआर) :

(i) एनडीआर परियोजना का संचालन चरण 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें 2डी भूकंपीय डेटा एवं 3डी भूकंपीय डेटा तथा कूपों के तकनीकी डेटा दर्ज किए जा रहे हैं।

(ii) दिनांक 31.03.2018 तक, कुल 20.8 लाख एलकेएम 2डी भूकंपीय डेटा और 7.3 लाख एसकेएम 3डी भूकंपीय डेटा तथा 16316 कूपों के डेटा को एनडीआर में दर्ज किया गया है ।

(iii) एसडीसी (सुरक्षित डेटा केन्द्र) को भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया गया है।

6.1.7 राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी):

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और तकनीकी रूप से समन्वयन का कार्य हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 में किए गए अभियान–1 के अंतर्गत 21 स्थलों पर 49 वेधन किए गए और कृष्णा गोदावरी, महानदी

और अंडमान में गैस हाइड्रेटस की प्रत्यक्ष मौजूदगी दर्ज की गई किन्तु वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकी से उनका संदोहन नहीं किया जा सका। 28 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुए अभियान–2 के अंतर्गत 25 स्थलों में 42 वेधन किए गए। कृष्णा गोदावरी बेसिन में 2 सुस्पष्ट गैस हाइड्रेट धारित रेत आगार क्षेत्र 'बी' और 'सी' तथा क्षेत्र 'ए', जिसमें सीमित सांद्रता युक्त गैस हाइड्रेट संचयन संरचना वाले रेत बहुल जमा प्रणालियों की पहचान की गई। क्षेत्र 'ई" के वेधित कूपों में विभंग/विस्थापन और रंध्र –भरे हुए गैस हाइड्रेट के संकेत मिले

एनजीएचपी अभियान–2 के परिणाम उत्साहवर्धक हैं और समुद्री तल और कूप वेधन स्थिरता के लिए संसाधनों की संभाविता के मूल्यांकन, आगार–विशिष्टताओं, आगार–चित्रण और भू–गैकेनिकल मॉडलिंग परीक्षण के लिए प्रायोगिक (पायलट) उत्पादन हेतु स्थलों की पहचान के लिए और अधिक अध्ययन किये जाने की योजना बनाई गई है। केजी गहरे अपतटीय क्षेत्र 'बी और सी' गैस हाइड्रेट संचयन एनजीएचपी अभियान–3 के तहत गैस हाइड्रेट उत्पादन परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थल हो सकते हैं। गैस–हाइड्रेट से गैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है और विश्व भर में यह अनुसंधान एवं विकास स्तर पर है। भारतीय अपतट क्षेत्र में गैस हाइड्रेटस संदोहन संबंधी प्रौद्योगिकी की जाँच एवं इसके वाणिज्यिकता के मूल्यांकन के लिए एनजीएचपी अभियान –3 की योजना और कार्यान्वयन का कार्य किया जा रहा है।

इस समय, सभी डेटा का मुख्यतः संयोजन तथा प्रतिपादन प्रायोगिक (पायलट) उत्पादन परीक्षण के लिए स्थलों की पहचान के लिए किया जा रहा है। एनजीएचपी अभियान–3 का उद्देश्य एनजीएचपी अभियान–2 के दौरान पहचान किए गए उपयुक्त स्थल पर प्रायोगिक उत्पादन परीक्षण करना है। गैस हाइड्रेटस के संसाधन के मूल्यांकन की योजना एनजीएचपी के सदस्य संगठनों द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से बनाई गई है। प्रायोगिक (पायलट) उत्पादन जाँच करने से पहले उत्पादन प्रौद्योगिकी को प्रमाणित किया जाना है। प्रायोगिक उत्पादन परीक्षण की योजना और निष्पादन और भारतीय अपतट में गैस हाइड्रेटस संदोहन वाणिज्यिकता मूल्यांकन के लिए सदस्य संगठन ऐसी साध्य उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं जो गैस हाइड्रेट निष्कर्षण में सहायक हो।

6.1.8 कोल बेड मीथेन (सीबीएम) :

सीबीएम का उत्पादन लगभग 1.95 एमएमएससीएमडी है जो वित्त वर्ष 2018–19 में देश के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत है । देश में सीबीएम उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सीबीएम नीति के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए दिनांक 11.04.2017 को एक सीबीएम नीति अधिसूचित की गई है। इस नीति में सीबीएम संविदाकारों को विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि देश में सीबीएम उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिल सके । नीति का मूल उद्देश्य "व्यापार करने में आसानी" और "अधिकतम सुशासन और न्यूनतम नियंत्रण" को बढ़ावा देना है ताकि कड़े संविदा प्रावधानों में छूट देकर सीबीएम के ईएंडपी में आगे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दिया जा सके।

6.1.9 खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड :

खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) की नीति का निर्माण गैर–मुद्रीकृत/नामांकन और पीएससी क्षेत्रों की खोज के परित्याग के लिए किया गया। अभी तक दो खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड किए गए, जिसकी अवस्थिति निम्मानुसार है :

खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड –2016

खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड –2016 के अंतर्गत तीस (30) संविदा क्षेत्रों (23 तट और 7 उथले अपतट) के लिए 30 राजस्व भागीदारी संविदाओं (आरएससी) पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें नामांकन क्षेत्र की 43 गैर–मुद्रीकृत खोजें थीं। तटीय संविदा क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में फैला है और अपतटीय संविदा क्षेत्र मुंबई, केजी और कच्छ अपतट पर हैं। 30 संविदा क्षेत्रों में से 24 संविदा क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से पेट्रोलियम खनन पट्टे (पीएमएल) प्राप्त हुए हैं और राजस्व भागीदारी संविदा के अनुसार अभी तक सभी दायित्वों का निर्वहन किया गया है। 03 संविदाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक प्रबंधन समिति ने 14 संविदा क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विकास योजना बनाई है जिससे 26.28 एमएमटी तेल + तेल समकक्ष गैस के सस्थाने भंडार का मुद्रीकरण होगा। इन संविदा क्षेत्रों से तेल और

गैस का उत्पादन वित्त वर्ष 2019–20 से प्रारंभ होने का अनुमान है, बशर्ते अपेक्षित विभिन्न सांविधिक समाशोधन (क्लीयरेंस) प्राप्त हो।

खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड–II

खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड–II के अंतर्गत दिनांक 07.03.2019 को 23 संविदा क्षेत्र (14 तटीय और 9 उथले अपतटीय) प्रदान किए गए जिसमें नामित क्षेत्र और पीएससी क्षेत्र के 57 गैर–मुद्रीकृत खोजें (लगभग 190 एमएमटी+ओईजी) सस्थाने हाइड्रोकार्बन शामिल हैं। तटीय क्षेत्र असम, त्रिपुरा, गुजरात, आंध्रप्रदेश और अपतटीय क्षेत्र मुंबई, केजी अपतटीय और बंगाल–पूर्णिया बेसिन/महानदी अपतटीय क्षेत्र में फैले हुए हैं । वर्तमान में, प्रचालक (ऑपरेटर) केंद्र संबंधित राज्य सरकारों से पेट्रोलियम खनन लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। प्रचालकों ने उथले तटीय क्षेत्र के लिए 17 संविदा क्षेत्रों के पीएमएल स्थानांतरण/प्रदान संबंधी आवेदन पत्र केंद्र/संबंधित राज्य सरकारों को दिए हैं।

6.1.10 राष्ट्रीय कोर रेपॉजिटरी (एनसीआर) की स्थापना का प्रस्ताव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.08.2017 के आदेश के तहत निम्नलिखित के लिए सैद्धांतिक रूप से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्रदान किया है :–

क. गांधीनगर, गुजरात में एनसीआर स्थापित करना
ख. राष्ट्रीय तेल कंपनियों की मुख्य कोर प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संपदा घोषित करना
ग. ऐसी सभी प्रयोगशालाओं के पूर्णतः प्रचालन तक एनसीआर का डीजीएच के अधीन कार्य करना
घ. डीजीएच द्वारा प्रयोगशालाओं के प्रबंधन और पहुँच संबंधी प्रचालन दिशा–निर्देश जारी करना
ड. डीजीएच द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) नियुक्त करना

एनसीआर वैश्विक स्तर का अपनी तरह का एक केंद्र होगा जिसमें एक ही छत के नीचे हस्तगत/ बारीकी से सारगर्भित अवलोकन, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, इच्छुक कंपनियों/संस्थानों द्वारा स्वतंत्र अध्ययन के लिए कोर के चयन की एकीकृत सुविधा उपलब्ध होगी।

6.1.11 अनिवार्यता प्रमाण पत्र

वर्ष 2018–19 के दौरान डीजीएच ने कुल 9410 अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किए, जिनका भारतीय सीआईएफ मूल्य 29,363 करोड़ रूपए है ।

6.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 1978 में स्थापित पंजीकृत सोसाइटी है। पीसीआरए ऐसी राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है जिसे पेट्रोलियम उत्पादों और उत्सर्जन में कमी के महत्व, तरीकों और इसके फायदों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का काम सौंपा गया है। यह चिह्नित क्षेत्रों में तेल और गैस के संरक्षण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और उत्पादों के विकास, प्रदर्शन और कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को प्रायोजित भी करता है। अपने अनुसंधान में, पीसीआरए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थानों, उपभोक्ता संघों और अन्य संगठनों से सहायता प्राप्त करता है। तेल और गैस खपत पर देश की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों को प्रस्तावित करने में यह सरकार की मदद करता है।

2018–19 के दौरान प्रशासनिक व्यय सहित अपनी गतिविधियों के निष्पादन के लिए ओआईडीबी द्वारा पीसीआरए को 60.95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

6.2.1 **चार्टर्ड गतिविधियां :** पीसीआरए ऐसी विविध चार्टर्ड गतिविधियों को कार्यान्वित करता है, जो इसके संचालन के मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं। अलग–अलग क्षेत्रों से संबंधित फील्ड गतिविधियों के माध्यम से, पीसीआरए इंजीनियर और इसके सूचीबद्ध विशेषज्ञ ऊर्जा ऑडिट, ईंधन तेल डायग्नोस्टिक अध्ययन और वॉक थ्रू ऑडिट, तकनीकी सेमिनार, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम, चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिवहन कार्यशाला, आदर्श डिपो परियोजना,

वैन प्रचार, किसान मेले और कृषि महाविद्यालयों के छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, एलपीजी बचत कार्यशाला, युवा कार्यक्रम, बच्चों की रूचि के अनुसार प्रतियोगिताएं जैसे प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाद–विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां आदि गतिविधियों का संचालन करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तहत लक्षित समूहों से संवाद कायम करते हैं। इन गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों उद्योग, परिवहन, घरेलू, कृषि और वाणिज्यिक में हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल के बड़े फलक को समाहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए, लक्ष्य इस तरह तय किए गए थे ताकि ईंधन संरक्षण पर इन कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाया जा सके और अंततः 11.7% की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष कुल 19103 फील्ड गतिविधियों का संचालन किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित कुल चालकों की संख्या 166499 है। भारत सरकार के निष्पादन, उपलब्धि और लेन–देन (पैट) योजना के तहत पीसीआरए द्वारा आयोजित ऑडिट कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग क्षेत्र अत्यंत लाभान्वित हुआ। आईएसओ 50001:2011 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) प्राप्त करने में भी पीसीआरए उद्योगों की सहायता करता है।

6.2.2 स्कूली बच्चों के लिए पीसीआरए राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं–2018 : भारत के भविष्य, बच्चों को वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रेरित किया गया है। इस वर्ष देश भर में लगभग 82.50 लाख छात्रों की भागीदारी दर्ज की गई है, जो कि अभूतपूर्व है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता–2017 के प्रथम पुरस्कार विजेताओं को इस वर्ष 5–दिवसीय (16–20 जून 2018) अध्ययन दौरे पर सिंगापुर ले जाया गया। विजेताओं को उनके अध्ययन के लिए सिंगापुर विज्ञान केंद्र, नवजल (Newater) संयंत्र, नेक्सस अंतरराष्ट्रीय स्कूल सहित आसपास के दर्शनीय स्थलों पर घुमाया गया।

6.2.3 सक्षम–2019 : ईंधन संरक्षण प्रयासों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए पीसीआरए ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों के साथ मिलकर 16 जनवरी से शुरू होने वाला "सक्षम" (संरक्षण क्षमता महोत्सव) नामक देशव्यापी जन केंद्रित जन जागरूकता अभियान चलाया। इस एक महीने के अभियान के दौरान, समाज के विभिन्न वर्गों जैसे छात्रों, युवाओं, किसानों, गृहिणियों, चालकों, औद्योगिक श्रमिकों आदि द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से इनके संरक्षण की जरूरत को अंगीकार करने और प्रचारित करने के लिए संवाद किया गया। ऊर्जा की खपत कम करने और जीएचजी उत्सर्जन कम करने में व्यक्तिगत प्रयासों को रेखांकित करने और इनका महत्व दर्शाने के लिए सभी को शामिल करने की दिशा में विविध गतिविधियों के माध्यम से अलग–अलग क्षेत्र के अनुसार बल दिया जा रहा है। सक्षम–2019 का उद्घाटन समारोह का आयोजन 16 जनवरी 2019 को कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में किया गया, एक महीने के सक्षम–2019 अभियान के दौरान औद्योगिक, परिवहन, घरेलू और कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जागरूकता गतिविधियों की योजना बनाकर इन्हें कार्यान्वित किया गया।

6.2.4 सक्षम पेडल दिल्ली – 2018 : पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और अपनी कम दूरी की यात्रा की जरूरतों के लिए लोगों को मोटर चालित वाहनों का उपयोग करने के बजाय साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 7 अक्टूबर 2018 को जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम, नई

दिल्ली में "सक्षम पेडल दिल्ली –2018" का आयोजन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और भारतीय साइक्लिंग फेडरेशन (सीएफआई) के साथ मिलकर यह आयोजन किया गया। इसमें 6000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो कि आयोजन टीम के लिए बहुत उत्साहवर्धक था।

6.2.5 सक्षम–2019 के दौरान व्यापक मीडिया अभियान : सक्षम–2019 के दौरान ईंधन संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी, लोकसभा टीवी, विभिन्न एफएम चैनलों, विभिन्न टीवी चैनलों और डिजिटल सिनेमा पर राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया अभियान चलाए गए। देश भर के रेडियो चैनलों पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के माननीय मंत्री जी की अपील भी प्रसारित की गई।

6.2.6 सक्षम–2019 के लिए रेडियो कार्यक्रम : सक्षम अभियान के दौरान 30 मिनट के 9 एपिसोड वाला रेडियो कार्यक्रम "ऊर्जा एक आस" तैयार किया गया और इसे आकाशवाणी पर तीन एपिसोड प्रति सप्ताह अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रसारित किया गया।

6.2.7 साइक्लिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लघु फिल्म : साइक्लिंग को प्रोत्साहित करने के लिए MyGov. पर एनडीएफसी के माध्यम से एक लघु फिल्म बनाने की प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता के थीम पर आधारित ऑडियो जिंगल और वीडियो क्रिएटिव भी विकसित किए गए।

6.2.8 बच्चों के लिए कॉमिक बुक : पीसीआरए ने एनसीईआरटी के सहयोग से स्कूली बच्चों के लिए कॉमिक बुक विकसित की, जो स्कूली बच्चों के उपयोग हेतु एनसीईआरटी की ई–पाठशाला में उपलब्ध है।

6.2.9 एनिमेशन फिल्म "प्रदूषण का समाधान" : परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में ईंधन संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए मुख्यतः बच्चों और युवाओं को लक्षित करते हुए पीसीआरए ने लघु एनीमेशन फिल्म "प्रदूषण का समाधान" विकसित की है। पीसीआरए द्वारा आयोजित विभिन्न युवा कार्यक्रमों के दौरान प्रचार–प्रसार के लिए फिल्म का उपयोग किया जाता है।

6.2.10 पेट्रोटेक–2019 और अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी : अपनी विभिन्न गतिविधियों को दर्शाते हुए पीसीआरए ने पेट्रोटेक–2019 में भाग लिया। संरक्षण संबंधी सामग्री के समावेश वाली संवर्धित रियेलिटी गेम पर आगंतुकों ने उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं दीं। इसके अलावा 18 से 22 जनवरी 2019 तक, पीसीआरए ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित "वाइब्रेंट गुजरात" मेले में भाग लिया। यहां डिजिटल सेटिंग में ई–बुक्स, ट्रांसलाइट्स, डिस्प्ले, गेम्स, प्रश्नोत्तरी आदि शामिल थे, जिसने लोगों को बहुत आकर्षित किया। पीसीआरए ने एनसीईआरटी द्वारा आयोजित 45वीं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित तथा पर्यावरण प्रदर्शनी 2018 में भी भाग लिया। यह कार्यक्रम 23 से 27 नवंबर 2018 के दौरान अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया था।

6.2.11 सीआरआरआई के माध्यम से दिल्ली की यातायात बत्तियों पर अभियान : दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से पीसीआरए ने दिल्ली के 100 व्यस्ततम चौराहों पर सीआरआरआई के माध्यम से एक अभियान चलाया और वाहनों के खड़े रहने के दौरान ईंधन की खपत और तत्स्थानी उत्सर्जन और सिग्नल डिजाइनिंग के संदर्भ में अभियान से "पहले", "के दौरान" और "बाद में" इसके प्रभाव का आकलन किया। अभियान में दृश्यता, अवरोध, सिग्नल टाइमिंग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन और तदनुसार लाल बत्तियों के पुनः स्थापन और सिग्नल टाइमिंग के पुनः संयोजन की सिफारिशें भी शामिल हैं। यह अभियान 09.11.2018 को संपन्न हुआ। इस तरह के अभियानों से, यह उम्मीद की जाती है कि ईंधन की बचत और उत्सर्जन में कमी के लिए इंजन बंद करने संबंधी व्यवहार में उल्लेखनीय सुधार होगा।

6.2.12 विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम : पीसीआरए को 18 एनयूआरएम (राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) शहरों को समाहित करते हुए 2 क्षेत्रों हेतु आवास और शहरी मामले मंत्रालय के विश्व बैंक प्रायोजित कार्यों को सबसे कम बोली के आधार पर (ईंधन दक्षता में सुधार पर ध्यान देते हुए चालक और रखरखाव स्टाफ प्रशिक्षण के लिए जारी वैश्विक निविदा) अवार्ड किया गया है जिसका मूल्य रूपये 1.25 करोड़ कर सहित है।

6.2.13 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम : नगर निगम, यातायात पुलिस, सार्वजनिक यातायात उपक्रमों और आरटीओ के अधिकारियों के लिए 8 स्थानों (लखनऊ, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम) पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

6.2.14. अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां : पीसीआरए ऊर्जा के सर्वोत्तम इष्टतम उपयोग और कम कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और उत्पादों के विकास, प्रदर्शन और कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को प्रायोजित करता है। पीसीआरए प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में यंत्रों, उपकरणों या उपयंत्रों के फील्ड परीक्षणों की संस्तुति करता है और फील्ड परीक्षणों के सफल समापन के बाद प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से उत्पादों या प्रक्रियाओं के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करता है।

- 2018–19 के दौरान पूरी की गईं परियोजनाएं :
  - क) भट्ठा कार ट्रॉलियों के लिए अत्यधिक–कम घनत्व वाली अग्निरोधक कणिकाओं का विकास।
  - ख) सड़क की स्थिति का वाहन की ईंधन खपत पर प्रभाव।
- 31 मार्च 2019 को चल रही परियोजनाएं :
  - क) एलपीजी घरेलू खाना पकाने के स्टोव की थर्मल दक्षता में सुधार।
  - ख) लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास को जैव–मेथनॉल और मूल्य वर्धित उत्पादों में रूपांतरित करने के लिए एकीकृत प्रक्रिया।
  - ग) हवा–वाष्प गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन संवर्धन द्वारा पूरित डाउन ड्राफ्ट बायोमास गैसीफायर प्रणाली का डिजाइन, विकास और परीक्षण।

घ) मेट्रो स्टेशनों के आसपास यातायात प्रवाह योजनाओं के लिए कार्यपद्धति का विकास और सूक्ष्म अनुरूपण का उपयोग करके उनके प्रभाव की परिमाणन।

6.3 उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी)

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) 1987 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और यह सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रूप में कार्य करता है। सीएचटी के प्रमुख कार्यों में प्रौद्योगिकी आवश्यकता, परिचालन प्रदर्शन, रिफाइनरियों के प्रचालनात्मक निष्पादन मूल्यांकन और सुधार शामिल है। सीएचटी केंद्रीकृत तकनीकी सहायता, ज्ञान प्रसार, निष्पादन आंकड़ा बेस, सूचना का आदान–प्रदान और अनुभव साझा करने के लिए तेल उद्योग के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। सीएचटी डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के वित्त–पोषण का समन्वय करता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के "हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति" के कार्यकलापों में सहयोग भी देता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, सीएचटी द्वारा ओआईडीबी से अनुदान के रूप में 20.58 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इस कोष में से, इस वर्ष के दौरान 10.43 करोड़ रुपये अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में अनुदान और 2.77 करोड़ रुपये विशेष अध्ययनों के लिए दिए गए।

2018–19 के दौरान सीएचटी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

6.3.1 पीएसयू रिफाइनरियों और पाइपलाइन की निष्पादन बेंचमार्किंग

अध्ययन चक्र 2016 के लिए पीएसयू रिफाइनरियों का प्रदर्शन का बेंचमार्किंग पूरा हो गया है और 2018 चक्र के लिए मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स, यूएसए के माध्यम से प्रगति पर है। 2018 चक्र के लिए पाइपलाइन (तरल, गैस, एलपीजी और एसपीएम) के लिए प्रदर्शन की बेंचमार्किंग अध्ययन भी पहली बार शुरू किया गया है और यह प्रगति पर है।

6.3.2. ऊर्जा दक्षता सुधार

रिफाइनरियों को भारत सरकार की पीएटी (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार) के तहत शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक रिफाइनरी को 2018–19 के लिए निर्धारित विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। सीएचटी लक्ष्य निर्धारण के लिए बीईई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था और प्रगति की निगरानी कर रहा था। सीएचटी ने पीएसयू रिफाइनरियों के लिए ईआईएल के माध्यम से प्रोसेस साइड के लिए और पीसीआरए के माध्यम से यूटिलिटीज साइड के लिए एनर्जी ऊर्जा दक्षता सुधार अध्ययन भी किया।

पीएसयू रिफाइनरियों में 2030 तक एनर्जी रिडक्शन के लिए रोडमैप तैयार किया गया है जोकि भारत के एनडीसी (विशिष्ट ऊर्जा खपत में 2005 के आधार से 33–35% की कमी) के साथ संरेखित किया गया है।

6.3.3 रिफाइनरी प्रदर्शन में सुधार

सीएचटी ने रिफाइनरी वार प्रदर्शन के अध्ययन के लिए ग्लोबल कंसल्टेंट के सिलेक्शन को अंतिम रूप दिया। उसी के आधार पर, 7 पीएसयू रिफाइनरियों ने अध्ययन शुरू किया है। शेष रिफाइनरियों को अगले चक्र में लिया जाएगा।

6.3.4 पीएसयू रिफाइनरियों के लिए विशेष अध्ययन

ईआईएल के माध्यम से रिफाइनरियों के लिए पानी की खपत के मानदंड और पानी के पदचिह्न को कम करने के लिए अध्ययन शुरू किया गया है और वर्तमान में प्रगति पर है। मैसर्स केबीसी, सिंगापुर के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं और भारतीय वास्तविकताओं के आधार पर डिमांड साइड स्टीम प्रबंधन पर दृष्टिकोण पेपर। लैंजाटेक, यूएसए के माध्यम से अपशिष्ट गैसों का उपयोग करके इथेनॉल के उत्पादन के लिए व्यवहार्यता अध्ययनः रिफाइनरियों के पहले चरण के लिए अध्ययन प्रगति पर है

6.3.5 फर्नेस दक्षता और स्टीम लीक सर्वेक्षण

ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, रिफाइनरियों के सहयोग से सीएचटी, हर साल सर्वेक्षण का आयोजन करता है। इस सर्वेक्षण के दौरान (i) फर्नेस/बॉयलर दक्षता और (ii) स्टीम रिसाव क्षेत्रों को बारी बारी से एक वर्ष में लिया जाता है। फर्नेस/बॉयलर दक्षता के क्षेत्र में सर्वेक्षण जनवरी, 2018 के दौरान आयोजित किया गया। स्टीम लीक के क्षेत्र में सर्वेक्षण जनवरी, 2019 के दौरान किया गया।

6.3..6 रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी मीट (आरपीटीएम)

तकनीकी विकास के बारे में जानकारी रखने और इसके प्रसार के लिए, सीएचटी प्रासंगिकता के विभिन्न विषय पर पीएसयू तेल कंपनी में से एक के साथ मिलकर हर साल आरपीटीएम का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में प्रक्रिया लाइसेंसधारक, उत्प्रेरक आपूर्तिकर्ता और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पिछले 23वें आरपीटीएम का आयोजन मुंबई में बीपीसीएल के साथ किया गया था। इस कार्यक्रम में 15 तकनीकी सत्रों में फैले लगभग 80 पत्रों की प्रस्तुति थी और 16 प्रदर्शनी स्टालों के साथ पोस्टर सत्रों में लगभग 60 पत्रों और भारत और विदेशों से 1300 प्रतिनिधियों/आमंत्रितों ने भाग लिया था। अगला कार्यक्रम एमआरपीएल के सहयोग से जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित करने की योजना है।

6.3..7 प्रधानमंत्री जी–वन योजना का क्रियान्वयन

2 जी इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए 12 व्यावसायिक इकाइयों (संयुक्त क्षमता प्रति वर्ष 40 करोड़ लीटर की क्षमता) और अर्ध वाणिज्यिक पर 10 प्रदर्शन इकाइयाँ, की स्थापना के लिए मार्च 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी–वन योजना की घोषणा की गई। सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10% इथनॉल और 2030 तक 20% और 2030 तक 5% डीजल में बायोडीजल के सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। सीएचटी को प्रधानमंत्री जी–वन योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

6.3.8 स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास

सीएचटी डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान और वित्त पोषण में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय करता है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) राष्ट्रीय महत्व और शोधन कार्यों की परियोजनाओं को मंजूरी देता है और उन्हें संचालित करता है। एसएसी का नेतृत्व प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर कर रहे हैं।

एसएसी ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं पर नए सिरे से जोर दिया है। वर्ष 2018–19 के दौरान एसएसी ने निम्न छः राष्ट्रीय महत्व और शोधन कार्यों की परियोजनाओं को मंजूरी दी।

(i) हाइड्रोजन फ्यूल सैल और वाहनों में भरने के लिए सौर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली और वितरण स्टेशन का निर्माण

(ii) दिल्ली एनसीआर में राजघाट बस डिपो में हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी (एच–सीएनजी) के उत्पादन के लिए 4 टीपीडी क्षमता की कॉम्पैक्ट रिफॉर्मर यूनिट की स्थापना

(iii) साइनगैस से ओलेफिन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए उत्प्रेरक का विकास (साइनओलेफिन)

(iv) पेट्रोलियम उद्योग की पाइपलाइन के लिए फाइबर ऑप्टिक गैस सेंसर प्रणाली का डिजाइन और विकास

(v) बायोगैस से co2 पृथक्करण के लिए सुपीरियर अवशोषक का विकास

(vi) गैसीफायर का विकास और साथ ही गैसीफायर के लिए 3डी सीएफडी मॉडल

कमजोर क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाने और इसके लिए रणनीति तैयार करने के लिए विकसित होने वाले उपकरणों की सूची तैयार की गई है।

6.3.9 प्रदर्शन पुरस्कार

सीएचटी, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित वार्षिक पुरस्कारों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है:

- रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार
- भाप रिसाव और भट्ठी दक्षता के लिए सर्वेक्षण के आधार पर तेल संरक्षण पुरस्कार

6.3.10 नवाचार पुरस्कार

ये पुरस्कार मुख्य अतिथि द्वारा आरपीटीएम में दिए जाते हैं। पहली दो श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन एमओपी एंड एनजी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

नवाचार पुरस्कारों के लिए, निम्नलिखित तीन श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे और पुरस्कार विजेताओं का चयन सीएचटी की गवर्निंग काउंसिल के दिशानिर्देशों के आधार पर अध्यक्ष, एसएसी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है:

i) सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकी

ii) रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार (रिफाइनरी/समूह/व्यक्तिगत)

iii) अनुसंधान एवं विकास संस्थानों (संस्थान/समूह/व्यक्तिगत) में सर्वश्रेष्ठ नवाचार

6.3.11 गतिविधि समिति की बैठकें

नवीनतम क्रियाकलापों पर सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं में सुधार और सूचना के प्रसार के उद्देश्य से, सीएचटी ने विभिन्न क्षेत्रों/पाइपलाइनों के शोधन और संचालन कार्यों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई गतिविधि समितियों की बैठकों का आयोजन किया।

6.3.12 ज्ञान प्रसार और अनुभव साझा करना

रिफाइनिंग क्षेत्र में गतिविधि समिति की बैठकों और नवाचारों से नयी समझ सहित सर्वश्रेष्ठ प्रेक्टिसों पर एक संग्रह तैयार किया गया और सभी रिफाइनरियों के साथ साझा किया गया।

सीएचटी पोर्टल पर डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन से संबंधित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा मंच बनाया गया है। विशेषज्ञ पैनल से जवाब मांगने के लिए विशिष्ट प्रश्नों को पीएसयू कंपनियों के अधिकृत समन्वयक द्वारा पोस्ट किया जा सकता है।

सीएचटी एंड ईआईएल द्वारा 8 दिसंबर, 2018 को ईआईएल, गुड़गांव में "प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज में सुधार" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

6.3.13 लैब सह–संबंध कार्यक्रम

सीएचटी ने उद्योग स्तर पर उत्पाद की गुणवत्ता के बेहतर समन्वय के लिए "अंतर प्रयोगशाला सहसंबंध कार्यक्रम" शुरू किया। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को इस कार्यक्रम के तहत लिया गया है।

6.3.14 पीएसयू/संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरियों के लिए स्वच्छता रैंकिंग

पीएसयू/संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरियों की स्वच्छता रैंकिंग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। रिफाइनरियों को सीएचटी द्वारा विकसित स्वच्छता सूचकांक पर आधारित किया गया है।

6.4 तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है, जिसे पेट्रोलियम उद्योग में मानक बनाने तथा सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी

रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाए जा सके और इस उद्योग में निहित जोखिम को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानकों में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियों अर्थात अन्वेषण व उत्पादन, शोधन, गैस प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण, पर्यावरण आदि निहित हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्व–नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है और ओआईएसडी का उद्देश्य सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के तेल उद्योग के सदस्यों के समन्वय से तेल व गैस प्रतिष्ठानों में सुरक्षा को बढ़ाना है।

वर्ष 2018–19 के दौरान ओआईडीबी द्वारा ओआईएसडी को 25.98 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया, ओआईएसडी के अनुसार, वर्ष के दौरान ओआईएसडी द्वारा निम्न गतिविधियां की गई :–

6.4.1 ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिट : वित्त वर्ष 2018–19

ओआईएसडी, सभी प्रकार की तेल व गैस इंस्टालेशनों की उनके ओआईएसडी मानकों के मुताबिक निगरानी करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है। वर्ष 2018–19 के लिए ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट निष्पादन नीचे निर्दिष्ट है:

गतिविधियां	मद	योजना	वास्तविक
रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र	संख्या	17	17
विपणन संस्थापनाएं	संख्या	70	92
अन्वेषण व उत्पादन तटीय संस्थापनाएं	संख्या	50	51
अन्वेषण व उत्पादन अपतटीय संस्थापनाए	संख्या	16	19
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें	कि०मी०	8000	8140
अतिरिक्त ऑडिट पाइपलाइन इंस्टालेशनें			
एकल बिंदु मूरिंग संस्थापनाएं	संख्या	02	03
हाइड्रोकार्बन परिवहन के लिए जेट्टी पाइपलाइनें	संख्या	01	01
पाइपलाइंस क्रूड टैंक फार्म	संख्या	01	02

पीसीएसए

6.4.2 पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए)

सुरक्षित व उत्पादक पूंजीकरण सुनिश्चित करने और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए ओआईएसडी तेल व गैस उद्योग में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट करता है। ये ऑडिट वहां आयोजित किए जाते हैं जहां ग्रीनफील्ड विस्तार और मौजूदा प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं ताकि निर्माणावस्था पर ही ओआईएसडी मानकों के मुताबिक इन सुविधाओं का प्रारंभ से ही अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2018–19 के दौरान उपयोक्ता उद्योग सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रकार के 44 ऑडिट किए गए। इस संदर्भ में 20 पाइपलाइन इंस्टालेशनों को कवर करने वाली 1280 कि.मी. पाइपलाइन का भी ऑडिट किया गया।

6.4.3 अपतटीय प्रतिष्ठानों के लिए "प्रचालन की सहमति"

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (अपतटीय प्रचालनों में सुरक्षा), नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए ओआईएसडी, सक्षम प्राधिकरण के तौर पर, ड्रिलिंग रिगों सहित अपतटीय प्रतिष्ठानों में "प्रचालन की सहमति" प्रदान करता है। वर्ष 2018–19 के दौरान 06 चलित रिंग और 09 प्लेटफार्म के लिए "प्रचालन की सहमति" प्रदान की गई है।

6.4.4 तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं

अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकास पर चर्चा करने, घटना अनुभव साझा करने आदि के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा तेल उद्योग के लिए तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान ओआईएसडी ने निम्नलिखित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित कीं:

1. एचपीसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, अजमेर में ओआईएसडी के विपणन संचालन (एलपीजी) समूह द्वारा "एलपीजी बोटलिंग प्लांट की सुरक्षा ऑडिट" पर ऑडिटर्स के लिए 26 अप्रैल, 2018 को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
2. एचपीसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, अजमेर में ओआईएसडी के विपणन संचालन (एलपीजी) समूह द्वारा एक दिवसीय "माउंडिड भण्डारण वेसल्स और उसकी कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली" पर 27 अप्रैल, 2018 को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
3. ओआईएसडी और आईओसीएल के विपणन संचालन (एलपीजी) समूह द्वारा संयुक्त रूप से एलपीजी संयंत्रों के निरीक्षण पर 15 और 16 जून 2018 को दो दिवसीय कार्यशाला बेंगलुरु में आयोजित की गई।
4. आईओसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, वाराणसी में ओआईएसडी के विपणन संचालन (एलपीजी) समूह द्वारा 28 और 29 अगस्त, 2018 को एलपीजी संयंत्रों के निरीक्षण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
5. ओआईएसडी के अन्वेषण एवं उत्पादन समूह के सहयोग से फीपी (फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री) द्वारा "तेल एवं गैस सुविधाओं की डी कमीशनिंग और परित्याग" पर 5 सितंबर 2018 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
6. एचपीसीएल कानपुर टर्मिनल में ओआईएसडी के विपणन संचालन (पीओएल) समूह द्वारा "ऑडिटर्स की कौशल वृद्धि " पर 08 और 09 अक्टूबर, 2018 को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।
7. आईओसीएल एलपीजी बोटलिंग प्लांट, वाराणसी में ओआईएसडी के विपणन संचालन (एलपीजी) समूह द्वारा साईट इंजीनियरों के लिए "माउंडिड भण्डारण वेसल्स और उसकी कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली" पर 15 अक्टूबर, 2018 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
8. बीपीसीएल सिवरी टर्मिनल में ओआईएसडी के विपणन संचालन (पी ओ एल) समूह द्वारा "ऑडिटर्स की कौशल वृद्धि " पर 20 और 21 फरवरी, 2019 को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

6.4.5 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों' के माध्यम से उद्योग में सुरक्षा निष्पादन को प्रोत्साहन

तेल एवं गैस उद्योग के सदस्यों के सुरक्षा निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन विशेष रूप से विकसित कार्यप्रणाली द्वारा किया जाता है जिसमें जुड़े खतरों, वर्ष के दौरान दर्ज की गई घटनाओं और प्रतिष्ठान की सुरक्षा प्रबंधन

प्रणाली को संज्ञान में लिया जाता है। वर्ष के दौरान असाधारण सुरक्षा निष्पादन हासिल करने वाले संगठनों को तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित प्रतिष्ठानों में सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों चाहे वो कंपनी कर्मी हो या संविदा कर्मी, को भी प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2017–18 के लिए 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार', सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा, 12 जनवरी, 2019 को बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र, मुंबई में आयोजित समारोह के दौरान संबंधित विजेताओं को प्रदान किए गए।

6.4.6 सुरक्षा परिषद

भारत में तेल एवं गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद स्थापित की। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) सुरक्षा परिषद की सहायता करता है, जिसमें सचिव, तेल एवं प्राकृतिक गैस, अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं और सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों के साथ–साथ सम्बंधित विशेषज्ञ निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुरक्षा निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होती है और विगत 17 अक्टूबर, 2018 को परिषद की 35वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान, वर्ष 2018–19 की प्रमुख गतिविधियां और वर्ष 2018–19 के लिए गतिविधि योजना की समीक्षा हुई। दीर्घकालीन लंबित महत्वपूर्ण ईएसए/एसएसए सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा (ईएसए / एसएसए) का विश्लेषण। ओआईएसडी की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्यकारिणी समिति के गठन की स्वीकृति। नवीन ओआईएसडी मानकों /मानकों के संशोधन की स्वीकृति। कार्यकारी निदेशक, ओआईएसडी को प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन की स्वीकृति।

6.4.7 सुरक्षा मानकों का विकास

ओआईएसडी सामन्वयिक प्रक्रिया के माध्यम से तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए मानक/दिशा निर्देश/अनुशंसित प्रथाएं विकसित करता है, जिसमें सभी स्टेक होल्डरों (बड़े पैमाने पर जनता सहित) को शामिल किया जाता है। प्रतिनिधियों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से जानकारी लेकर उन्हें भारतीय स्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है। इन मानकों में इनबिल्ट डिजाइन सुरक्षा, परिसंपत्ति विश्वसनीयता और पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण व परिवहन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रचालन पद्धतियां शामिल हैं। नए मानकों को विकसित करने की आवश्यकता का पता लगाने, अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ–साथ मौजूद वर्तमान अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों को अद्यतन करने/संशोधित करने के लिए ओआईएसडी मानकों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

अब तक तेल उद्योग के लिए ओआईएसडी ने 121 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। इनमें से 21 मानकों को पेट्रोलियम नियमावली, गैस सिलेंडर नियमावली, स्टेटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अन फायर्ड) नियम, 2016 और ऑयल माइन्स विनियम 2017 के सांविधिक प्रावधानों में भी शामिल किया गया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, ओआईएसडी ने 7 मौजूदा मानकों को संशोधित/परिवर्तित किया है तथा 2 नवीन मानकों का निर्माण किया है। इन मानकों को 17 अक्टूबर 2018 को आयोजित 35वीं सुरक्षा परिषद की बैठक में उनकी मंजूरी के बाद उद्योग द्वारा कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए हैं।

6.4.8 घटना जांच व विश्लेषण

ओआईएसडी दुर्घटना के मूल कारण का विश्लेषण करने के लिए मुख्य घटनाओं (गंभीरता/क्षति के आधार पर) की जांच के साथ–साथ जांच प्रक्रिया में भी भाग लेता है। तेल उद्योग की घटनाओं का एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों, सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक कार्यवाही का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें उसी समय सुरक्षा अलर्टों, परामर्शी नोटों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबसाइट लिंकों आदि के माध्यम से उद्योग को प्रसारित किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान ओआईएसडी द्वारा सात बड़ी घटनाओं की जांच की गई।

6.4.9 अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

53वीं संचालन समिति की बैठक 13 अप्रैल, 2018 को ओआईएसडी, नोएडा में, तेल एवं गैस उद्योग (मुख्य पैनलिस्ट) के प्रतिनिधियों के साथ हुई। बैठक के दौरान चर्चा की कुछ प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं:

- नए/संशोधित/संशोधित ओआईएसडी मानकों को अंगीकृत करना।
- वर्ष 2018–19 के लिए ओआईएसडी की बाह्य सुरक्षा ऑडिट योजना और वास्तविक – ईएंडपी, रिफाइनरी और जीपीपी, पाइपलाइन और विपणन समूह।
- दीर्घकालीन लंबित महत्वपूर्ण ईएसए/एसएसए सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।
- पिछले तीन वर्षों की दुर्घटना का विश्लेषण और सिफारिशों की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा।
- कॉमन रेलवे साइडिंग से संबंधित सुरक्षा मुद्दे।

6.4.10 नए लक्षित क्षेत्रों के लिए ओआईएसडी मानक :

नए लक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए, ओआईएसडी ने निम्नलिखित नए मानकों को विकसित किया है:

1. ओआईएसडी स्टैण्डर्ड 245 "बड़े जहाजों, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनलों के बंदरगाहों पर एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं की सुरक्षा"
2. ओआईएसडी अनुशंसित प्रथा 243 "कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संचालन पर अनुशंसित प्रथाएं"
3. ओआईएसडी आरपी 242 "उच्च दबाव उच्च तापमान कूपों का वेधन एवं परीक्षण पर अनुशंसित प्रथाएं"

6.4.11 अपस्ट्रीम ऑपरेशन से जुड़े सेंट्रल टैंक फार्मों (सीटीएफ) की सुरक्षा ऑडिट

अपस्ट्रीम परिचालन से जुड़े सेंट्रल टैंक फार्म की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओआईएसडी ने वित्त वर्ष 2017–18 के बाद से अपस्ट्रीम ऑपरेशन से जुड़े सेंट्रल टैंक फार्म के सेफ्टी ऑडिट को अलग इकाई के रूप में शामिल किया है। इसके बाद, सुरक्षा ऑडिट के उद्देश्य से इन प्रतिष्ठानों को स्टैंडअलोन सुविधाओं के रूप में माना जाएगा और ऐसे सभी स्थानों को 3 साल की आवृत्ति पर रिफाइनरी और जीपीपी प्रतिष्ठान के अनुरूप ऑडिट किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, ऐसे 08 सेंट्रल टैंक फार्मों का बाह्य सुरक्षा ऑडिट संपन्न किया गया है।

6.4.12 संभावित हजार्ड के आधार पर पीओएल संस्थापनों की सुरक्षा लेखा परीक्षा की आवृत्ति

ओआईएसडी ने पीओएल संस्थापनों की सुरक्षा लेखा परीक्षा की आवृत्ति उनके संभावित हजार्ड के आधार पर निर्धारित करना शुरू कर दिया है। 1 लाख किलो लीटर से अधिक पेट्रोलियम की कुल भंडारण क्षमता वाले संस्थापनों को मौजूदा 7 वर्षों की आवृत्ति के स्थान पर हर 5 साल में ऑडिट किया जा रहा है। इसके अलावा, 5 वर्षों में सभी स्थानों की ऑडिट करने की दीर्घकालिक योजना के साथ, सभी पीओएल संस्थापन (भण्डारण क्षमता के अपचायक) की आवृत्ति को 6 वर्ष तक लाने की योजना है। इसी तरह, सभी एलपीजी संस्थापनों के लिए, ऑडिट आवृत्ति को 5 वर्ष करने की दीर्घकालिक योजना के साथ, वर्तमान में 6 वर्ष तक लाया गया है।

इसके अलावा, 30,000 किलो लीटर से कम भंडारण क्षमता वाले पीओएल संस्थापनों की सुरक्षा ऑडिट छोटे स्थानों के लिए सुरक्षा पहल के रूप में शुरू किए गए हैं और ऐसे सभी स्थानों (कुल 102) < 30000 किलो लीटर के सुरक्षा ऑडिट पूरे हो गए हैं।

6.4.13 तेल एवं गैस कंपनियों के आंतरिक लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण

तेल एवं गैस संस्थापनों में आंतरिक सुरक्षा ऑडिट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पहल के रूप में, ओआईएसडी तेल एवं गैस कंपनियों के आंतरिक ऑडिटर्स के लिए विशिष्ट कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। इस संबंध में विपणन संगठनों के आंतरिक ऑडिटर्स के लिए विशेष रूप से ग्यारह कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

भविष्य में तेल एवं गैस उद्योग के अन्य क्षेत्रों में ऐसे प्रशिक्षण बढ़ाने की योजना है।

6.5 पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरांत, तेल समन्वयन समिति को भंग कर दिया गया था और दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में सरकार के निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया:

(क) पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी की व्यवस्था

(ख) आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थितियों से मुकाबला करने के लिए सूचना डेटा बैंक और संचार प्रणाली का अनुरक्षण

(ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण

(घ) पेट्रोलियम आयातों और निर्यातों की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन

(ङ) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हो।

महानिदेशक की अध्यक्षता में वित्त, आपूर्ति, मांग, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन, गैस, और मानव संसाधन एवं समन्वय प्रभागों के अधीन पीपीएसी के पास 43 अधिकारियों एवं स्टाफ की स्वीकृत संख्या है । महानिदेशक जो केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं, को छोड़कर सभी अधिकारी एवं स्टाफ तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान तेउविबो द्वारा पीपीएसी को 23.96 करोड़ रूपये का अनुदान जारी किया। वर्ष के दौरान की गई मुख्य गतिविधियां :–

6.5.1 तेल विपणन कंपनियों (ओएमजी) के सब्सिडी दावों का निपटान

1. 1 जनवरी 2015 से प्रभावी, पहल (डीबीटीएल) योजना–2014 पूरे देश में क्रियान्वित की गई। इस योजना के तहत घरेलु एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ही पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाती है। पहल (डीबीटीएल) योजना के अधीन वर्ष 2018–19 में रुपये 31,441 करोड़ के दावों को संसाधित किया गया।

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) 1 मई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों की महिला सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को अब 4 साल (2019–20 तक) की अवधि में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत, भारत सरकार गरीब घरेलू महिला लाभार्थियों को सुरक्षा जमा मुक्त कनेक्शन जारी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए क्रमशः 1600 रुपये और 1150 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिपूर्ति करता है। वर्ष 2018–19 (फरवरी 2019 तक) के लिए, पीपीएसी ने 5,051 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये और उनकी समीक्षा की।

3. 1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी, पीडीएस केरोसिन योजना 2016 (डीबीटीके) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण झारखंड राज्य के 4 जिलों में लागू किया गया था। यह योजना 1 अप्रैल, 2017 से 6 अन्य जिलों में लागू कर दी गई थी और 1 जुलाई, 2017 से पूर्ण झारखंड राज्य डीबीटीके के तहत कवर कर दिया गया। वर्ष 2018–19 (अक्टूबर 2018 तक) के लिए, पीपीएसी ने 42 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये तथा उनकी समीक्षा की।

6.5.2 नार्थ ईस्ट गैस सब्सिडी दावों का निपटान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में चयनित उद्योग/ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की बिक्री के सब्सिडी व्यवस्था हेतु "प्राकृतिक गैस सब्सिडी योजना" तैयार की गई है। इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियां नामित गैस क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर प्राकृतिक गैस बेचती हैं और भारत सरकार से सब्सिडी राशि का दावा करती हैं। वर्ष 2018–19 के लिए, पीपीएसी ने 557 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये तथा उनकी समीक्षा की।

6.5.3 तेल कंपनियों के अंडर रिकवरी दावों का निपटान

अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार पीडीएस केरोसिन की खुदरा बिक्री कीमतों में संशोधन करती रहती है जिससे उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उत्पाद मिलता रहता है इससे तेल विपणन कंपनियों को अपनी बिक्री पर अंडर रिकवरी हो रही हैं। वर्ष 2018–19 के लिए, पीपीएसी

ने पीडीएस केरोसिन की बिक्री पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए अंडर रिकवरी के 5,950 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त किये तथा उनकी समीक्षा की।

6.5.4 पीपीएसी में व्यापक डेटा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

पीपीएसी में व्यापक डेटा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए, एसएएस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर दिसंबर 2017 में स्थापित किया गया था और मास्टर डाटा, इनपुट स्वरूपों और समय–समय पर रिपोर्ट पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला जनवरी 2018 में नई दिल्ली और मुंबई में आयोजित कर डेटा की जरूरत के अनुरूप एसएएस को आकार दिया गया। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुरूप बिक्री से महीने–वार, उत्पाद–वार, कंपनी–वार डिमांड मॉड्यूल सफलतापूर्वक लागू किया गया है अक्टूबर, 2018 के बाद से लगातार कार्यरत है। अन्य मॉड्यूल के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है और इनसे संबंधित ऐतिहासिक डेटा एसएएस में विरासत प्रणाली से स्थानांतरित किया जा रहा है।

6.5.5 देश में एलपीजी के समानांतर विपणन प्रणाली पर अध्ययन

पीपीएसी ने वर्ष 2018–19 के दौरान देश में एलपीजी के समानांतर विपणन प्रणाली पर संस्थानिक अध्ययन किया। अध्ययन समानांतर विपणन प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों पर एक व्यापक दस्तावेज है। अगस्त, 2018 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई।

6.5.6 घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2014 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य के आवधिक संशोधन को सूचित करने के लिए महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया। तदानुसार, अप्रैल 2018 से सितंबर, 2018 और अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 तक घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य पीपीएसी द्वारा अधिसूचित किया गया था।

6.5.7 गैस मूल्य की अधिकतम सीमा की अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 मार्च, 2016 की अधिसूचना के द्वारा, गहरे–पानी, अल्ट्रा गहरे पानी और उच्च दबाव–उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता की अनुमति दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को उक्त अधिसूचना के तहत गैस मूल्य की अधिकतम सीमा के आवधिक संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया । तदानुसार, अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2018 और अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि के लिए गैस की कीमत की अधिकतम सीमा पीपीएसी द्वारा अधिसूचित की गई थी।

अध्याय
04

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड उपकर व अन्य नवीन संसाधन जुटाने के दृष्टिकोण के माध्यम से गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

2 अपस्ट्रीम क्षेत्र

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना/परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने और तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जा सकती है। तदनुसार, तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया। जिसमें महानिदेशक, डीजीएच, अध्यक्ष और सदस्यों में सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड (एफआईपीआई) हैं।

समिति, प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। समिति की सिफारिशें तेउवि बोर्ड को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। वे परियोजनाएं जिन्हें तेउवि बोर्ड द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया जाता है उन्हें तेल उद्योग (विकास) नियम 1975, के नियम 24 (1)(ii) की शर्तों पर अनुदान जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है।

2.1 परियोजनाओं की पुनरीक्षा

उपरोक्त समिति समय–समय पर अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है । उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिक कुशलतापूर्वक किए जाने हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं ।

2.2 अपस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं :

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा तकनीकी रूप से समन्वयित, राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों नामतः ओएनजीसी, गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नामतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ), नेशनल ज्योफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) का एक परिसंघ है।

3 डाउनस्ट्रीम क्षेत्र

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य विभिन्न तेल उद्योग क्षेत्रों से संबंद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है। सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और वित्त पोषण करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है।

4 तकनीकी संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों को मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार/तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया है : –

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों के नाम	राशि
1	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)	2.25
2	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	1.97
3	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सटी(पीडीपीयू)	0.15
	कुल	4.37

4.1 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)

सामरिक भंडारण कार्यक्रम का चरण–2

दिसम्बर, 2008 में मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिवस के तेल आयात के समतुल्य एक भंडारण को बनाया रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

केन्द्रीय मंत्रीमडंल ने 27 जून 2018 को 6.5 एमएमटी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना के लिए दो स्थानों, ओडिशा के चांदीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक के पादुर (2.5 एमएमटी) में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की, जिसमें दो एसपीआर के लिए एसपीएम समर्पित है। भारत सरकार के बजटीय समर्थन को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना की "सैद्धांतिक" मंजूरी लेनी है।

पादुर के द्वितीय चरण के निर्माण की समय सीमा कार्य आंबटन से 60 महीने और चांदीखोल के लिए 72 महीने है।

द्वितीय चरण के लिए कार्यसम्पादक सलाहकार के लिए निविदाएं प्राप्त की गई और मैसर्स डिलोइट को कार्य आंबटन का कार्य सौंपा गया। परामर्श प्रक्रिया को निर्वाहित करने के मार्गदर्शक कार्यक्रमों और वन टू वन वार्ताओं को नई दिल्ली (17–18 अक्टूबर 2018), सिंगापुर (26–27 अक्टूबर 2018) और लंदन (29–30 अक्टूबर 2018) में आयोजित किया गया। माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 17 नवम्बर 2018 को दिल्ली में भावी पीपीपी निवेशकों के लिए आईएसपीआरएल रोड शो कार्यक्रम का उदघाटन किया गया। सलाहकार ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

वर्ष 2018–19 के दौरान, ओआईडीबी ने सामरिक भंडार कार्यक्रम का चरण–2 की पूर्व परियोजना गतिविधियों के लिए आईएसपीआरएल को 2.25 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।

4.2 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)

ओआईडीबी बोर्ड ने 03.08.2009 को आयोजित 77वीं बैठक में, कुल 37.05 करोड़ रुपये की लागत से "तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्मार्ट कार्ड परियोजना के कार्यान्वयन" के लिए ओआईडीबी से वित पोषण के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद, ओआईडीबी बोर्ड ने 08.02.2011 को आयोजित अपनी 81वीं बैठक में उपरोक्त परियोजना के लिए 37.05 करोड़ रुपये के मौजूदा स्वीकृत अनुदान को बढ़ाकर 53.15 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के पत्र क्रमांक –जी–34026 / 2 / 2011–वित्त दिनांक 17.03.2011 ने परियोजना के लिए 53.15 करोड़ रुपये के बढ़े हुए अनुदान के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। आईओसीएल के अनुरोध पर, मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक –21016 / 14 / 2008–डिस्ट दिनांक 29. 11.2011 द्वारा ओआईडीबी को सूचित किया कि केरोसीन और एलपीजी पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कार्य बल की सिफारिशों के अनुसार, परियोजना की अवधारणा में परिवर्तन हुआ है और स्मार्ट कार्ड पर पायलट परियोजना के लिए पहले से स्वीकृत बजट को संशोधन की आवश्यकता है और कुल व्यय को घटाकर 5.31 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ओआईडीबी ने 31.03.2012 तक 1.02 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया और उक्त परियोजना के लिए दावों के निपटान के लिए आईओसीएल को वर्ष 2018–19 के दौरान 1.97 करोड़ रुपये का शेष अनुदान जारी किया।

4.3 पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (पीडीपीयू)

पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (पीडीपीयू), गांधीनगर, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध और सम्मानित संस्थान है जिसका लक्ष्य भविष्यवादी अनुसंधान और खोजों के आधार पर उत्कृष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। पीडीपीयू ने तेल और गैस, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विशिष्ट क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारियों के साथ ऊर्जा इंजीनियरिंग और प्रबंधन में शिक्षा के लिए एक अनूठा दायित्व निभाया है।

वर्ष के दौरान, पीडीपीयू को उनके अनुसंधान एवं विकास परियोजना के अन्तर्गत "रिजर्वोअर मॉडलिंग एण्ड जम्बोकेनिक्स एण्ड हाइड्रॉक्ट्रेक्टिंग के साथ कैम्बे शेल का सिमुलेशन" के लिए 15 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, जिसका उद्देश्य भू यांत्रिक विश्लेषण और जलाशय सिमुलेशन प्रथाओं के साथ मिलकर एक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मॉडल तैयार और उत्पन्न करना है। अध्ययन के लिए चुना गया क्षेत्र, कैम्बे बेसिन और अन्य प्रमुख वर्ल्ड बेसिन है जहां हाइड्रो फ्रैक्चरिंग की अवधारणा का डिजाइन तथा मॉडल तैयार किया गया है।

परियोजना के तीन व्यापक उद्देश्य हैं और जिसे तीन चरणों में पूरा किया गया है:

- भारतीय और विश्व शेल बेसिन की सावधानीपूर्वक जांच और तुलनात्मक मूल्यांकन।
- चयनित अध्ययन क्षेत्र यानी कैम्बे बेसिन के भू–रसायन, खनिज विज्ञान, आकृति विज्ञान को समझने और अन्य प्रमुख विश्व शेल बेसिन के गुणों के साथ इसकी तुलना।
- प्रमुख डेटा के रूप में रॉक मैकेनिकल गुणों या भू–यात्रिंक लॉग्स का उपयोग करके एक मजबूत हाइड्राफ्रेक्चर मॉडल तैयार करने के लिए परिणामों का एकीकरण।

5 हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है । भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित

तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए का एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है:

1	तेउविबो	40 करोड़ रुपए
2	ओएनजीसी, आईओसी, गेल	16 करोड़ रुपए प्रत्येक
3	एचपीसीएल, बीपीसीएल	6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है । हाइड्रोजन परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी निगरानी के लिए सीएचटी, नोडल ऐजेंसी है। स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक, ओआईडीबी ने एचसीएफ फंड में से एचसीएफ परियोजनाओं के वित पोषण के लिए 29.26 करोड़ रुपये का अनुदान सीएचटी को जारी किया है। 31.3.2019 तक एचसीएफ के पास 167.04 करोड़ रुपए (लगभग) का कुल कॉपर्स उपलब्ध है।

अध्याय 05

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) के द्वारा 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक यह विशेष प्रयोजन व्यवस्था प्रारंभ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। बाद में 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। कैवर्न का निर्माण विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) स्थानों पर किया जा रहा है। एक बार कैवर्न पूरी होने पर इन भंडारों में भारत की 10 दिनों के शुद्ध आयात की आवश्यकताओं के बराबर कच्चे तेल को भंडारित किया जा सकता है।

इस सामरिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत का मूलतः सितम्बर, 2005 में 2397 करोड़ रूपये आँका गया जो अब संशोधन के बाद 4098.35 करोड़ हो गया। कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी 31.03.2019 को क्रमशः 3832.56 करोड़ रूपये एवं 3748.37 करोड़ रूपये है। तेउविबो की आईएसपीआरएल में इक्विटी प्रतिभागिता 31.03.2019 तक 3775.87 करोड़ रूपये की है। 31.3.2019 को उपरोक्त तीनों स्थलों पर परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता 1.33 एमएमटी)

विशाखापट्टनम केवर्न को जून 2015 में चालू कर लिया गया है। भूमिगत सिविल कार्य हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड एनर्जी सर्विसिस लिमिटेड (आईओटीआईईएसएल) द्वारा निष्पादित की गई। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रहा है।

विशाखापट्टनम साइट का हवाई दृश्य

एचपीसीएल ने विशाखापट्टनम में कच्चे तेल के लगभग 190 शिपमैंट प्राप्त किए और 300 से अधिक हस्तांरित किए हैं।

एचपीसीएल ने आईएसपीआरएल के साथ 20 फरवरी 2018 को विशाखापट्टनम के लिए कच्चे तेल केवर्न के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और 16 नवम्बर 2018 से ओ एण्ड एम टीम की तैनाती आरंभ की है।

2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

मंगलौर केवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु मंगलौर स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यो को मैसर्स एसके इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर (एसकेईसी–केसीटी जेवी) के संयुक्त उद्यम द्वारा और प्रक्रिया सुविधाओं को मैसर्स पुंज लायड द्वारा निष्पादित किया गया था। भूमिगत सिविल कार्यो को पूरा कर लिया गया है और प्रक्रिया सुविधाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। मंगलौर कैवर्न परियोजना में 0.75 एमएमटी के प्रत्येक के 2 भूमिगत भंडारण कंपार्टमेंट हैं। परियोजना की पूंजीगत लागत 1227 करोड़ रूपये है।

परियोजना को ईरान से खनिज तेल के तीन पार्सल के साथ अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। मंगलौर में एक कंपार्टमेंट हेतु खनिज तेल की कुल लागत 1754 करोड़ रूपये है। 25 जनवरी, 2017 में अबू धाबी नेशनल ऑयल कम्पनी (एडीएनओसी) तथा आईएसपीआरएल के मध्य मंगलौर स्थित कैवर्न ए को भरने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंगलौर कैवर्न 'ए' में कच्चे तेल को भरने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के अवसर पर 10 फरवरी 2018 को अबू धाबी में ADNOC और आईएसपीआरएल के बीच संशोधित पुनर्स्थापित तेल भंडारण और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ADNOC ने 19 मई, 6 अक्टूबर और 2 नवम्बर 2018 को तीन VLCC के 5.86 मिलियन बैरल लाकर एक कम्पार्टमेंट को भरकर समझोते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया।

मंगलौर साइट का दृश्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार, ईरानी मिक्स ग्रेड कच्चे तेल की खरीद दिसम्बर 2018 में आईएसपीआरएल के लिए एमआरपीएल द्वारा राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी से की गई। मंगलौर में कैवर्न बी में 26 से 27 दिसम्बर तक एमटी बैरल में 1.3 मिलियन बैरल का निर्वहन किया।

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 मिलियन मीट्रिक टन)

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांव में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्य को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे और केवर्न स्वीकृति परीक्षण भी पूर्ण हो गए हैं। सुविधा में 0.625 एमएमटी के प्रत्येक 4 कंपार्टमेंट हैं।

सरकार की मंजूरी के पश्चात् दिसम्बर 2018 में आईएसपीआरएल मंगलौर से 0.625 एमएमटी कच्चे तेल को स्थानांतरित करके यह सुविधा आरंभ की गई।

8 नवम्बर 2018 को, कैबिनेट ने ओवरसीज राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा मंगलौर एसपीआर सुविधाओं में कैवर्न 'ए' तेल भरने के लिए अपनाई गई। ADNOC मॉडल के प्रमुख सिद्धांतो के अनुसार पादुर में कच्चे तेल को भरने की मंजूरी दी।

12 नवम्बर 2018 को, आईएसपीआरएल ने पादुर एसपीआर सुविधा में कच्चे तेल के भण्डारण की संभावना का पता लगाने के लिए आबू धाबी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 फरवरी 2019 को हुबली में चरण–1 के सभी कार्यनीतिक भण्डार राष्ट्र को समर्पित किए।

अध्याय
06

अन्य पहल / गतिविधियां

1 तेउविबो राहत ट्रस्ट (तेउविबो आर टी)

अप्रैल से जून 2000 तक की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गई 2000 के दौरान इन राज्यों में सूखा प्रभावित ग्रामों को पेय जल के परिवहन हेतु डीज़ल की लागत वापिस करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रयोजन के लिए, तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से एक ट्रस्ट नामतः तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट का एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 01.06.2000 को गठन किया गया था। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पदेन सचिव (पीएनजी), ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी पदेन, अपर सचिव (पीएनजी) और ट्रस्ट के सचिव के रूप में सचिव (ओआईडीबी) तथा तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अन्य प्रतिनिधि ट्रस्टियों के रूप इस ट्रस्ट में है। तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस कोष में 20.60 करोड़ रुपए का योगदान दिया है । दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों, प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य कल्याण संगठनों के लिए लगभग 21.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 17.29 करोड़ रुपए की निधियों (ब्याज सहित) तेउविबो राहत ट्रस्ट में उपलब्ध थी। चूंकि इस ट्रस्ट के लक्ष्य व उद्देश्य के आधार व्यापक हैं और अन्य राहत ट्रस्ट से अतिरिक्त अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए भी वित्तीय सहायता को अनुमत कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रस्ट के नाम को दिनांक 09.07.2010 से परिवर्तित करते हुए तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट से तेउविबो राहत ट्रस्ट कर दिया गया था।

2 हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी)

भारत के राष्ट्रीय कौशल मिशन के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के तत्वावधान में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) को स्थापित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य, भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में कौशल विकास गतिविधियों को निष्पादित करना और सतत एवं विकसित आधार पर मात्रा और गुणवत्ता में उचित प्रशिक्षित जनशक्ति की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की आवश्यकता को पूरा करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

- भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए गतिविधियों को आरम्भ, निष्पादित, कार्यान्वित, समर्थन और सहायता करना और निरंतर और विकसित आधार पर मात्रा और गुणवत्ता में उचित प्रशिक्षित जनशक्ति की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की आवश्यकता को पूरा करना।
- क्षेत्र के लिए एक कौशल विकास योजना विकसित करना।
- क्षेत्र के कौशल विकास की आवश्यकता को पहचाना, अंतर्राष्ट्रीय रुझानों की समीक्षा करना और क्षेत्र कौशल गैप और प्रौद्योगिकी की पहचान करना।
- संपूर्ण क्षेत्र/उप–क्षेत्र को कवर करते हुए नौकरी की भूमिकाओं के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओसी) का विकास करना।
- एनएसडीसी द्वारा उल्लिखित प्रशिक्षण प्रदाताओं की पहचान और उनका वर्गीकरण।
- आकलन एजेंसियों के लिए संबद्धता और मान्यता प्रक्रिया।
- कौशल जनशक्ति का एक निकाय और नए कौशल और अप–स्किलिंग के लिए बेंचमार्क बनाना।
- एक मजबूत और कड़े प्रमाणीकरण और मान्यता प्रक्रिया की स्थापना।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToT) की योजना और निष्पादन।

- प्रशिक्षण की योजना और वितरण में सहायता के लिए एक अच्छी तरह से संरचित क्षेत्र के लिए विशिष्ट श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) की स्थापना करना।

वर्ष 2018–19 के दौरान, ओआईडीबी ने एचएसएससी कोष के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है।

3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों का कल्याण ।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है । आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है । सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्त जन की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए वर्ष 2017 के लिए रोस्टरों का निरीक्षण दिनांक 19/27 सितम्बर 2018 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया और पाया गया भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार रोस्टर को सही ढंग से रखा जा रहा है।

इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग जन के आरक्षित कोटे के उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है । वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

4. महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" की शिकायतों का निवारण करने हेतु इसकी सुनवाई के लिए तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 17 कर्मचारियों में 3 महिलाकर्मी हैं।

5. सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को सवंर्धित करने में सदा प्रयासरत रहा है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/करार द्विभाषी हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 14.09.2018 से 28.09.2018 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान दिनांक 28.09.2018 को एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।
- बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें आशुव्याख्यान, भाषा ज्ञान, प्रश्नोत्तरी, दोहा प्रतियोगिता आदि शामिल किया गया।

- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गई।
- तेउविबो में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न विषयों पर त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- तेउविबो ने अपनी अंतर्गृहीय वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन जारी रखा तथा विश्व हिन्दी दिवस (10 जनवरी 2019) के अवसर पर इसका विमोचन किया गया। इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विषय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है । इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के साथ इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है।

6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहः–

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 21 जून 2018 को "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" का आयोजन, तेउविबो, भवन, नोएडा में किया गया। तेउविबो भवन नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" में भाग लिया।

7. 44वां स्थापना दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 10 जनवरी 2019 को अपना 44वां स्थापना दिवस (10 जनवरी) समारोह मनाया गया। इस समारोह में तेउविबो के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के कार्मिक तेउविबो भवन, में उपस्थित थे। स्थापना दिवस के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन तेउविबो भवन, नोएडा के समागार में किया गया।

8. स्वच्छता पखवाड़ा समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 01.07.2018 से 15.07.2018 के दौरान "स्वच्छता पखवाड़ा" मनाया और दिनांक 15.09.2018 से 2.10.2018 के दौरान "स्वच्छता ही सेवा अभियान" (एसएचएस) को आयोजित किया। पखवाड़े के दौरान शपथ ग्रहण समारोह, नुक्कड़ नाटक, ओआईडीबी भवन के आसपास के गंदे क्षेत्रों की पहचान कर उनमें सफाई अभियान, वृक्षारोपण, वॉकाथन और स्वच्छता पर अभिनव विचार पर बातचीत जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। ओआईडीबी के सभी कार्मिकों और तेउविबो भवन, नोएडा में स्थित अन्य अनुदानी संगठनों के कार्मिकों ने उपर्युक्त सभी गतिविधियों में भाग लिया।

9 सूचना का अधिकार अधिनियम

भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2005 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में लागू किया गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम की रूपरेखा, मुख्य रूप में सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। ओआईडीबी पहले से ही डीओपीटी की आरटीआई पोर्टल से जुड़ी हुई है जहां आरटीआई आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये/हस्तांतरित किये व निस्तारित किये जाते है।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

वर्ष 2018–19 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 8 अभ्यावेदन/प्राप्तियां प्राप्त की गई हैं। प्राप्त हुए इन सभी 8 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिए गए हैं।

अनुलग्नक

31.03.2019 तक केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को आंबटित की गई धन राशि से संयोजित विवरण

(रुपये करोड़ में)

क.स.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह	सरकार द्वारा तेउविबो को किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1806.60	-
15	1988-89	2013.64	63.09
16	1989-90	2914.57	50.00
17	1990-91	2785.15	89.81
18	1991-92	2500.64	95.00
19	1992-93	2207.61	-
20	1993-94	2175.46	-
21	1994-95	2566.16	-
22	1995-96	2819.52	-
23	1996-97	2558.03	-
24	1997-98	2528.74	-
25	1998-99	2448.18	-
26	1999-00	2589.44	-
27	2000-01	2582.21	-

क्र.स.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह	सरकार द्वारा तेउविबो को किया गया भुगतान
28	2001-02	2722.79	-
29	2002-03	4873.17	-
30	2003-04	4919.49	-
31	2004-05	5033.97	-
32	2005-06	4857.58	-
33	2006-07	6875.53	-
34	2007-08	6854.00	-
35	2008-09	6680.94	-
36	2009-10	6637.13	-
37	2010-11	7671.44	-
38	2011-12	8065.46	-
39	2012-13	14473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
41	2014-15	14,677.24	
42	2015-16	14,468.94	
43	2016-17	12,778.20	
44	2017-18	14246.20	
45	2018-19	18556.09	
	Total	207776.00	902.40

स्रोतः ओएनजीसी, ओआईएल एंड डीजीएच

अध्याय
07

वार्षिक लेखे
2018–19

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र

(रूपये लाख में)

कॉपर्स /पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ	2	1077552	1068193
चिन्हित / अक्षय निधि	3	0	0
जमानती ऋण एवं उधार	4	0	0
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियाँ	6		0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	6016	7296
योग		1173808	1165729
परिसम्पतियाँ			
अचल परिसम्पतियों (नेट ब्लॉक)	8	9248	10204
प्रगतित कार्य	8	50	50
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	0	0
निवेश – अन्य	10	379871	370290
चालू परिसम्पतियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	784639	785184
विविध खर्चे		0	0
(जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
योग		1173808	1165729
लेखा संबंधी विशेष नितियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0/–
(गौतम सैन)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह0/–
(दिवाकर नाथ मिश्रा)
सचिव

दिनांक : 08.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(रूपये लाख में)

कॉपर्स/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान / सब्सिडी	13	0	0
फीस / अभिदान	14	0	0
निवेश से आय	15	0	0
रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	16	73	106
अर्जित ब्याज	17	54487	53832
अन्य आय	18	480	530
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोत्तरी / (कमी)	19	0	0
योग (क)		**55040**	**54468**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	619	487
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	1044	2248
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	37483	31552
भुगतान किया गया ब्याज	23	0	0
राज्य सरकारों को रॉयल्टी	24	0	0
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त मे अनुसूची 8 के अनुसार निवल योग)	8	871	991
योग – ख		**40017**	**35277**
खर्च पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		15023	19191
आयकर के लिए प्रावधान		5363	6523
विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		.	.
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		.	.
आधिक्य के शेष को कॉपर्स/पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		**9660**	**12668**
विशेष लेखा नीतियॉं	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियॉं	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0/–
(गौतम सैन)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह0/–
(दिवाकर नाथ मिश्रा)
सचिव

दिनांक : 08.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 1 – कॉपर्स / पूँजीगत निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोड़ें: कॉपर्स / पूंजीगत निधि में योगदान	.		.	
जोड़ें / (घटाएं): आय एवं व्यय खाते से निवल आय (खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि	.		.	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

रूपये लाख में

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ				
1. पूंजीगत आरक्षित निधि				
गत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
2. पुनःमूल्यांकन आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
3. विशेष आरक्षित निधि				
गत लेखों के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जमा	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	(-)	-	(-)	
4. सामान्य आरक्षित निधि				
विगत लेखों के अनुसार		1068193		1055564
वर्ष के दौरान जमा / परिवर्धन / अपमार्जन				
(i) व्यय पर आय से अधिक्य	9660		12668	
(II)घटाएं : कर प्रावधान आदि का समायोजन	301	9359	39	12629
कुल योग		1077552		1068193

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

अनुसूची 3 – चिन्हित / अक्षय निधि	विविध निधियों का विवरण					योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) निधि का प्रारंभिक शेष	शून्य						
(ख) निधि में परिवर्धन							
(i) दान / अनुदान							
(ii) निधि के निवेश से आय							
(iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)							
योग (क+ख)							
(ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग/ खर्च	शून्य						
(i) पूँजीगत खर्चे							
– अचल परिसंपत्तियां							
– अन्य							
योग :							
(ii) राजस्व खर्चे							
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि							
– किराया							
– अन्य प्रशासनिक खर्चे							
योग :							
योग(ग)		-		-		-	-
		-		-		-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क+ख–ग)							

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 4 . आरक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्रीय सरकार	शून्य	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण		
– अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
– अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 5 . आरक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्रीय सरकार	शून्य	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक :		
(क) आवधिक ऋण		
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करे)		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 6 अस्थगित जमा देनदारियाँ		
(क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बंधक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियाँ	शून्य	
(ख) अन्य		
योग:		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान				
क चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए	-		-	
(ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
(क) जमानती ऋण / उधार	-		-	
(ख) गैरजमानती ऋण / उधार	-		-	
5. सांविधिक देयताएं				
(क) अतिशोध्य	-		-	
(ख) अन्य	-		-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	0		0	
ख) आयकर/टीडीएस/वर्कस कॉन्ट्रेक्ट देय कर	57		5	
ग) ठेकेदारों को देय	216		232	
घ) अन्य (i) बकाया 100 लाख (ii) अन्य 14 लाख	114		185	
ङ) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	118		117	
च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दर (ठेकेदारों को देय)	49	554	135	675
योग (क) :		**554**		**675**
(ख) प्रावधान				
1. करों के लिए		5363		6521
2. ग्रेच्यूटी		0		0
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		0		0
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		95		96
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
6. अन्य–लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधन		4		4
योग (ख)		5462		6621
योग (क+ख) :		6016		7296

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

अनुसूची 8– स्थाई परिसम्पतियां	सकल ब्लॉक					योग				
विवरण	1.4.2018 से आरंभ वर्ष में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2019 वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	1.4.18 से वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2019 को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग	31.3. 2019 को चालू वर्ष के अन्त में	31.3.2018 को पूर्व वर्ष के अन्त में
क स्थाई परिसम्पतियाँ										
1. भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) पट्टे पर	1941	0	0	1941	0	0	0	0	1941	1941
2. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) पट्टे वाली भूमि पर	10254	0	73	10181	4763	542	0	5305	4876	5491
(ग) स्वामित्व मकान/परिक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नही है	32	0	0	32	21	1	0	22	10	11
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	2970	0	15	2955	1905	157	0	2062	893	1065
4. वाहन	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0
5. फर्नीचर, फिक्सचर	3171	11	11	3171	1500	166	0	1666	1505	1671
6. कार्यालय उपकरण	55	1	0	56	43	1	0	44	12	12
7. कम्प्यूटर/बाह्य उपकरण	57	2	0	59	54	1	0	55	4	2
8. विद्युत संस्थापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. अन्य स्थिर परिसम्पतियाँ	27	2	2	27	17	3	0	20	7	10
चालू वर्ष का योग:	18512	16	101	18427	8308	871	0	9179	9248	10204
गत वर्ष :	18509	5	2	18512	7318	991	0	8309	10204	11191
ख पूंजीगत चालू कार्य	49	0	0	49	0	0	0	0	50	50

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 9 चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :	-	-
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
अनुसूची 10 – निवेश अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	.	.
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	.	.
3. शेयर		
बीको लॉरी लिमिटेड	5034	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र	.	.
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम (आईएसपीआरएल)	374837	365256
6. अन्य (उल्लेख करें)	.	.
योग :	**379871**	**370290**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि				
क . चालू परिसम्पत्तियाँ				
1. इन्वेनटरी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक– इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगति कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. फुटकर देनदारी				
क) छः महीने से ज्यादा बकाया देनदारियाँ	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. मुल नकद शेष (इसमें चैक / ड्राफ्ट / अग्रदाय सहित)	0	0		0
4. बैंक शेष				
क) अधिसूचित बैंकों के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर	313230		326034	
– बचत खातों पर	87	313317	18348	344382
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर	-		-	
– बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाक घर– बचत खाता		-		-
योग (क) :		313317		344382

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1. ऋण				
क) स्टाफ	13		16	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयाँ (अनुलग्नक II)	429255		399500	
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-		-	
		429268		399515
2. अग्रिम एवं अन्य राशियां जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्य है				
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम तथा संघटन अग्रिम)	2750		3282	
ख) अग्रिम किराया	220		223	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर, टीडीएस तथा एम एन रील,प्रतिभूति जमा तथा सीएवटी को दिया गया अग्रिम शामिल हैं)	21255	24225	19891	23396
3. उपार्जित आय				
क) चिन्हित/ अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	4557		4551	
ग) ऋण एवं अग्रिम	2877		2820	
घटाएं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षों में किया)	2711		2711	
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	72	4795	5	4665
4. वसूली योग्य दावे				
(I) (विरोध के तहत भुगतान किया गया कर)	12895		12894	
(II) प्राप्य राशि	139	13034	332	13226
योग (ख):		471322		440802
योग (क+ख) :		784639		785184

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 12 . बिक्री/ सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय	शून्य	
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) खंडित माल की बिक्री		
2 . सेवाओं से आय		
क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार		
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन तथा दलाली		
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/ सम्पत्ति)		
ड.) अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
अनुसूची 13 – अनुदान / सहायता	शून्य	
(अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता		
1) केंद्रीय सरकार		
2) राज्य सरकार		
3) सरकारी एंजेंसियाँ		
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

			चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान			शून्य	
1. प्रवेश शुल्क				
2. वार्षिक शुल्क/ अंशदान				
3. सेमीनार/ कार्यक्रम शुल्क				
4. परामर्शदाता शुल्क				
5. अन्य (उल्लेख करें)				
योग :				
	चिन्हित निधियों से निवेश		**निवेश– अन्य**	
अनुसूची 15 – निवेशों से आय	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**	**चालू वर्ष**	**गत वर्ष**
(चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	शून्य			
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र				
2. लाभांश				
क) शेयरों पर				
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य				
योग :				
चिन्हित/अक्षय निधियों में अंतरण				

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 की यथा स्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 16		
रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय		
1.रॉयल्टी से आय	.	.
2. प्रकाशनों से आय	.	.
3. अन्य – डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	73	106
योग :	**73**	**106**
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
अनुसूची – 17 अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंको के पास (सावधि जमा)	25947	16529
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) संस्थानों के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
क) अधिसूचित बैंको के पास	153	552
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास	-	-
ग) डाकघर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	1	10
ख) तेल कम्पनियाँ	28386	36674
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
(क) चल अग्रिम पर ब्याज	0	0
(ख) आय कर विवरणी पर ब्याज	0	67
योग:	**54487**	**53832**
टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	**5484**	**5379**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 18 – अन्य आय		
1. परिसम्पतंतियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पत्तियाँ	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	-
4. पूर्व अवधि की आय	0	0
5. विविध आय (i) किराए से आय – रू 420.00	480	530
(ii) बिना खर्च हुए अनुदानों आदि की वापसी रू. 60.52		
योग :	**480**	**530**
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
अनुसूची 19 – तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार में वृद्धि / कमी माल और कार्य प्रगति		
क) अंतिम स्टॉक	शून्य	
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति		
ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति		
निवल जमा (घटा) (क + ख)	-	-
	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
अनुसूची 20– स्थापना खर्चे		
क) वेतन एवं मजदूरी	270	279
ख) भत्ते एवं बोनस	20	34
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	88	137
ड.) चिकित्सा खर्चों सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	31	17
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	9	19
छ) अन्य	201	1
योग :	**619**	**487**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि			
क) क्रय		0	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे		0	0
ग) गाड़ी तथा भाड़ा		0	0
घ) विद्युत तथा बिजली		468	443
ङ) जल प्रभार		2	2
च) बीमा		2	1
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		146	171
ज) उत्पाद कर		0	0
झ) किराया, दरें तथा कर		37	25
ञ) गाड़ियों का चालन एवं रखरखाव		16	12
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार		5	5
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री		5	7
ड) विविध खर्चे		2	4
ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्चे		5	4
ण) अभिदान खर्चे		0	0
त) शुल्क पर खर्चे		0	0
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		3	0
द) आतिथ्य खर्चे		0	0
ध) व्यावसायिक प्रभार		41	59
न) संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चे		0	0
फ) पैकिंग प्रभार		0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे		0	0
भ) संवितरण खर्चे		0	0
म) विज्ञापन तथा प्रचार		5	8
अन्य (पूर्व अवधि व्यय)	0	307	1507
अन्य	307		
योग :	**307**	**1044**	**2248**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 22 – अनुदान, सहायता आदि पर व्यय		
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान (अनुलग्नक III–ए)	37243	31452
ख) सरकार/ ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए राहायता (अनुलग्नक III–बी)	240	100
योग :	**37483**	**31552**

टिप्पणी – अनुलग्नक III (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान/सब्सिडी राशि इंगित की गई है।

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 23 – भुगतान किया गया ब्याज		
क) स्थाई ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणो पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	**0**	**0**
योग	**0**	**0**

(रूपये लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 24 राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान		
अरूणाचल प्रदेश सरकार	0	0
गुजरात सरकार	0	0
योग	**0**	**0**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. **लेखाकरण व्यावहारिक रीति**

वित्तीय विवरणपत्र, अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. **निवेश**

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शातें समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. **स्थाई परिसम्पत्तियाँ**

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। निर्माण संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली परिसम्पतियों का हिस्सा बनते हैं।

4. **मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार पर " ह्रासित मूल्य पद्धति" के अनुसार किया जाता है। स्थाई परिसम्पतियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को पूर्ण रूप से समायोजित कर किया गया है।

5. **सरकारी अनुदान/सब्सिडी –**

अनुदान, विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों को देय रॉयल्टी को छोड़कर जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, नकद के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. **आय**

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर आय 90 दिन के बाद अदेय नहीं रहती है।

7. **विदेशी मुद्रा विनिमय**

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. **लीज़**

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. **सेवानिवृत्ति लाभ**

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:–

(क) आयकर विभाग की वेबसाइट ट्रेसेस (आयकर विभाग) से डाउनलोडेड डिफॉल्ट सारांश के आधार पर वर्ष 2018–19 के लिए टीडीएस खातों का दावा 10.88 लाख रूपये लिया गया है। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2016–17 से संबधित यह दावे निम्नानुसार हैं:–

निर्धारण वर्ष	राशि (लाख रूपये में)
2008–09	2.76
2009–10	0.05
2010–11	3.66
2011–12	2.53
2013–14	0.33
2014–15	0.17
2015–16	1.06
2016–17	0.32
कुल	10.88

उपरोक्त दावों को खातों में नहीं दर्शाया गया है क्योंकि तेउविबो, लेखा अधिकारी (टीडीएस) के समक्ष अपील दायर करने पर विचार कर रही है।

(ख) मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अर्पूण भुगतान और कटौती के संबंध में तेउविबो के कार्य आदेश सं. 14/18/2007 ओआईडीबी दिनांक 04.06.2008 के द्वारा जी+3 ब्लॉक ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं. 2, सेक्टर 73, नोएडा के आंतरिक कार्य (आंतरिक विद्युत कार्यों सहित) के निष्पादन से संबंधित मामले में रू0. 180.41 लाख का एक आर्बिट्रेशन दावा तेउविबो के विरूद्ध दायर किया गया। आरबीट्रेटर ने मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पक्ष में उनके दावे रू0. 180.41 लाख के बदले में रू0. 62.78 लाख की राशि देय करने का फैसला दिया। तेउविबो ने आरबीट्रेटर के फैसले को चुनौती दी तथा उसकी याचिका माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में विचाराधीन है।

(ग) विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं	निर्धारण वर्ष	धारा 271(1) (सी) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति	धारा 143(3) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति
1	2005-06	1.76	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील	-	
2	2006-07	1.85	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील	-	
3	2007-08	1.40	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील	-	
4	2008-09	4.52	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील	5.63	आईटीएटी द्वारा एओ को मामले से अलग रखा गया है और आज तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ
5	2010-11	22.77	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील	28.97	आईटीएटी द्वारा एओ को मामले से अलग रखा गया है और आज तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ
6	2011-12			28.54	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील
7	2012-13			20.51	आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील
8	2013-14			3.85	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील
9	2014-15			14.71	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील
कुल		32.30		115.20	

आगे, वर्ष 2009–10 के लिए, टैक्स विभाग ने आईटीएटी के समक्ष अपील की है इसलिए 17.74 करोड़ रूपये की इस राशि को आकस्मिक देयताओं की राशि बनाया जायेगा।

2. वचन बद्धताएँ

पूंजीगत

क) भुगतान के लिए अन्तिम बिलों के मूल्य पर जो कि रूपये 159 लाख (लगभग) है, पीएमसी और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण के अभाव में, विचार नहीं किया गया है।

ख) (i) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा बनाए जा रहे कार्यनीतिक कच्चे तेल भण्डारण के निर्माण हेतु सरकार के निर्देशानुसार परियोजना के लिए रूपये 383256 लाख तेउविबो द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शेष राशि रूपये 26579 लाख आनुपातिक लागत के अपने भाग के रूप में एचपीसीएल द्वारा दी जाएगी।

(ii) तेउविबो ने मार्च 2019 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड(आईएसपीआरएल) को रूपये 377587 लाख (गत वर्ष 368538 लाख) इक्विटी के रूप में निवेश के लिए दिये। कंपनी पहले ही रूपये 3775874670 लाख के 3775746700 शेयर, 10/– रूपये प्रति प्रमाणपत्र आबंटित कर शेयर प्रमाण जारी कर चुकी है। शेष रूपये 2750 लाख की राशि 31 मार्च 2019 तक शेयरों के आबंटन के लिए लंबित है।

3. चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लॉरी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउविबो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढ़कर रूपये 50.34 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33% है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित करने की मंजूरी द्वारा बीएलएल की इक्विटी की पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति दी है। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुकसान होगा क्योंकि रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी 4.93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल की इक्विटी पूंजी की कमी के कारण तेउविबो को हुए घाटे को बट्टे खाते में डालने का मामला तेउविबो के बोर्ड/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13 के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

ख) केनफिना तथा बीको लॉरी लिमिटेड से वसूले जाने वाले ब्याज क्रमशः रूपये 2443 लाख रूपये तथा रूपये 268 लाख था। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित मामला पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली संदिग्ध है, अतः लेखों में इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा। इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य राशि दर्शायी गई है। चूंकि आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए आईएसपीआरएल से भी कोई किराया, रखरखाव नहीं लिया जाता है।

4. कर निर्धारण

चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखें (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय

आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित करने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

5. तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, इन्टरनेट सुविधा प्रबंधन, विद्युत भार तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

6. तुलनपत्र की अनुसूची 25 के महत्वपूर्ण लेखा नीति के खण्ड 6 के अनुसार बीएलएल से रूपये 95.16 लाख ब्याज को आय में नहीं दर्शाया गया है।

7.(i) आईसीएआई द्वारा जारी एएस-15 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के लिए बोर्ड ने दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" का गठन किया।

(ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग में आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग "बी" तथा भाग "सी" के तहत अपनी दो योजनाओं क्रमशः "तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

8. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां लागू हो अनुपालन किया गया है।

9. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखें तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

10. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकड़े को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0/–
(गौतम सैन)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह0/–
(दिवाकर नाथ मिश्रा)
सचिव

दिनांक : 08.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक–1

(सन्दर्भ : अनुसूची 26, नोट सं 4(क))

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(रुपये लाख में)

विवरण	अनुसूची संख्या	2018–19	2017–18
आय			
ब्याज आय	17	54487	53832
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16 & 18	553	636
योग		**55040**	**54468**
खर्चे			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22 & 24	37483	31552
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	619	487
प्रशासनिक खर्चे	21	1044	2248
अचल परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास	8	871	991
योग		**40017**	**35277**
वर्ष के लिए लाभ		15023	19191
कर पूर्व शुद्ध लाभ		15023	19191
घटाएंरू कर के लिए प्रावधान		5363	6523
कर पश्चात् शुद्ध लाभ, तुलनपत्र में स्थानान्तरित		**9660**	**12668**
विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	25 & 26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0/–
(गौतम सैन)
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह0/–
(दिवाकर नाथ मिश्रा)
सचिव

दिनांक : 08.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक ।।

(सन्दर्भ : अनुसूची 11(बी)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2019 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(रूपये लाख में)

क्रम संय	कम्पनी का नाम	1.4.2018 को आरंभिक शेष	वर्ष 2018 –19 के दौरान संवितरित ऋण	वर्ष 2018–19 के दौरान वापस किए गए ऋण	31.03.2019 को अंतिम शेष
1	आईओसीएल	88644	0	42581	46063
2	बीपीसीएल	135794	50000	49944	135850
3	एचपीसीएल	18806	60000	9569	69237
4	बीसीपीएल	132188	4637	16375	120450
5	बीएलएल	1200	7177	0	8377
6	एमआरपीएल	7500	26800	7500	26800
7	गेल गैस लिमिटेड	15368	3666	1556	17478
8	सीपीसीएल	0	5000	0	5000
	योग	**399500**	**157280**	**127525**	**429255**

अनुलग्नक – III ए
(सन्दर्भ अनुसूची 22)

वर्ष 2018–2019 के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शानें वाली तालिका

(रुपये लाख में)

क्रम सं.		संस्थान का नाम	2018–2019	2017–18
	क	**नियमित अनुदानी संस्थान**		
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	23899	18950
2		पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ	6095	4388
3		उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान	2058	3212
4		पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	2396	2134
5		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	2598	1639
		योग (क)	**37046**	**30323**
	ख	**अनुसंधान एवं विकास अनुदान**		
6		आईओसीएल –स्मार्ट कार्ड परियोजना का कार्यान्वयन	197	0
7		आईओसीएल(INDA Depts) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र) फरीदाबाद	0	1043
8		ऑयल इंडिया लिमिटेड – एकल सदस्य समिति के शुल्क का भुगतान	0	41
9		एनजीआरआई	0	45
10		**योग (ख)**	**197**	**1129**
11		**योग (क+ख)**	**37243**	**31452**

अनुलग्नक – III बी
(सन्दर्भ अनुसूची 22)

भारत सरकार/ते.उ.वि.बो द्वारा प्रायोजित योजनाओं/ परियोजनाओं पर वर्ष 2018–2019 के दौरान व्यय

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	संस्थान का नाम	2018–19	2017–18
1	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड	225	0
2	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय	15	0
3	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी)	0	100
	योग (ग)	**240**	**100**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष में प्राप्त आय और भुगतान रूपये लाख में

प्राप्तियां	चालू वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
1. प्रारंभिक शेष		**1. खर्चे**	
(क) रोकड़ शेष	0.04	क) संस्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	177.65
(ख) बैंक राशि		ख) प्रशासनिक व्यय	871.95
1) चालू खाता			
2) जमा खाता	1,227,808.44	2.विभिन्न परियोजना के लिए राशि का भुगतान	
3) बचत खाता	18,348.43	(प्रत्येक परियोजना को दी गयी भुगतान राशि या परियोजना का विवरण होना चाहिए)	200
		एचएसएससी को अनुदान	225
		आईएसपीआरएल को अनुदान	
2. प्राप्त अनुदान		पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविदयालय को अनुदान	15
क) भारत सरकार से		सीएचटी को अनुदान सहायता	2,057.53
ख) राज्य सरकार से		डीजीएच को अनुदान सहायता	23,899.39
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)	1.29	ओआईएसडी को अनुदान सहायता	2,598.00
अनुदान के लिए पूंजी और राजस्व खर्च अलग से दर्शाएं		पीसीआरए को अनुदान सहायता	6,095.00
		पेट्रोलियम प्लांनिग को अनुदान सहायता	2,395.60
		आईओसीएल को अनुदान सहायता	197.42
3. निवेश से आय			
क) चिह्नित / अक्षय निधि		**3. निवेश और जमा**	
ख) स्वयं की पूंजी (अन्य निवेश)		क) चिह्नित / अक्षय निधियों में से	
		ख) स्वंय की निधि में से (निवेश–अन्य)	
4. प्राप्त ब्याज		**4. अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय**	
क) बैंक जमा पर		क) अचल संपतियों की खरीद	4.75
ख) ऋण अग्रिम आदि	-	ख) पूंजीगत कार्य–प्रगति पर व्यय	10.50
ग) बचत खाता	152.38		
घ) सावधि जमा पर	20,887.18		
		5. अधिशेष राशि /ऋण की वापसी	
		क) भारत सरकार को	
5. अन्य आय (उल्लिखित करें)		ख) राज्य सरकार को	157,280.00
किराए से आय	1.00	ग) अन्य प्रदाताओं के लिए निधि	17,729.51
अचल संपतियों की खरीद	0.03		
		6. वित्त प्रभार (ब्याज)	
6. उधार राशि		**7. अन्य भुगतान (उल्लिखित करें)**	
ऋण और अग्रिम	162,079.93	व्यावसायिक प्रावधान	12.34
		अन्य देयताएं	511.42
7. अन्य प्राप्तियों का (विवरण दें)		**8. अंतिम शेष**	
वापस किया गया अव्यतित अनुदान	42.17	क) नकद	0.00
अन्य प्राप्तियां	52.07	ख) बैंक बैलेंस	
		1) चालू खाता	
		2) जमा खाता	1,215,004.51
		3) बचत खाता	87.38
कुल	**1,429,372.95**	**कुल**	**1,429,372.95**

अध्याय
08

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन।

1. हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2019 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महालेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. इस पृथक, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण/प्रतिवेदनों/सीएंडएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

4. **लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–**

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा वर्ष 2007 में भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित किए गए सामान्य प्रारूप के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में जैसाकि हमारे निरीक्षण में लगा कि तेउविबो द्वारा उचित लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

लेखों पर टिप्पणियां :

(क) तुलनपत्र

क(1) निवेश (अनुसूची –10) – अन्यः रुपये 379871 लाख

मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं होने के कारण उपरोक्त राशि 4013 लाख अधिकतर हो गई है। बीएलएल में ओआईडीबी द्वारा किये गये निवेश के मूल्य में आई स्थायी और निरंतर कमी को एएस 13 की आवश्यकता के अनुसार खातों में प्रकट नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 'व्यय से अधिक आय' कथित राशि जितनी अधिक है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर अलग से ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भी इस पर टिप्पणी की गई थी। हालांकि, बोर्ड द्वारा इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क(2) चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) : रुपये 784639 लाख

उपर्युक्त उल्लिखित राशि में रुपये 8377 लाख की अधिकता है क्योंकि :

(i) मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए रुपये 1200 लाख के ब्रिज लोन का गैर–प्रावधान, हालांकि किश्तों का भुगतान आने वाला नहीं था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर अलग से ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा भी इस पर टिप्पणी की गई थी। हालांकि, बोर्ड द्वारा इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से प्राप्त ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित खर्च को पूरा करने के लिए मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए 7177 लाख रुपये के ऋण का प्रावधान नहीं है। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।

परिणामस्वरूप, "आय की व्यय से अधिकता" भी 8377 लाख रुपये है।

ख सामान्य

ख(1) हाइड्रोजन कॉर्पस फंड्स का गठन और उपयोग

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने जून 2003 में ओआईडीबी और तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान से हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ) बनाने का निर्णय लिया। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना वर्ष 2004 में 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड में ओआईडीबी ने 40 करोड़, आईओसी, ओएनजीसी और गेल प्रत्येक ने 16 करोड़ रुपये और बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक ने 6 करोड़ रुपये का योगदान दिया। एचसीएफ में भाग लेने वाले संगठनों के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र में हाइड्रोजन अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों को करने के लिए सीएचटी को नोडल एजेंसी बनाया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक कॉर्पस फंड में रुपये 152.36 करोड़ की राशि जमा थी, जिसे ओआईडीबी के खातों के बाहर विभिन्न बैंकों में रखा गया है। एचसीएफ के वर्ष 2018–19 के लेखों को अभी तक (सितंबर 2019) अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड के लिए कोई औपचारिक ऑडिट और जवाबदेही प्रणाली मौजूद नहीं है। इसमें शामिल यथेष्ट राशि को देखते हुए, हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की वित्तीय देखरेख करने के लिए एक औपचारिक तंत्र का होना आवश्यक है। इसके अलावा, चूंकि सभी परियोजनाओं को सीएचटी द्वारा किया जाना है, इसलिए ओआईडीबी को उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए फंड को सीएचटी के पास स्थानांतरित कर देना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से पिछले वर्ष के खातों पर भी इस विषय को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था।

ख(2) ओआईडीबी सूखा राहत ट्रस्ट का गठन

अप्रैल से जून 2000 की अवधि में अप्रत्याशित सूखे ने कुछ राज्यों जैसे–आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को प्रभावित किया। तत्कालीन माननीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई अपील के उत्तर में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन राज्यों के सूखा प्रभावित गांवों में पीने के पानी के परिवहन के लिए डीजल की लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। एक चैरिटेबल ट्रस्ट, ओआईडीबी सूखा राहत ट्रस्ट (ओआईडीबी डीआरटी), 1 जून 2000 को बनाया गया । 29 सितंबर 2009 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड के ट्रस्टियों ने इसका नाम बदलकर ओआईडीबी राहत ट्रस्ट करने का फैसला किया क्योंकि सूखा राहत ट्रस्ट के विशिष्ट उद्देश्य पहले पूरे किए जा चुके हैं। ओआईडीबी राहत ट्रस्ट को तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कम्पनियों से 20.60 करोड़ रुपये का योगदान मिला है।

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक कॉर्पस फंड में 17.29 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई थी, जिसे ओआईडीबी के खातों के बाहर विभिन्न बैंकों में रखा गया है। इसके लिए कोई औपचारिक ऑडिट और जवाबदेही प्रणाली मौजूद नहीं है। इसमें शामिल यथेष्ट राशि को देखते हुए, इसकी वित्तीय देखरेख करने के लिए एक औपचारिक तंत्र का होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से पिछले वर्ष के खातों पर भी इस विषय को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था।

ख. अनुदान सहायता

वर्ष 2018–19 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(घ) प्रबंधन पत्र

वो कमियां जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें ठीक करने/उन पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसे सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड को एक पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

(v) इस रिपोर्ट में अनुलग्नक में बताए गए महत्वपूर्ण मामलों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

(vi) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(vii) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं, जिन्हें उन पर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I में उल्लिखित विषय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहॉ तक यह दिनांक 31 मार्च 2019 को तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र से संबंधित हैं, और

ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखों से है, उस दिन समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय के संबंध में है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह0/–

(पी वी हरि कृष्ण)

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा

तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 06 नवम्बर, 2019

अनुलग्नक–I

(संदर्भ अनुच्छेद 4(v) के संदर्भ में)

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2018–2019 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्म से कराई गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने वर्ष 2018–19 के दौरान तिमाही आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फर्म के लेखा परीक्षा के दायरे में खातों की जाँच/सत्यापन, अचल संपत्तियों का सत्यापन, ओआईडीबी द्वारा वितरित ऋण और अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों का सत्यापन शामिल हैं। हालांकि, फर्म के लेखा परीक्षा के दायरे में ओआईडीबी द्वारा किए गए अनुबंधों का ऑडिट शामिल नहीं है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	अनुदानी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ व औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा न तो सत्यापित नहीं की जाती और न ही बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग की निगरानी की जा सके।
3.	अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली	स्थाई संपत्ति रजिस्टर, जिसमें सम्पतिवार पूर्ण और अद्तन विवरण जैसाकि–खरीद की तिथि/संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का वास्तविक मूल्य, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का जोड़ना/घटाना/खरीदना, मूल्यह्रास, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर, कम्प्यूटरों/उससे संबंधित उपकरण, बिजली, संस्थापन आदि होते हैं, को उचित तरीके से कायम नहीं किया जा रहा है।
4.	सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	जैसाकि बताया व सूचित किया गया, कि तेउविबो द्वारा सभी कर तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया था।

ह0/–

प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा

तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई

ओआईडीबी के वित्तीय वर्ष 2018–19 के खातों पर सी एंड एजी की लेखा परीक्षण संबंधी टिप्पणियां और ओआईडीबी की ओर से उत्तर

टिप्पणियां	प्रत्युतर
लेखों पर टिप्पणियां : **(क) तुलनपत्र** क(1) निवेश (अनुसूची –10) – अन्य: रुपये 379871 लाख: मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान नहीं होने के कारण उपरोक्त राशि 4013 लाख अधिकतर हो गई है। बीएलएल में ओआईडीबी द्वारा किये गये निवेश के मूल्य में स्थायी और निरंतर कमी को एएस 13 की आवश्यकता के अनुसार खातों में नहीं दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, 'व्यय से अधिक आय' कथित राशि से अधिक है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर, अलग से ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा भी इस पर टिप्पणी की गई थी। हालांकि, बोर्ड द्वारा इस पर कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।	सीएंड एजी को सूचित किया गया था कि मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल), ने दिनांक 17.06.2015 को पत्र संख्या बीएलएल/ एमडी/डीसीओ/2015–16/017 के द्वारा सूचित किया कि कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के सन्दर्भ में अक्टूबर 2015 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित कर दिया गया था और इसको ध्यान में रखते हुए, कंपनी की पूंजी में कमी की गई। चूंकि पिछले ऑडिट के बाद से स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके अलावा, यह भी बताया जाता है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 10.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएलएल को बंद करने को मंजूरी दे दी है और बीएलएल के प्रशासनिक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ने सीसीईए के फैसले को बीएलएल को पत्र संख्या पी–25011/103/2018– एलपीजी (खण्ड–II) दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए समयबद्ध समापन पर दिनांक 14.06.2018 को डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक सामने नहीं आया है।
क(2) चालू देयताएं ,ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11): रुपये 784639 लाख उपर्युक्त उल्लिखित राशि में रुपये 8377 लाख की अधिकता है क्योंकि : (i) मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए रुपये 1200 लाख के ब्रिज लोन का गैर–प्रावधान, हालांकि किश्तों का भुगतान आने वाला नहीं था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर अलग से ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा भी इस पर टिप्पणी की गई थी। हालांकि, बोर्ड द्वारा इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	जैसाकि बीएलएल को दी गई 1200 लाख रुपये की ऋण राशि के प्रावधानों का संबंध है, यह बताया जाता है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 10–02–2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएलएल को बंद करने को मंजूरी दे दी है और बीएलएल के प्रशासनिक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीसीईए के फैसले को बीएलएल को पत्र संख्या पी–25011/103/2018–एलपीजी (खण्ड–II) दिनांक 16–10–2018 के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए समयबद्ध समापन पर दिनांक 14–06–2018 को डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक सामने नहीं आया है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह दोहराया जाता है कि बकाया ऋण और ब्याज के लेखन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदन के आधार पर कंपनी को अंतिम रूप से बंद करने के बाद ही लेखों में आवश्यक प्रावधान किए जायेंगे।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से प्राप्त ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित खर्च को पूरा करने के लिए गैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए 7177 लाख रुपये के ऋण का प्रावधान नहीं है। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी। परिणामस्वरूप, "आय की व्यय से अधिकता" भी 8377 लाख रुपये है।	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपने पत्र संख्या पी–25011/103/2018 –एलपीजी (खण्ड–II) दिनांक 16–10–2018 में बीएलएल को बंद करने के सीसीईए के फैसले को संप्रेषित किया। सीसीईए अनुमोदन के अनुसार, ओआईडीबी को मौजूदा कर्मचारियों की वीआरएस लागत, कर्मचारियों का बकाया वेतन, बैंकों से सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देनदारियों आदि को पूरा करने के लिए बीएलएल को रुपये 86.65 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना था। सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, मौजूदा कर्मचारियों की वीआरएस लागत, कर्मचारियों का बकाया वेतन, बैंकों से सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देनदारियों आदि को पूरा करने के लिए सीसीईए के निर्णय के अनुसरण में बीएलएल को 7177 लाख रुपये की ओआईडीबी ब्याज मुक्त ऋण सहायता दी गई है। इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उपरोक्त पत्र की खंड संख्या (V) दिनांक 16–10–2018 बीएलएल में उनकी वर्तमान शेयरहोल्डिंग के अनुपात (क्रमशः 67.33% और 32.33%) में ओआईडीबी और भारत सरकार को बीएलएल की अचल संपत्ति की बिक्री आय के वितरण को निर्धारित करता है। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि कंपनी के अंततः बंद होने के बाद बीएलएल की अचल संपत्तियों की बिक्री से वसूली योग्य राशि के निर्धारण के बाद ही आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।
ख सामान्य **ख(1) हाइड्रोजन कॉर्पस फंड्स का गठन और उपयोग** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने जून 2003 में ओआईडीबी और तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान से हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ) बनाने का निर्णय लिया। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना वर्ष 2004 में 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड में ओआईडीबी ने 40 करोड़, आईओसी, ओएनजीसी और गेल प्रत्येक ने 16 करोड़ रुपये और बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक ने 6 करोड़ रुपये का योगदान दिया। एचसीएफ में भाग लेने वाले संगठनों के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र में हाइड्रोजन अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों को करने के लिए सीएचटी को नोडल एजेंसी बनाया गया । लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक कॉर्पस फंड में रुपये 152.36 करोड़ की राशि जमा थी, जिसे ओआईडीबी के खातों के बाहर विभिन्न बैंकों में रखा गया है। एचसीएफ के वर्ष 2018–19 के लेखों को अभी तक (सितंबर 2019) अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड के लिए कोई औपचारिक ऑडिट और जवाबदेही प्रणाली मौजूद नहीं है। इसमें शामिल यथेष्ट राशि को देखते हुए, हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की वित्तीय देखरेख करने के लिए एक औपचारिक तंत्र का होना आवश्यक है।	उक्त टिप्पणियों को प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II, के प्रधान निदेशक द्वारा जारी प्रबंधन पत्र संख्या एमएबी– II/रिपोर्ट/ओआईडीबी ए/ सी 2017–18/टी–1628/548 दिनांक 26 दिसंबर 2018 में किया गया था। ओआईडीबी ने 6 मई, 2019 के माध्यम से टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि एचसीएफ के लिए औपचारिक ऑडिट और जवाबदेही प्रणाली मौजूद है। ओआईडी बोर्ड को भी ओआईडीबी द्वारा प्रस्तुत प्रबंधन पत्र और उत्तरों के बारे में अवगत करा दिया गया था । एचसीएफ के वर्ष 2018–19 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया गया था और उसी के लिए आयकर रिटर्न भी 24.09.2019 को निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर कर किया गया । हालांकि, ऑडिट के सुझाव के अनुसार उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए, हाइड्रोजन कॉर्पस फंड को सीएचटी को स्थांनतरित करने के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष यह मामला ले जाया जाएगा ताकि फंड को सीएचटी को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जा सके।

इसके अलावा, चूंकि सभी परियोजनाओं को सीएचटी द्वारा किया जाना है, इसलिए ओआईडीबी को उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए फंड को सीएचटी के पास स्थानांतरित कर देना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से पिछले वर्ष के खातों पर भी इस विषय को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था।	
ख(2) ओआईडीबी सूखा राहत ट्रस्ट का गठन अप्रैल से जून 2000 की अवधि में अप्रत्याशित सूखे ने कुछ राज्यों जैसे – आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को प्रभावित किया। तत्कालीन माननीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई अपील के उत्तर में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन राज्यों के सूखा प्रभावित गांवों में पीने के पानी के परिवहन के लिए डीजल की लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। एक चैरिटेबल ट्रस्ट, ओआईडीबी सूखा राहत ट्रस्ट (ओआईडीबी डीआरटी), 1 जून 2000 को बनाया गया। 29 सितंबर 2009 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड के ट्रस्टियों ने इसका नाम बदलकर ओआईडीबी राहत ट्रस्ट करने का फैसला किया क्योंकि सूखा राहत ट्रस्ट के विशिष्ट उद्देश्य पहले पूरे किए जा चुके हैं। ओआईडीबी राहत ट्रस्ट को तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कम्पनियों से 20.60 करोड़ रुपये का योगदान मिला है। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक कॉर्पस फंड में 17.29 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई थी, जिसे ओआईडीबी के खातों के बाहर विभिन्न बैंकों में रखा गया है। इसके लिए कोई औपचारिक ऑडिट और जवाबदेही प्रणाली मौजूद नहीं है। इसमें शामिल यथेष्ट राशि को देखते हुए, इसकी वित्तीय देखरेख करने के लिए एक औपचारिक तंत्र का होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से पिछले वर्ष के खातों पर भी इस विषय को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था।	उक्त टिप्पणियों को प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड– II, के प्रधान निदेशक द्वारा जारी प्रबंधन पत्र संख्या एमएबी– II/रिपोर्ट/ओआईडीबी ए/ सी 2017–18/टी–1628/548 दिनांक 26 दिसंबर 2018 में किया गया था। ओआईडीबी ने 6 मई, 2019 के माध्यम से टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि ओआईडीबी द्वारा खातों का रखरखाव किया जा रहा है और सी एंड एजी द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट किया जा रहा है। आयकर रिटर्न नियमित रूप से दाखिल किए जाते हैं। यह भी बताया गया कि ट्रस्ट के दायरे और ट्रस्ट की निरंतरता या अन्यथा मामले की समीक्षा की जा रही है। ओआईडी बोर्ड को भी ओआईडीबी द्वारा प्रस्तुत प्रबंधन पत्र और उत्तरों के बारे में अवगत करा दिया गया था । यह आगे बताया गया है कि ओआईडीबी रिलीफ ट्रस्ट ने 2.5.2019 को आयोजित अपनी 17वीं बैठक में संयुक्त सचिव (एम)/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ली गई बैठक की सिफारिशों पर ध्यान दिया और निर्देश दिया कि पहले प्रयास में, 6 महीने की अवधि में सूखे, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा जैसे ट्रस्ट के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध धन का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करके प्रयास किए जा सकते हैं। उसके बाद ट्रस्ट के विघटन पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, सभी राज्य सरकारों से ओआईडीबी रिलीफ ट्रस्ट से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्तावों का अनुरोध किया गया । 27.09.2019 को आयोजित 18वीं बोर्ड के ट्रस्टीज की बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए कार्यवृत्त प्रस्तुत किए जाने हैं।
ख.3. अनुदान सहायता वर्ष 2018–19 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।	ओआईडीबी को अतिरिक्त उपकर आय के हस्तांतरण के मामले को विभिन्न अवसरों पर उठाया गया था। हालाँकि, 1992–93 के बाद से अब तक ओआईडीबी को कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर से कोई भी नया अंश आवंटित नहीं किया गया है।

अनुलग्नक

(संदर्भ अनुच्छेद 4 सी (V) के संदर्भ में)

क्र.सं.	टिप्पणियां	प्रत्युतर
1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2018–2019 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्म से कराई गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने वर्ष 2018–19 के दौरान तिमाही आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फर्म के लेखा परीक्षा के दायरे में खातों की जाँच/सत्यापन, अचल संपत्तियों का सत्यापन, ओआईडीबी द्वारा वितरित ऋण और अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों का सत्यापन शामिल हैं। हालांकि, फर्म के लेखा परीक्षा के दायरे में ओआईडीबी द्वारा किए गए अनुबंधों का ऑडिट शामिल नहीं है।	ओआईडीबी ने लेखा और कर संबंधी मामलों के निर्धारण और ओआईडीबी को परामर्श से संबंधित सहायता एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया द्वारा मैसर्स सुशील गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखें सीएंडएजी के मानदंडों और लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.09. 2019 के माध्यम से त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां लेखापरीक्षक को प्रस्तुत की गई थीं। जिन पर कोई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नहीं हैं।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** अनुदानी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ व औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा न तो सत्यापित नहीं की जाती और न ही बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग की निगरानी की जा सके।	ओआईडीबी द्वारा अपने अनुदानी संस्थान को जारी किए गए अनुदान का बड़ा हिस्सा मजदूरी और वेतन, कार्यालय व अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होता हैं । कार्यालय के उपकरण जिनका जीवनकाल सीमित और अपेक्षाकृत कम लागत वाले हैं, जैसेकि कंप्यूटर, फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, फर्नीचर इत्यादि के अतिरिक्त, इस अनुदान से किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं बनाई जाती है। उचित अनुदान की निगरानी के संदर्भ में, बोर्ड की अपनी विभिन्न बैठकों में अनुदान की उपयोगिता की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा ओआईडीबी द्वारा एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है, जिसमें शीर्ष वार अनुमोदित बजट तथा पिछले माह तक किए गए व्यय के ब्यौरे एवं वर्तमान माह की मांग को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और अनुदान जारी करने से पूर्व शीर्ष वार अनुमोदित बजट के अनुसार जांच की जाती है। इन विवरणों की जांच ओआईडीबी को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि न तो बजट अनुदान से अधिक व्यय किया गया हो और न ही निधियों की निष्क्रियता रही हो क्योंकि विगत माह तक प्राप्त अनुदान के उपयोग की प्रगति पर ही वर्तमान अनुदान निर्भर करते हैं। सभी अनुदान प्राप्त संगठनों के बजट प्रावधानों को ओआईडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है।

		वित्तीय वर्ष के अंत में, खातों के लेखा परीक्षित विवरणों के साथ जीएफआर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं।
3.	**अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली** स्थाई संपत्ति रजिस्टर, जिसमें सम्पतिवार पूर्ण और अद्तन विवरण जैसाकि–खरीद की तिथि/संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का वास्तविक मूल्य, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का जोड़ना/घटाना/खरीदना, मूल्यह्रास, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर, कम्प्यूटरों/उससे संबंधित उपकरण, बिजली, संस्थापन आदि होते हैं, को उचित तरीके से कायम नहीं किया जा रहा है।	यह प्रस्तुत है कि ओआईडीबी द्वारा मद संबंधी विवरण, स्थान, मात्रा, लागत, क्रय आदेश, विक्रेता के विवरण आदि को दर्ज करने के लिए संपत्ति और मालसूची रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। हालांकि, सीएंडएजी लेखापरीक्षा के अनुसार, जीएफआर– 22 प्रारूप के अनुसार संपत्ति और मालसूची संबंधी रजिस्टर को उचित तरीके से बनाए रखने के लिए व जीएफआर में निर्धारित प्रारूप में परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन और स्थाई संपत्ति रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य मैसर्स दीपक भार्गव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सौंपा गया है। इस प्रकार, लेखा परीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों को समयबद्ध तरीके से संकलित कर लिया जाएगा और लेखा परीक्षा को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। सभी कर और वैधानिक देय राशि का समय पर भुगतान कर दिया गया।
4.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** जैसाकि बताया व सूचित किया गया, कि तेउविबो द्वारा सभी कर तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया था।	सभी कर और वैधानिक देय राशि का समय पर भुगतान कर दिया गया।

अध्याय
09

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड(आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे

निदेशक मंडल

श्री के.डी. त्रिपाठी	अध्यक्ष	(30.06.2018 तक)
डॉ. एम. एम. कुट्टी	अध्यक्ष	(18.07.2018 से)
श्री राजीव बंसल	निदेशक	(18.08.2017 से)
श्री संजय सुधीर	निदेशक	(21.02.2019 तक)
श्री आशीष चटर्जी	निदेशक	(14.11.2018 तक)
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	निदेशक	(14.11.2018 से)
श्री बी. एन. रेड्डी	निदेशक	(09.04.2019 से)
श्री एच. पी. एस. आहुजा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(02.06.2017 से)
श्रीमती किरन वासुदेवा	निदेशक	(31.08.2018 से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.पी.एस. आहुजा

कंपनी सचिव
श्री अरूण तलवार

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स गोयल एडं गोयल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स
कार्पोरेशन बैंक
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110 001

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी, भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन : 91–120–2594661, फैक्स : 91–120–2594643
वेबसाईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापट्टनम् परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एचएसएल फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापट्टनम्–530 005
फोन : 0891–2868000

मंगलौर परियोजना कार्यालय
चन्द्राहास नगर, कलावर पोस्ट, वाया बाजपे
मंगलूरू–574142, फोन : 0824–2881810

पादुर परियोजना कार्यालय
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106, कर्नाटक
फोन : 0820–2556817

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 15वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखे का लेखा–परीक्षित विवरण तथा तत्संबंधी लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट को सहर्ष प्रस्तुत करता है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	विवरण	आंकड़े लाखों में	
		31 मार्च 2019 के अनुसार	31 मार्च 2018 के अनुसार
(क)	1 अप्रैल, के अनुसार प्रगतिधीन कार्य का प्रारंभिक शेष	1,55,373.12	1,52,106.27
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन पूर्व व्यय	9,264.22	5,266.85
(ग)	अचल परिसंपत्तियों (पीपीई) में निवल वृद्धि	1,63,781.79	65.32
(घ)	निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	12,919.37	13,597.40
(ड.)	निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	(1,041.66)	724.76
(च)	संचित हानि / लाभ	(23,321.65)	(-)16,595.39
	कुल (क+ख+ग+घ+ड+च)	**3,16,975.19**	**1,55,165.21**
	निवल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां {(i)-(ii)}	**12,919.37**	**13,597.40**
	(i) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां (दीर्घावधि ऋण और अग्रिम)	13,089.82	13,617.12
	(ii) गैर–वर्तमान देयताएं	170.45	19.68
	निवल वर्तमान परिसंपत्तियां {(i)-(ii)}	**(1,041.66)**	**724.76**
	(i) वर्तमान परिसंपत्तियां	11,483.12	4,996.60
	(ii) वर्तमान देयताएं	12,524.77	4,271.84

कार्य–निष्पादन समीक्षा

आपकी कंपनी को 5.33 एमएमटी कच्चे तेल के भण्डारणों को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है (अनुपातिक लागत साझेदारी आधार पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ साझा किये जाने वाले 0.30 एमएमटी सहित)। सामरिक भण्डारों के सृजन हेतु चयन किये गए स्थल विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। रणनीतिक भंडारण स्थलों के निर्माण की पूंजी लागत को मूल रूप से सितंबर 2005 की कीमतों के आधार पर ₹2,397 करोड़ तक अनुमानित किया गया था। विशाखापट्टनम की संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) जून, 2011 में प्राप्त किया गया था तथा तत्पश्चात् फरवरी 2015 में पुनः प्राप्त

किया गया था। मंगलौर और पादुर के लिए आरसीई को नवंबर, 2013 में मंजूरी प्रदान की गई थी।

तीनों स्थलों के लिए, आरसीई इस प्रकार हैं: विशाखापट्टनम – ₹1,178.35 करोड़; मंगलौर ₹1,227 करोड़ और पादुर – ₹1,693 करोड़। इस प्रकार, परियोजनाओं की कुल संशोधित लागत ₹4098.35 करोड़ होती है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, विशाखापट्टनम की पूंजीगत लागत ओआईडीबी में उपलब्ध मौजूदा निधियों से पूरा किया जाएगा, 0.3 एमएमटी को छोडकर जिसे अनुपातिक लागत आवंटन आधार पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पूर्ण किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया गया था कि इन सामरिक भंडारणों की प्रचालन और रखरखाव लागत भारत सरकार द्वारा की जाएगी। भारत सरकार द्वारा 2012–17 की 12वीं पंचवर्षीय योजना में तेल भंडारण की लागत के लिए ₹4,948 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इन निधियों में से, विशाखापट्टनम का एक 1.03 एमएमटी कम्पार्टमेंट और मैंगलोर कैवर्न का एक 0.75 एमएमटी कम्पार्टमेंट भरा गया है।

आपकी कंपनी द्वारा तीन स्थलों की कैवर्न परियोजनाओं का सफलतापूर्वक कमीशन किया है, जो देश की एसपीआर परियोजनाओं के प्रथम चरण के सफलता पूर्वक पूर्णता का प्रतीक है।

सभी तीनों स्थलों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

एसपीआर के द्वितीय चरण कार्यक्रम के तहत, सैद्धांतिक रूप से 6.5 एमएमटी पेट्रोलियम भंडारणों का निर्माण और कच्चे तेल की लोडिंग/अनलोडिंग से संबंधित व संबंधित सुविधा स्थलों के लिए भूमिगत असम्पीडित चट्टानी कैवर्नों मे स्टोर करने के लिए चांदीखोल, ओडिशा (4.0 एमएमटी) और पादुर II, कर्नाटक (2.5 एमएमटी) के कार्य को अनुमोदित किया गया है। यह सैद्धांतिक अनुमोदन, भारत सरकार के बजटीय सहयोग को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना को आरंभ करने से संबंधित है।

1. विशाखापट्टनम (भण्डारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

बोर्ड के सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापट्टनम कैवर्न का कमीशन वर्ष 2015 में किया गया था। इस स्थल में दो कम्पार्टमेंट कैवर्न ए (1.03 एमएमटी) और कैवर्न बी (0.3एमएमटी) हैं। कैवर्न ए

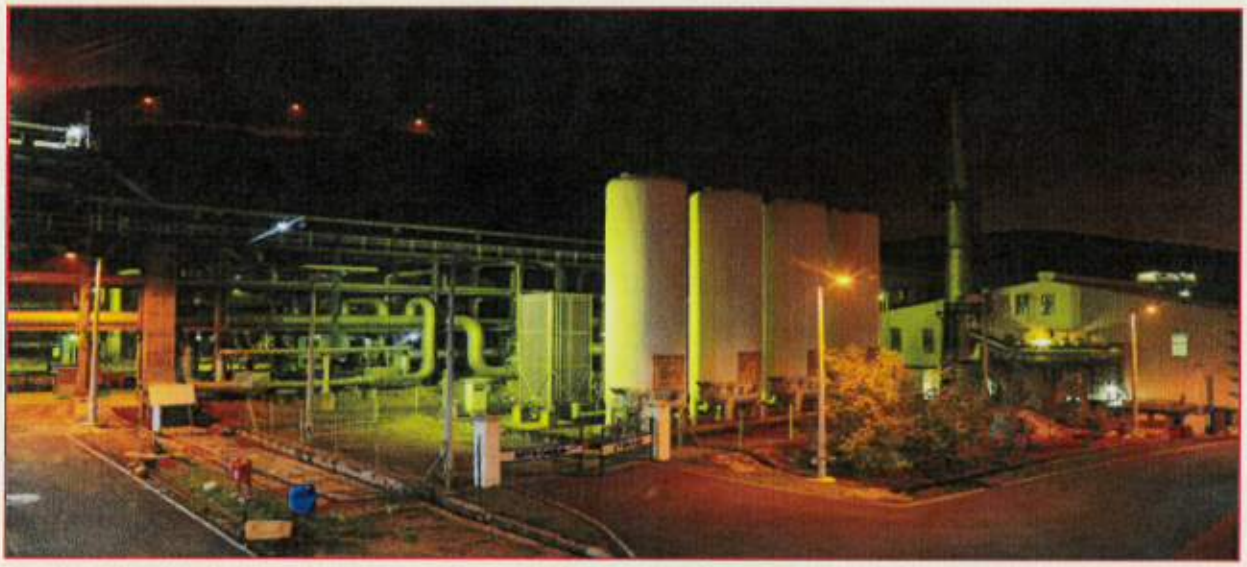

विशाखापट्टनम संयंत्र का रात्रिकालीन दृश्य

सामरिक कच्चे तेल के लिए है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध की गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल द्वारा आनुपातिक लागत साझाकरण के आधार पर कैवर्न बी को लिया है। इसे एचपीसीएल द्वारा विशाखापट्टनम स्थित अपने रिफाइनरी प्रचालन के लिए नियमित रूप से उपयोग मे लाया जा रहा है।

2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता :1.5 एमएमटी)

बोर्ड को सदस्यों को यह भी सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मंगलौर कैवर्न के दोनों कम्पार्टमेंटों को चालू कर दिया गया है। पहले कम्पार्टमेंट अर्थात कैवर्न बी को अक्टूबर 2016 में कमीशन किया गया था, इसे दिसंबर 2016 माह में पूर्ण रूप से 50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट कच्चे तेल के तीन वीएलसीसी पार्सल के द्वारा भर दिया गया था।

21 मई 2018 को आईएसपीआरएल मंगलौर में एडीएनओसी की ओर से पहली क्रूड ऑयल की खेप प्राप्त करते हुए।

मई 2018 से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान कैवर्न ए को भी एडीएनओसी की ओर से प्राप्त दास क्रूड ऑयल के तीन पार्सल से भर दिया गया है। एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच फरवरी 2018 में हुए समझौते के तहत एडीएनओसी द्वारा इस कैवर्न को भरने के लिए कच्चा तेल प्रदान किया है।

इस वर्ष के दौरान, लगभग 0.625 एमएमटी क्रूड ऑयल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) को मैंगलोर कैवर्न – बी से पादुर कैवर्न परियोजना की ओर स्थानांतरित किया गया था और लगभग 0.179 एमएमटी क्रूड ऑयल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) की खरीद की गई और इसे मंगलौर की कैवर्न – बी में भरा गया।

0.179 एमएमटी क्रूड ऑयल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) को एमआरपीएल के माध्यम से ₹534 करोड़ की समतुल्य राशि से प्राप्त किया गया, यह कार्य क्रूड ऑयल की भराई के लिए आवंटित शेष राशि के उपयोग द्वारा किया गया था।

मंगलौर प्लांट का परिदृश्य

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

बोर्ड द्वारा सदस्यों को यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि मंगलौर की कैवर्न–बी में उपलब्ध कच्चे तेल (50 प्रतिशत ईरान हेवी + 50 प्रतिशत ईरान लाइट) को हस्तांतरित करके दिसंबर 2018 में पादुर कैवर्न परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है।

पादुर सुविधा में प्रत्येक 0.625 एमएमटी के चार कम्पार्टमेंट हैं अर्थात कैवर्न ए, कैवर्न बी, कैवर्न सी व कैवर्न डी जिनकी कुल क्षमता 2.5 एमएमटी है। इन सभी चारों कम्पार्टमेंटों को आंशिक रूप से कच्चे तेल से भरा गया है।

वर्तमान में कच्चे तेल की आंशिक मात्रा को इस सुविधा के सभी चार कम्पार्टमेंटों में स्थानांतरित कर सुविधा को कमीशन कर दिया गया है। अंततः, कच्चे तेल को एक ही कम्पार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

पादुर के शेष तीन कम्पार्टमेटों को एक उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से भरना प्रस्तावित किया गया है, जिससे उपलब्ध भंडारण स्थल का प्रभावी वाणिज्यिक और सामरिक उपयोग हो सके। पादुर की प्रत्येक दो 0.625

पादुर सुविधा का फ्लेयर क्षेत्र

एमएमटी कैवर्नों को भरने के लिए एडीएनओसी के साथ 11 नवंबर 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक निश्चित अनुबंध, एडीएनओसी के परामर्श से तैयार होने/अंतिम रूप प्रदान करने के कार्यान्वयनाधीन है।

4. सामरिक भण्डार कार्यक्रम का चरण–II

एसपीआर के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के तहत, आईएसपीआरएल 6.5 एमएमटी पेट्रोलियम भंडारणों व संबंधित सुविधा स्थलों के लिए भूमिगत असम्पीडित चट्टानी कैवर्नओं को चांदीखोल, ओडिशा (4.0 एमएमटी) और पादुर II,

माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिल्ली में आईएसपीआरएल रोड़ शो कार्यक्रम का उद्घाटन।

आईएसपीआरएल में पीपीपी के लिए रोड शो प्रगति पर

कर्नाटक (2.5 एमएमटी) में निर्माण कार्य का इरादा रखता है। इसके साथ साथ आईएसपीआरएल द्वारा मंगलौर, पादुर और चांदीखोल में अपने मौजूदा और आगामी स्थलों को समर्पित करने के लिए सिंगल प्वाईंट मूरिंग (एसपीएम) सुविधा का निर्माण करने की भी योजना की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चांदीखोल, ओडिशा (4 एमएमटी) और पादुर, कर्नाटक (2.5 एमएमटी) नामक दो स्थानों पर दो एसपीआर के लिए एक समर्पित एसपीएम को शामिल करते हुए 6.5 एमएमटी सामरिक पेट्रोलियम भंण्डारण स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह 'सैद्धांतिक अनुमोदन', भारत सरकार के बजटीय सहयोग को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना को आरंभ करने से संबंधित है। आईएसपीआरएल द्वारा इन एसपीआरज़ के निर्माण के लिए वित्तीय निवेशक/कारोबारी/घरेलू व विदेशी तेल परिशोधक व विपणन कंपनियां/बड़ी निर्माण कंपनियां/संप्रभु पूँजीगत् निधियों की भांति के संभावित भागीदार विकल्पों की खोज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत की जा रही है। यह चरण II के तहत विकसित परिकल्पित पेट्रोलियम भंडारण सुविधाओं के निर्माण कार्य, भराई और प्रचालन हेतु इन भागीदारों के साथ एक रियायती समझौते को करने को नियोजित कर रहा है।

आईएसपीआरएल द्वारा अभिच्छुक तेल और बुनियादी ढांचायुक्त कंपनियों के साथ एक उपयुक्त वित्तीय मॉडल तैयार करने के लिए एक कार्यसम्पादक सलाहकार मैसर्स डिलॉइट को कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। परामर्श प्रक्रिया को निर्वाहित करने के मार्गदर्शक कार्यक्रमों और वन टू वन निरंतर वार्ताओं को नई दिल्ली (17 –18 अक्टूबर 18), सिंगापुर (26–27 अक्टूबर–18) और लंदन (29–30 अक्टूबर 18) में आयोजित किया गया। माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिल्ली में भावी पीपीपी निवेशकों के लिए आईएसपीआरएल रोड़ शो कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सलाहकार द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गईं जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारत सरकार और नीति आयोग से अपेक्षित समर्थन के साथ साथ पीपीपीएसी की सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों को समेकित किया जा रहा है।

लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

आरक्षित को अंतरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए घाटे को 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के रिजर्व्स में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सार्वजनिक जमा

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2019 के अनुसार जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित, स्वीकृत अथवा नवीनिकृत नहीं किया है और तदानुसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

लेखा–परीक्षा समिति

बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति गठित की है। लेखा परीक्षा समिति में 31 मार्च 2019 तक निम्नलिखित निदेशक शमिल हैं।

(i) श्री राजीव बंसल : अध्यक्ष
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओपीएडंएनजी
निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच.पी.एस. आहुजा : सदस्य
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति में वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशक शमिल किए गए।

(i) श्री संजय सुधीर* : अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी
निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच.पी.एस. आहुजा : सदस्य
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

*श्री सुंजय सुधीर निदेशक के पद पर दिनांक 21.02.2019 तक थे। बोर्ड ने 06.05.2019 को एनआरसी को पुनर्गठित किया और श्री बी.ए. रेडी, निदेशक, आईएसपीआरएल को अध्यक्ष एन आर सी नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी की एक सीएसआर नीति है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया है। बोर्ड ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कमेटी गठित की है, जिसमें वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशक शमिल किए हैं।

(i) श्री संजय सुधीर* : अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी
निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच.पी.एस. आहुजा : सदस्य
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

*श्री सुंजय सुधीर निदेशक के पद पर दिनांक 21.02.2019 तक थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुपालन में, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण फार्म सं. एमजीटी–9 में **अनुलग्नक–क** के रूप में संलग्न है।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुई जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1) 04 मई, 2018
2) 18 जुलाई, 2018
3) 14 नवम्बर, 2018
4) 26 फरवरी, 2019

वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या तथा तिथि और प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष 18–19 के दौरान कंपनी के बोर्ड मे कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

जोखिम प्रबंधन

प्रभावी जोखिम प्रबंधन कंपनी की सतत् सफलता हेतु महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास कंपनी प्रचालनों से संबद्ध जोखिमों की पहचान और जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से संबद्ध प्रमुख जोखिम खनिज तेल प्राप्ति तथा भंडारण और वितरण से संबंधित है। इन जोखिमों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अपना कर तथा पर्याप्त बीमा कवर लेकर न्यून किया जाता है।

प्रमुख प्रबंधक कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक निम्नलिखित थे :

क) मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक – श्री एच.पी.एस. आहुजा

ख) मुख्य वित्त अधिकारी – श्री गौतम सेन

ग) कंपनी सचिव – श्री अरूण तलवार

पारिश्रमिक

आईएसपीआरएल बोर्ड में मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) द्वारा मनोनीत अधिकारी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित पदाधिकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया था। मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक और कंपनी के अन्य अधिकारी तेल क्षेत्र के पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।

भौतिक परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं

ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हैं जो तुलन–पत्र से संबंधित कंपनी के वित्त–वर्ष के समापन के पश्चात तथा रिपोर्ट की तिथि के मध्य हुए हो।

कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेशों के ब्यौरे

कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले किसी महत्वपूर्ण तथा भौतिक आदेश को नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया था।

सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहभागी कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी की कोई सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहभागी कंपनी नही है।

लागत लेखा–परीक्षा

अधिनियम की धारा 148 के संदर्भ में, कंपनी को लागत लेखाकार द्वारा आयोजित अपनी लागत के लेखा–परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

लेखा–परीक्षक

सांविधिक लेखा–परीक्षा :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सी एंड ए जी) ने मैसर्स गोयल एडं गोयल (डीई0577), सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है जिन्होंने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है **(अनुलग्नक–ख)**। शेयरधारकों को लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता शामिल नहीं है।

कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के तहत आयोजित पूरक लेखा–परीक्षा के आधार पर सी एंड ए जी ने कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत एक अवलोकन किया है। सी एंड ए जी का अवलोकन प्रबंधन के उत्तर के साथ

अनुलग्नक–ग पर संलग्न है।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा :

वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड ने मैसर्स एस.एन. अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सचिव (सीपी संख्या – 3581), पूर्णकालिक प्रैक्टिस में होने वाले कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 हेतु सचिवालयीन लेखा–परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। सचिवालयीन लेखा–परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ (**अनुलग्नक–घ**) के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों को लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण अर्हता शामिल नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, अनुसंधान और विकास तथा निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

कंपनी ने विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर केवर्नों को चालू कर दिया है। कंपनी के पास ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेश किए जाने के संबंध में प्रकाशित की जाने वाली कोई जानकारी नहीं है।

कंपनी का वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं था। तथापि, इसमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने व्यापार क्रियाकलापों हेतु कुल ₹32.11 लाख की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रक

समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास वित्तीय वक्तव्यों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध तथा निवारण और उससे संबंधित या प्रासंगिक सभी मामलों और 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा समाधान) अधिनियम, 2013 में समाविष्ट सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक नीति बनाई है। कंपनी ने अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के संविधान से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को अधिनियम के तहत कोई शिकायत नहीं मिली।

बोर्ड मूल्यांकन

बोर्ड और उसकी समितियों के व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड प्रदर्शन मूल्यांकन नीति के अनुसार किया गया था।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना की रिपोर्टिंग नहीं की गई है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का ब्यौरा

वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा कोई ऋण नहीं दिया और न कोई निवेश किया गया है। आईएसपीआरएल ने संबंधित प्रवेश कर मामले के संबंध में उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मंगलौर को

31 मार्च, 2019 को ₹38.43 लाख की बैंक गारंटी दी है।

संबंधित पक्ष कारोबार

सभी संबंधित पक्ष कारोबार ओआईडीबी द्वारा इक्विटी पूंजी भागीदारी और मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक आईएसपीआरएल, मु.वि.अ. आईएसपीआरएल और कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान तक ही सीमित थे। संबंधित पक्षों के साथ ये संव्यवहार व्यापार के समान्य सचालन के दौरान किए गए अतिरिक्त संसाधनों के विस्तार पर हैं एवं सामग्री के आधार पर नहीं है।

सचिवालयी मानकों का अनुपालन

इंस्टीटयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीस ऑफ इड़िया द्वारा निर्धारित सचिवालयी मानकों का कम्पनी द्वारा पूर्णतया पालन किया जाता है।

कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति कम्पनी की वेबसाईट www.isprlindia.com पर रखी जायेगी।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 उप–धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत कंपनी कर निदेशक मंडल अपने सर्वोतम ज्ञान और योग्यता के साथ निर्दिष्ट और पुष्टि करते हैं:

(क) वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय एवं अनुमान बनाए हैं जो उचित और समझदार हैं ताकि 31 मार्च, 2019 को कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस वर्ष के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे "अनवरत संबंध" के आधार पर तैयार किए हैं।

(ड.) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किए थे और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त थे एवं प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

निदेशक मंडल

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में 31 मार्च, 2019 के अनुसार चार अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक और एक पूर्णकालिक सीईओ एवं एमडी है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. डॉ. एम.एम. कुट्टी (डीआईएन 01943083), सचिव, एमओपीएडंएनजी – अध्यक्ष
2. श्री राजीव बंसल (डीआईएन 00245460), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओपीएडंएनजी– निदेशक

3. श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (डीआईएन 07464700) – सचिव, ओआईडीबी / निदेशक
4. श्री एच.पी.एस आहुजा (डीआईएन 07793886), मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
5. श्रीमती किरन वासुदेवा (डीआईएन 06419718), निदेशक (जीपी) एमओपीएडंएनजी – निदेशक

01 अप्रैल, 2018 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

1. श्री के.डी. त्रिपाठी (डीआईएन 07239755), सचिव, एमओपीएडंएनजी – अध्यक्ष आईएसपीआरएल (30.06.2018 तक)
2. डॉ. एम.एम. कुट्टी (डीआईएन 01943083), सचिव, एमओपीएडंएनजी – अध्यक्ष आईएसपीआरएल (18.07.2018 से नियुक्ति)
3. श्रीमती किरन वासुदेवा (डीआईएन 06419718), निदेशक (जीपी), एमओपीएडंएनजी – निदेशक आईएसपीआरएल (31.08.2018 से 31.05.2019 तक)
4. श्री आशीष चटर्जी (डीआईएन 07688473), सयुंक्त सचिव (जीपी), एमओपीएडंएनजी – निदेशक आईएसपीआरएल (14.11.2018 तक)
5. श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (डीआईएन 07464700) – सचिव, ओआईडीबी / निदेशक आईएसपीआरएल (14.11.2018 से नियुक्ति)
6. श्री संजय सुधीर (डीआईएन 07396936), सयुंक्त सचिव (आईसी), एमओपीएडंएनजी – निदेशक आईएसपीआरएल (21.02.2019 तक)
7. श्री बी.एन. रेड्डी (डीआईएन 08389048), ओएसडी (आईसी), एमओपीएडंएनजी – निदेशक आईएसपीआरएल (09.04.2019 से नियुक्ति)

अभिस्वीकृति

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्ग–दर्शन तथा सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता / –	हस्ता / –
(बी.एन.रेड्डी)	(एच.पी.एस. आहुजा)
निदेशक	मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 08389048)	(डीआईएन 07793886)

दिनांक : 04.09.2019
स्थान : नई दिल्ली

(अनुलग्नक–I)

बोर्ड की समितियों और बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा और निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या

लेखा–परीक्षा समिति :

लेखा–परीक्षा समिति की वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान दो बैठकें हुई थी। ये बैठकें 1 जून, 2018 और 21 अगस्त, 2018 को आयोजित की गई थी। लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष	2
2	श्री एच.पी.एस. आहुजा	सदस्य	2

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एनआरसी की एक बैठक हुई थी। ये बैठक 28 अगस्त, 2018 को आयोजित की गई थी। एनआरसी बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री संजय सुधीर	अध्यक्ष	1
2	श्री एच.पी.एस. आहुजा	सदस्य	1

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

निदेशक मंडल :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की चार बैठकें हुई जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है –

(i) 04/05/2018
(ii) 18/07/2018
(iii) 14/11/2018
(iv) 26/02/2019

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या
1	श्री के.डी. त्रिपाठी (30.06.2018 तक)	अध्यक्ष	1
2	डॉ. एम.एम. कुट्टी (18.07.2018 से नियुक्ति)	अध्यक्ष	3
3	श्री राजीव बंसल	निदेशक	3
4	श्री संजय सुधीर (21.02.2019 तक)	निदेशक	1
5	श्री आशीष चटर्जी (14.11.2018 तक)	निदेशक	3
6	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (14.11.2018 से नियुक्ति)	निदेशक	2
7	श्री एच.पी.एस आहुजा	सीईओ एवं एमडी	4
8	श्रीमती किरन वासुदेवा (31.08.2018 से नियुक्ति)	निदेशक	1

अनुलग्नक–क

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :

(i) सीआईएन : U63023DL2004GOI126973

(ii) पंजीकरण तिथि–16 जून, 2004

(iii) कंपनी का नाम – इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

(iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी – गैरसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे – 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001, टेलीफोन : 0120–2594641 फैक्स : 0120–2594643

(vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है – नहीं

(vii) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो – लागू नही

II. कंपनी के क्रियाकलाप

विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में सामरिक खनिज तेल भंडारण कैवर्नों का निर्माण, कैवर्नों का प्रचालन और कैवर्न में खनिज तेल की अभिरक्षा।

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	खनिज तेल कैवर्न सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण	43900 52109	--
2.	--	--	--

III. धारक कंपनी के ब्यौरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	पैन नम्बर	धारक कंपनी/ अनुषंगी कंपनी/ एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	AAAJO0032A	धारक	100	2(46)

IV. शेयर धारित पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के तौर पर इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

(i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) कारपोरेट निकाय	शून्य	368.11	368.11	100	374.84	शून्य	374.84	100	1.83
(ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क) (1) :–	शून्य	**368.11**	**368.11**	**100**	**374.84**	शून्य	**374.84**	**100**	**1.83**
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई–व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) अन्य – व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) कारपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क) (2) :–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क)= (क)(1)+(क)(2)	शून्य	**368.11**	**368.11**	**100**	**374.84**	शून्य	**374.84**	**100**	**1.83**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख) (1) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) कारपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) ₹1 लाख तक की नामिनिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) ₹1 लाख से अधिक की नामिनिक शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख) (2) :–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) जीडीआर और एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल जोड़ (क+ख+ग)	शून्य	368.11	368.11	100%	374.84	शून्य	374.84	100%	1.83

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम*	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन/ भाराक्रांत रखे गए शेयरों का %	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में रेहन/ भाराक्रांत रखे गए शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर धारिता के % परिवर्तन
1	तेल उद्योग विकास बोर्ड							
	कुल	**368.11**	**100**	शून्य	**374.84**	**100**	शून्य	**1.83**

* तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के अतिरिक्त, कंपनी के 6 अन्य शेयरधारक हैं, जो ओआईडीबी के नामिति हैं, प्रत्येक ने एक शेयर धारित किया है। अन्य 6 शेयरधारकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) श्री गणेश चन्द्र डोभाल
(2) श्री राजेश कुमार सैनी
(3) श्री गिरीश चन्द्र
(4) श्रीमती ज्योति शर्मा
(5) श्री एम.एस. चौहान
(6) श्री राजेश मिश्रा

(iii) प्रर्वतकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ में)	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	**368.11**	100	**368.11**	100
	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान शेयरों का आवंटन **i) 04/05/2018** 43,10,000 शेयरों **ii) 28/06/2018** 1,00,00,000 शेयरों **iii) 26/02/2019** 5,30,00,000 शेयरों	वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेयरों का आवंटन 6.73 करोड़			
	वर्ष के अंत में	**374.84**	100	**374.84**	100

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रर्वतकों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) :

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	10 शीर्ष शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / कमी हेतु कारण निर्दिष्ट करते हुए शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि / कमी (जैसे कि आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथकीकरण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं तो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र.सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी का कारण निर्दिष्ट करते हुए (जैसे की आवंटन / अतंरण / बोनस / स्वेट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / प्रोदभूत ब्याज किंतु भुगतान हेतु देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण (लाख रूपये में)	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (i) मूल धन (ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज (iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (i) मूल धन (ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज (iii) प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	एमडी / डब्ल्यूटीडी का नाम	कुल राशि (₹ लाख में)
		श्री एच.पी.एस आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक	
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	₹ 71.26 (क+ख+ग)	₹ 71.26 (क+ख+ग)
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, निर्दिष्ट करें...	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल (क)	₹ 71.26	₹ 71.26
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	₹ 154.31	₹ 154.31

*अधिकारी की मूल कंपनी से प्राप्त वास्तविक डेबिट नोट्स के आधार पर

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशक का नाम		कुल राशि (₹ लाख में)
	1. स्वतंत्र निदेशक	-	-	-
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-
	2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक			
	• बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (ख) = (1+2)	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)	₹ 71.26		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	₹ 154.31		

ग. एमडी / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक के ब्यौरे	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			(₹ लाख में)
		सीईओ	सीएफओ*	कंपनी सचिव*	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज में लाभ	पहले ही तालिक में क्रम सं. ए में कवर किया जा चुका है।	₹ 70.79 (क+ख+ग)	₹ 50.54 (क+ख+ग)	₹ 121.33
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य , निर्दिष्टि करें...	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल		**₹ 70.79**	**₹ 50.54**	**₹ 121.33**

*अधिकारी की मूल कंपनी से प्राप्त वास्तविक डेबिट नोट्स के आधार पर

VII. जुर्माना / दंड / शमन शुल्क का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई जुर्माना / दंड / शमन शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दीजिए)
क. कंपनी					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ख. निदेशक					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	--	--	--	--	--
दंड	--	--	--	--	--
शमन	--	--	--	--	--

अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिर्जव्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

हमने **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (कंपनी) के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2019 के अनुसार इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के तुलन पत्र, लाभ और घाटे का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण और नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

हमारे मतानुसार व हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार से प्रदान की गई है जैसी कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षित है और यह दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के मामलों के लिए संशोधित ("इंड एएस") किए गए कंपनी नियम (भारतीय लेखांकन मानक) 2015 और भारत में सामान्यता स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के संदर्भ में हानि, इक्विटी में परिवर्तन और वर्ष के लिए समाप्त नकद प्रवाह का एक सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

विचारों का आधार

हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया गया। हमारे दायित्व उन मानकों के तहत लेखा परीक्षा के लिए हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण संबंधी खंड के पश्चात लेखा परीक्षक के दायित्व में उल्लिखित किए गए हैं।

हम उन प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके तहत निर्मित नियमों के तहत, वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार प्रासंगिक हैं, तथा हमने इन अनिवार्यताओं और आचार संहिता के अनुसार, अपने अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वाह किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमें अपनी विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रबंधन के दायित्व और वे जो एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संचालन व्यवस्था से प्रभारित हैं

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134 (5) के अंतर्गत उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और इंड एएस के अनुसार कंपनी के नकद प्रवाह और इस अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित सामान्यंता भारत में स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के प्रति एक सत्यनिष्ठ विवरण प्रदान करते हैं। इस दायित्व् के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को

रोकने और ज्ञात करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णयों और अनुमानों का निर्धारण करना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों, जो उन वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हों, और वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त होते हों, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, भी शामिल हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन, कंपनी को संस्थान के रूप में चालू रखने की क्षमता का आकलन करने, लागू प्रकटीकरण, चालू कंपनी से संबंधित मामले तथा चालू कंपनी से संबंधित लेखांकन के उपयोग के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने अथवा प्रचालनों को स्थगित करने के लिए अभिच्छित है अथवा उसके पास ऐसा करने से संदर्भित किसी प्रकार का वास्तविक विकल्प नहीं है परंतु उसे यह करना है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से संदर्भित लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य, इस संदर्भ में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जारी करने के लिए, जिसमें हमारा मत भी शामिल है वे पूर्णत्या वास्तविक रूप से मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे यह कथन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो। उचित आश्वासन का तात्पर्य उच्च स्तरीय आश्वासन से है, परंतु यह एक गारंटी नहीं है कि एसएज़ के अनुसार किए गए लेखा परीक्षण द्वारा इसमें सम्मिलित वास्तविक मिथ्यौकथन सदैव ज्ञात हो पाएगा, जो भी उसमें सम्मिलित हो। यह मिथ्याकथन, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें वास्तविक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से अथवा कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित रूप से अपेक्षित हों। इस लेखा परीक्षण रिपोर्ट के **"अनुलग्नक क"** का अवलोकन करें।

अन्य कानूनी और विनियामक अनिवार्यताओं से संबंधित रिपोर्ट

1 भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया गया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की अनिवार्यता के संदर्भ के आदेश में पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण को लागू सीमा तक हमने **"अनुलग्नक ख"** में संलग्न किया है।

2 अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, जैसा भी अनिवार्य है, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग व प्राप्त की हैं, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा–परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप से अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

(ग) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा–बहियों के अनुरूप है।

(घ) हमारी मतानुसार, उक्त वार्षिक वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2019 के अनुसार रिकार्ड में लिया गया था, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अपात्र नहीं हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में **'अनुलग्नक–ग'** में हमारी पृथक रिपोर्ट के संदर्भ लें।

(छ) संशोधित किए गए अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्कृष्ठा जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी किया गया भुगतान अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षण व लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्कृष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसारः

1 कंपनी द्वारा अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थितियों पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

2 कंपनी के व्युत्पन्न अनुबंधों सहित किसी भी प्रकार के दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिसके लिए किसी भी प्रकार के भौतिक पूर्वानुमान वाली हानियां हों।

3 कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने योग्य किसी प्रकार की राशि नहीं थी।

अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत सी एंड एजी के निर्देशानुसार, हम संसूचित करते हैं किः

क कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार के लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की व्यवस्था स्थापित है।

ख कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता, किसी भी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार / ऋणों / ब्याज आदि के लिए मौजूदा ऋण अथवा छूट के मामलों का समापन / हटाए जाने से संबंधित किसी प्रकार के कारण का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

ग केंद्रीय / राज्य संबंधी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशियों को उनकी शर्तों के अनुसार उचित प्रकार से लेखाबद्ध / उपयोग किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–क"

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों से संबंधित रिपोर्ट

एसएए के अनुसार एक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और संपूर्ण लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- वित्तीय विवरणों के वास्तविक मिथ्याकथनों के जोखिमों को पहचाननें और उनका आकलन करने, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं और निष्पादित करते हैं, और लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार के वास्तविक मिथ्याकथन को ज्ञात न कर सकने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुए जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अत्याधिकता शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों का संचालन करने की प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन पर आधारित चालू संस्थालन के प्रबंधन संबंधी उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर, क्या किसी भी प्रकार की वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा परिस्थितियों से संबंधित है जो कंपनी को एक चालू संस्थान के रूप में जारी रखने के लिए उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह प्रकट कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी प्रकार की वास्तिविक अनिश्चितता स्थित है अथवा यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए उस स्थिति में हमें वित्तीय विवरणों में अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाओं अथवा परिस्थितियों से कंपनी का एक चालू कंपनी बने रहना स्थगित हो सकता है।
- खुलासों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और वास्तविक मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाक्रमों को इस प्रकार से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।
- हम, संचालन से प्रभारित अन्य मामलों के संदर्भ में किसी भी प्रकार से आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण, जिन्हें हमने अपने लेखा परीक्षण के दौरान अभिज्ञात किया है सहित लेखापरीक्षा के लिए योजनाबद्ध गुंजाइश और समयावधि और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष के संदर्भ में सूचित करते हैं।

- हम स्वायत्तता से संदर्भित प्रासंगिक नैतिकतापूर्ण अनिवार्यताओं का अपने द्वारा अनुपालन करने के संदर्भ में संचालन द्वारा प्रभारित सहित एक विवरण भी प्रस्तुत करते हैं, उन सभी संबंधों व अन्य मुद्दों के बारे में सूचित करते हैं जिन्हें हमारी स्वायत्तता को वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए।
- संचालन द्वारा प्रभारित सहित संप्रेषित मुद्दों से, हम उन मामलों को सुनिर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षण में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकते हैं अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सूचनाओं द्वारा सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिकूल परिणाम यथोचित रूप से अपेक्षित हो जाएंगे।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24.06.2019

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–ख"

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक बी के संदर्भ में, हम निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं:

i क) कंपनी के संपूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति शामिल हैं।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी विचारानुसार, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की वास्तविक विसंगतियां नहीं प्राप्त हुईं।

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के नामांकन को कंपनी के नाम पर स्थापित किया गया है, केवल पादुर में 3.09 एकड़ भूमि के अतिरिक्त जिसका विलेख नामांकन कार्य निष्पादन लंबित है।

ii प्रबंधन द्वारा स्वतंत्र सत्यापनकर्ताओं के माध्यम से उचित अंतराल पर विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में, भारत सरकार और एडीएनओसी की ओर से न्यास धारित कच्चे तेल की मात्रा का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, क्रूड की प्रकृति और स्थान के संबंध में, भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

iii हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल कंपनी/फर्मों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv हमारे विचार से और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी प्रकार का ऋण, गारंटी, प्रतिभूति अथवा किसी प्रकार का निवेश नहीं किया है, जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता हो।

v हमारे विचार से और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा धारा 73 से 76 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सम्मिलित जनसामान्य की ओर से किसी प्रकार जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi हमारे विचार से और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप–खंड (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को कंपनी की किसी भी गतिविधि के लिए निर्धारित नहीं किया है।

vii क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखों और अभिलेखों की बहियों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी निर्विवाद वैधानिक देय राशि जिनमें आयकर, मूल्य वर्धित कर, कार्य अनुबंध कर, सेवा कर, उपकर, जीएसटी और किसी भी अन्य संवैधानिक देय राशि को उपयुक्त प्राधिकरण में जमा करने में सामान्यतः नियमित रही है।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार, आयकर, प्रवेश–कर और रॉयल्टी के निम्नलिखित बकाये विवाद के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं किए गए हैं।

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (लाख ₹ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	255.32	निधारण वर्ष 2013–14	सीआईटी (ए), दिल्ली
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	234.24	निधारण वर्ष 2016–17	सीआईटी (ए), दिल्ली
माल अधिनियम 1979 के प्रवेश पर कर्नाटक कर	एंट्री कर और ब्याज	44.80	वित्तीय वर्ष 2010–11	कर्नाटक उच्च न्यायालय
माल अधिनियम 1979 के प्रवेश पर कर्नाटक कर	एंट्री कर और ब्याज	137.65	वित्तीय वर्ष 2011–12	कर्नाटक उच्च न्यायालय
माल अधिनियम 1979 के प्रवेश पर कर्नाटक कर	एंट्री कर और ब्याज	93.32	वित्तीय वर्ष 2012–13	कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण, बंगलौर
आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियमावली 1996	रायल्टी	11794.95	31.03.2018 तक	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय आंध्र प्रदेश

viii हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी द्वारा सरकार के ऋण अथवा उधार की अदायगी में चूक नहीं की गई है। कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों से किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया है।

ix कंपनी द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा भावी सार्वजनिक पेशकश (देनदारी दस्तावेज़ सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से किसी प्रकार की धनराशि को नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए चूककर्ता के रूप में पैरा 3 का अनुच्छेद (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

x हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी अथवा उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को देखा अथवा सूचित नहीं पाया गया है।

xi हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड का हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर, कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान/अदायगी की गई है।

xii हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है; इसलिए आदेश के पैरा 3 के अनुच्छेद (xii) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों, जहां लागू होते हैं, का अनुपालन किया गया है और इस प्रकार के लेनदेनों के विवरण को, लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार प्रकट किया गया है।

xiv हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा शेयरों का किसी प्रकार से प्राथमिकतापूर्वक आवंटन अथवा निजी नियुक्ति अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीयता नहीं की गई है।

xv हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशक अथवा उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकदीयुक्त लेनदेन नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के पैरा 3 के अनुच्छेद (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अपने लेखा परीक्षण के साथ उस तारीख तक **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के मार्गदर्शक नोट के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जो कि कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक जानकारी के लिए अपेक्षित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध रूप में और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण से संबंधित दिशानिर्देश नोट तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है तथा इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी लेखा परीक्षण की सुनिश्चित सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्टानुसार माना है, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी लेखा परीक्षण पर लागू हैं, तथा ये दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और दिशानिर्देश नोट अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए नैतिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करें तथा लेखा परीक्षण को नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित व उनका रखरखाव किया गया था तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी वास्तविक आयामों के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित किया गया है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ज्ञान को प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जहां एक वास्तविक क्षीणता स्थित है, और यह मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक मिथ्या विवरण के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी भी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी भी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो :

1 अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण सहित, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक रूप में और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

2 उचित आश्वासन दें कि लेन–देन को सामान्यनता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने पर रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा

3 अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों के निवारण को समय पर ज्ञात करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें, जो वित्तीय विवरणों पर एक वास्तविक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन अनुचित नियंत्रण होने की संभावना सहित त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण वास्तविक मिथ्यकथन हो सकती हैं और जिन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, शर्तों में परिवर्तन अथवा नीतियों के अनुपालन की मात्रा अथवा प्रक्रियाएँ निरूपित होने के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

विचार

हमारे विचार से, कंपनी के सभी वास्तंविक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रूप से कार्यरत् रहे थे, यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश नोट में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचार में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों पर आधारित था।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

अनुलग्नक–ग

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों से संदर्भित भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 143 (6) (बी) के तहत टिप्पणियां

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष संबंधी वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा अपनी दिनांक 24 जून, 2019 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को किया गया निर्दिष्ट है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखा परीक्षण को संचालित किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण संवैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेज़ों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से संवैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक ही सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट की उचित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है:

लाभ और घाटे संबंधी विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन अनुसार (अप्रैल 2015), प्रारंभ की गई कैवर्नों संबंधी प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वहन किया जाना है। एचपीसीएल द्वारा भी विशाखापत्तनम में आरंभ की गई कैवर्न परियोजना के ओ एंड एम व्यय को आनुपातिक रूप से वहन करने पर सहमति व्यक्त की गई है। वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में आरंभ की गई कैवर्न पर ₹78.21 करोड़ का व्यय किया गया। भारत सरकार / एचपीसीएल द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल के लिए ₹58.95 करोड़ की राशि जारी की गई और शेष राशि ₹19.26 करोड़ की राशि को भारत सरकार / एचपीसीएल की ओर से प्राप्य दर्शाया गया है।

कंपनी द्वारा ₹19.26 करोड़ की राशि को बहियों में भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से प्राप्य राशि के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया था। ₹78.21 करोड़ के ओ एंड एम व्यय के व्यय किए जाने से संबंधित लेनदेनों और भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से ₹58.95 करोड़ की प्राप्ति से संबंधित लेनदेन को किसी प्रकार से लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(13) के साथ–साथ आईएसपीआरएल के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जिनके अनुसार किसी भी कंपनी द्वारा (i) प्राप्त और व्याय की गई सभी प्रकार की धनराशियां तथा वे मुद्दे जिनसे संबंधित प्राप्तियां और व्यय किए जाते हैं; (ii) कंपनी द्वारा माल और सेवाओं के सभी प्रकार के विक्रय एवं क्रय; (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विचार करती लेखा बहियों को तैयार करना आवश्यक होता है।

आईएसपीआरएल के वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताः–
रूप राशि
वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा महानिदेशक
और पदेन सदस्य लेखा–परीक्षा बोर्ड– की ओर ॥, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांकः 20 अगस्त, 2019

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों से संदर्भित भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 143 (6) (बी) के तहत टिप्पणियां

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष संबंधी वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा अपनी दिनांक 24 जून, 2019 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को किया गया निर्दिष्ट है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखा परीक्षण को संचालित किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण संवैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेज़ों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से संवैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक ही सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट की उचित जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है:

लेखा परीक्षण टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणी
लाभ तथा हानि का विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन अनुसार (अप्रैल 2015), प्रारंभ की गई कंदराओं संबंधी प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वहन किया जाना है। एचपीसीएल, विशाखापट्टनम की चालू परियोजना के लिए ओ एंड एम खर्चों को आनुपातिक रूप से वहन करने के लिए सहमत हो गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में आरंभ की गई कैवर्नों पर ₹78.21 करोड़ का व्यय किया गया। भारत सरकार/एचपीसीएल द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान आईएसपीआरएल के लिए ₹58.95 करोड़	यह नोट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित कुल प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय ₹78.21 करोड़ था, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (13) के अनुसार कंपनियों के लिए लागू लेखांकन व्यवस्थाा की उपचय प्रणाली के आधार पर प्राप्त हुआ है। इसमें से ₹58.95 करोड़ पहले ही भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से प्राप्त हो चुके हैं और ₹19.26 करोड़ की शेष राशि भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक खातों की टिप्पणी संख्या 8 के अनुसार वसूली योग्य/प्राप्य राशि के रूप में दर्शाई गई है।

लेखा परीक्षण टिप्पणी	प्रबंधन की टिप्पणी
की राशि जारी की गई और शेष राशि ₹19.26 करोड़ की राशि को भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से प्राप्य दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा ₹19.26 करोड़ की राशि को बहियों में भारत सरकार/एचपीसीएल की ओर से प्राप्य राशि के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया था। ₹78.21 करोड़ के ओ एंड एम व्यय के व्यय किए जाने से संबंधित लेनदेनों और भारत सरकार /एचपीसीएल की ओर से ₹58.95 करोड़ की प्राप्ति से संबंधित लेनदेन को किसी प्रकार से लेखाबद्ध नहीं किया गया है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(13) के साथ–साथ आईएसपीआरएल के परिसंधीय समझौते का उल्लंघन है, जिसके लिए इन पर विचार करने के लिए लेखा बहियों को तैयार करना आवश्यक होता है (i) किसी कंपनी द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गई सभी प्रकार की राशियां और वे सभी मामले जिनके संबंध में प्राप्तियां एवं व्यय किया जाता है; (ii) कंपनी द्वारा माल और सेवाओं की सभी प्रकार की बिक्रियां और क्रय; (iii) कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां। आईएसपीआरएल के वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी।	इसलिए, उपयुक्त व्याख्याओं के आलोक में, यह स्पष्ट है कि ₹58.95 करोड़ की राशि की संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप में लेखाबद्धता और चित्रण किया गया है। वर्तमान वितरण के अनुसार, ओ एंड एम व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से की जानी है। तथापि, एचपीसीएल ने आईएसपीआरएल और एचपीसीएल के बीच सहमति पद्धति के अनुसार विशाखापत्तनम परियोजना के संबंध में ओ एंड एम व्यय संबंधी अपनी पूर्ववर्ती हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति कर दी है। अतः आईएसपीआरएल का ओ एंड एम व्यय प्रकृति के अनुसार राजस्व तटस्थ है। इसलिए, आईएसपीआरएल के वित्तीय वर्ष 2018–19 संबंधी वार्षिक लेखों की टिप्पणी संख्या 17 में, किए गए ओ एंड एम व्यय और उनकी प्रतिपूर्ति को दोनों तरफ प्रविष्टि मद के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों के संदर्भ में सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया गया है और निर्दिष्ट सीमा तक वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों को संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार, सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों पर की गई टिप्पणियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों में विधिवत अनुपालन किया गया है।

अनुलग्नक–घ

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
समाप्त वित्तीय वर्ष 31.3.2019 के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110001

हमनें **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखा–परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा–परीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने **31 मार्च, 2019** को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका एवं एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय लागू नहीं
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय लागू नहीं
(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश :–
    (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011: लागू नहीं

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
समाप्त वित्तीय वर्ष 31.3.2019 के लिए

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110001

हमनें **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवालयीन लेखा–परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा–परीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि उसने हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया था।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने **31 मार्च, 2019** को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका एवं एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय लागू नहीं
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय लागू नहीं
(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश :–
    (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011: लागू नहीं

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर निषेध का प्रतिशेध) विनियम, 1992: लागू नहीं

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी के जारी करने हेतु, जरूरी प्रकटीकरण) विनियम, 2009 : लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999: लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीकरण) विनियम, 2008 : लागू नहीं

(च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993: लागू नहीं

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009: लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998: लागू नहीं

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जमाकर्ता और प्रतिभागी) विनियम, 1996:

(ञ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पंजीयक का निर्गम तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993:

(vi) अन्य लागू विधियां :

i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934; ii) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974; iii) तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948; iv) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

पर्यावरणीय कानून :

i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
iv) हानिकारक पदार्थ (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989

विविध विधियां :

i) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हम कंपनी द्वारा अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों और एजेंडा दस्तावेजों के माध्यम से बोर्ड को की गई रिपोर्टिंग पर भी निर्भर रहे हैं।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : लागू नहीं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. हमने कंपनी की कोई व्यापार और/अथवा वित्तीय लेखा–परीक्षा नहीं की है और कंपनी द्वारा उल्लिखित आंकड़ों को सही पाया माना गया है।

2. हमने कंपनी के विपणन, प्रचालन, तकनीकी सेवाओं, कर, वाणिज्य या वित्तीय एवं लेखांकन से संबंधित मामलों पर कोई मत व्यक्त, नहीं किया है।

3. हमने हमें मुहैया करवाए गए सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षरों, मौलिकता और पूर्णता की प्रामाणिकता को माना है और इसके अलावा जो मूल नहीं थे, उन्हें उनके तदानुरूपी मूल दस्तावेजों के अनुरूप माना है।

4. हमने सचिवालयीन रिकार्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा–परीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम मानते हैं कि अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाया है।

कृते एस एन अग्रवाल एण्ड कंपनी

हस्ता./–
(सत्य नारायण अग्रवाल)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या : 443
सीपी संख्या : 3581

स्थान : नोएडा
दिनांक : 24.04.2019

सत्यापित दस्तावेजों की सूची

1. संशोधित आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
2. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।
3. लेखा–परीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यवृत्त और साथ में संबंधित उपस्थिति रजिस्टर।
4. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।
5. सांविधिक रजिस्टर अर्थात
   - निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
   - अंतरणों का रजिस्टर
   - सदस्यों का रजिस्टर
6. बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों / सदस्यों को प्रस्तुत कार्य–सूची दस्तावेज।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं।
8. अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दायर किए गए सभी ई–फार्म और लेखा–परीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी संलग्नक।
9. मंगलौर स्थल हेतु 30.09.2022 तक प्रेशर वेसल में एलपीजी गैस के भंडारण हेतु लाइसेंस।
10. मंगलौर सुविधा हेतु 30.06.2021 तक वैध हेतु जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्रावों और वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उत्सवर्जनों के निपटान हेतु सहमति।
11. 26.04.2021 तक वैध मंगलौर में सुविधा हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
12. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन और 01.01.2018 से 31.12.2018 तक की अवधि के लिए अधिनियम के अंतर्गत दायर वार्षिक रिटर्न।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित ई–फॉर्म दाखिल किए हैं

क्रम संख्या	फार्म संख्या एसआरएन के साथ	फार्म भरने का उद्देश्य	भरने की तारीख
1	डीआईआर-12 एच48005730	निदेशक के कार्यकाल की अंतिम तिथि : श्री संजय सुधीर	23/03/2019
2	पीएएस-3 एच47483888	5,30,00,000 शेयरों का आवंटन	18/03/2019
3	एमजीटी-7 एच42821330	वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट	23/01/2019
4	एओसी-4 एक्सबीआरएल एच38114328	वित्त वर्ष 2017–18 की वित्तीय स्थिति का आरओसी के साथ दाखिल करना	29/12/2018
5	डीआईआर-12 एच35888882	निदेशकों का नियमितीकरण: श्री एम.एम कुट्टी, श्री डी.एन मिश्रा तथा श्रीमति किरन वासुदेवा	26/12/2018
6	डीआईआर-12 एच32887101	निदेशक के कार्यकाल की अंतिम तिथि: श्री आशीष चटर्जी निदेशक की नियुक्ति: श्री डी.एन. मिश्रा	13/12/2018
7	एमजीटी-14 एच32886079	आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति: मैसर्स सुनीता अग्रवाल एंड कंपनी	13/12/2018
8	एडीटी-1 एच32357501	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति: मैसर्स गोयल एंड गोयल (डीई0577)	11/12/2018
9	डीआईआर-12 एच14817050	निदेशक की नियुक्ति: श्रीमति किरन वासुदेवा	21/09/2018
10	जीएनएल-1 एच14404867	एजीएम के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए आरओसी के लिए आवेदन	19/09/2018
11	डीआईआर-12 एच00925727	निदेशक की नियुक्ति: श्री एम.एम. कुट्टी	16/08/2018
12	एमजीटी-14 एच00914788	वित्तीय विवरण की स्वीकृति वर्ष 2017–18 के लिए	16/08/2018
13	पीएएस-3 जी95734877	1,00,00,000 शेयरों का आवंटन	07/08/2018
14	डीआईआर-3 केवाईसी जी94604113	श्री एच.पी.एस आहुजा की निदेशक केवाईसी	31/07/2018
15	डीआईआर-12 जी94178233	निदेशक के कार्यकाल की अंतिम तिथि : श्री के.डी. त्रिपाठी	27/07/2018
16	डीआईआर-12 जी88890215	निदेशकों के कार्यकाल की अंतिम तिथि: श्रीमती संगीता गैरोला तथा श्री एस.बी. अग्निहोत्री	06/06/2018
17	पीएएस-3 जी88616313	43,10,000 शेयरों का आवंटन	02/06/2018

स्थान : नोएडा
दिनांक : 24.04.2019

वार्षिक लेखे
2018-19

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन–पत्र
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(I)	**परिसंपत्तियां**			
	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	3,35,244.59	1,77,796.75
	(ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.1	42.57	1,55,373.12
	(ग) अमूर्त परिसम्पत्ति	2.2	7,100.95	4,450.00
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	3	559.62	610.34
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4	210.67	136.03
	(ङ) आय कर परिसंपत्तियां (निवल)		139.38	118.83
	(च) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	12,180.15	12,710.51
	उप जोड़		**3,55,477.93**	**3,51,195.58**
(II)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकदी और नकदी तुल्य	6	8,909.57	1,967.85
	(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष राशि	7	41.47	179.31
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	1,948.78	2,381.21
	(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	9	583.30	509.64
	उप जोड़		**11,483.12**	**5,038.01**
	कुल		**3,66,961.05**	**3,56,233.59**
	इक्विटी और देयताएं			
(I)	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	3,74,837.47	3,68,106.47
	(ख) अन्य इक्विटी	11	(23,321.65)	(16,595.39)
(II)	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि		2,750.00	431.00
	उप जोड़		**3,54,265.82**	**3,51,942.08**
(III)	**देयताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	अन्य वित्तीय देयताएं	12	170.45	19.68
	उप जोड़		**170.45**	**19.68**
(IV)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(ii) देय व्यापार	13	4,947.36	1,961.71
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	7,090.34	2,164.38
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	15	487.08	145.74
	उप जोड़		**12,524.78**	**4,271.83**
	कुल		**3,66,961.05**	**3,56,233.59**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-25
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)	(एच.पी.एस. आहुजा)
निदेशक	सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 08389048	डीआईएन : 07793886
हस्ता./–	हस्ता./–
(गौतम सेन)	(अरूण तलवार)
मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2019 के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
ब्याज आय		119.91	21.98
अन्य आय	16	225.67	3.92
कुल आय		**345.58**	**25.90**
व्यय			
मूल्यह्रास		6,333.95	5,526.03
अन्य व्यय	17	728.31	496.54
कुल व्यय		7,062.26	6,022.57
कर पूर्व हानि		**(6,716.68)**	**(5,996.67)**
कर व्यय:			
वर्तमान कर		-	-
विलंबित कर		-	-
			-
वर्ष हेतु हानि		**(6,716.68)**	**(5,996.67)**
अन्य व्यापक आय		-	-
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (इसमें लाभ/(हानि) तथा वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय शामिल है)		**(6,716.68)**	**(5,996.67)**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (₹10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	17		
(i) मूलभूत		(0.18)	(0.17)
(ii) तनुकृत		(0.18)	(0.17)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-25
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां लाभ एवं हानि विवरण का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : 08389048

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 07793886

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**		
	कराधान से पहले शुद्ध लाभ	(6,716.68)	(5,996.67)
	समायोजन हेतु :		
	मूल्यह्रास	6,333.95	5,526.03
	ब्याज आय	(119.91)	(21.98)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**(502.64)**	**(492.62)**
	समायोजन हेतु :		
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	1,003.04	4,333.25
	देयताएं और प्रावधान में (वृद्धि)/कमी	8,384.45	(6,190.63)
	कार्यशील पूंजी में निवल (वृद्धि)/कमी	**9,387.49**	**(1,857.38)**
	संचालन से उत्पन्न नकदी	**8,884.85**	**(2,350.00)**
	प्रत्यक्ष कर भुगतान (नकद वापसी का निवल)	(20.55)	(11.78)
	प्रचालन क्रियाकलापों से कुल नकदी प्रवाह (क)	**8,864.30**	**(2,361.78)**
(ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह (करोड़)**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों /शीडब्ल्यूआईपी की खरीद	(8,451.23)	(3,332.18)
	वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय	-	-
	अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(2,650.95)	(4,450.00)
	प्राप्त ब्याज	119.91	21.98
	निवेश गतिविधियों मे उपयोग नकदी (ख)	**(10,982.27)**	**(7,760.20)**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (करोड़)**		
	शेयर पूंजी का निर्गत/शेयर आवेदन से प्राप्तियां	9,050.00	11,100.00
	अनुदान से प्राप्तियां	225.00	-
	ओआईडीबी को अनुदान का परिशोधन	(205.73)	-
	शेयर पूंजी इश्यु पर स्टाम्प शुल्क	(9.58)	(11.25)
	लघु अवधि के लिए ऋण	-	(746.71)
	वित्त पोषण से कुल नकदी प्रवाह (ग)	**9,059.69**	**10,342.04**
(घ)	**नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**6,941.72**	**220.06**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	**(1,967.85)**	**(1,747.79)**
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	**8,909.57**	**1,967.85**

हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : 08389048

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 07793886

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी — लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	3,68,106.47	3,57,437.47
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	6,731.00	10,699.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**3,74,837.47**	**3,68,106.47**

ख. अन्य इक्विटी — लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ में	(16,595.39)	(10,587.47)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(6,716.68)	(5,996.67)
जारी शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी	(9.58)	(11.25)
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शरूआत को शेष	**(23,321.65)**	**(16,595.39)**

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2019

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : 08389048

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 07793886

हस्ता./–
(गौतम सेन)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	वर्ष के दौरान वर्धन	निपटान/ कटौती/ अंतरण/ पुनः वर्गीकरण/ पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान/ कटौती/ अंतरण/ पुनः वर्गीकरण/ पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2019 को कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(क) भवन	9,544.41	8,239.07	558.47	18,341.95	1,486.26	355.68	(912.22)	929.72	17,412.23	8,058.15
(ख) सड़कें तथा पुलिया	1,375.27	1,790.03	-	3,165.30	601.51	295.65	(11.85)	885.31	2,279.99	773.76
(ग) संयंत्र और मशीनरी	70,192.38	57,325.63	(758.15)	1,26,759.86	5,397.69	3,561.14	550.27	9,509.10	1,17,250.76	64,794.69
(घ) कैवर्न	1,07,238.72	96,620.13	(514.65)	2,03,344.20	3,711.23	2,250.81	(18.09)	5,943.95	1,97,400.25	1,03,527.49
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	607.75	35.08	(513.85)	128.98	132.61	9.91	(107.47)	35.05	93.93	475.14
(च) परिवहन वाहन	61.92	69.49	-	131.41	16.68	9.77	-	26.45	104.96	45.24
(छ) कार्यालय उपकरण	278.13	26.36	120.43	424.92	155.11	77.68	14.91	247.70	177.22	123.02
(ज) कम्प्यूटर	432.47	430.50	353.25	1,216.22	433.21	231.77	25.99	690.97	525.25	(0.74)
कुल	**1,89,731.05**	**1,64,536.29**	**(754.50)**	**3,53,512.84**	**11,934.30**	**6,792.41**	**(458.46)**	**18,268.25**	**3,35,244.59**	**1,77,796.75**

विगत वर्ष

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान वर्धन	निपटान/ कटौती/ अंतरण/ पुनः वर्गीकरण/ पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2018 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान/ कटौती/ अंतरण/ पुनः वर्गीकरण/ पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2018 को कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
(क) भवन	9,544.41	-	-	9,544.41	827.39	658.87	-	1,486.26	8,058.15	8,717.02
(ख) सड़कें तथा पुलिया	1,375.27	-	-	1,375.27	356.28	245.23	-	601.51	773.76	1,018.99
(ग) संयंत्र और मशीनरी	70,192.38	-	-	70,192.38	2,897.60	2,500.09	-	5,397.69	64,794.69	67,294.78
(घ) कैवर्न	1,07,238.72	-	-	1,07,238.72	1,922.03	1,789.20	-	3,711.23	1,03,527.49	1,05,316.69
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	607.27	0.48	-	607.75	123.39	9.22	-	132.61	475.14	483.88
(च) परिवहन वाहन	61.92	-	-	61.92	9.33	7.35	-	16.68	45.24	52.59
(छ) कार्यालय उपकरण	224.60	53.53	-	278.13	85.58	69.53	-	155.11	123.02	139.02
(ज) कम्प्यूटर	421.16	11.31	-	432.47	186.67	246.54	-	433.21	(0.74)	234.49
कुल	**1,89,665.73**	**65.32**	**-**	**1,89,731.05**	**6,408.27**	**5,526.03**	**-**	**11,934.30**	**1,77,796.75**	**1,83,257.46**

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2.1 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

लाख ₹ में

विवरण		31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
चरण–I – विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभिक शेष जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	- 42.57 -	- - -
	शेष बकाया	**42.57**	**-**
– पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभिक शेष जोड़े : वर्ष के दौरान वर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत	1,55,373.12 9,221.65 (1,64,594.77)	1,50,106.27 5,266.85 -
	शेष बकाया	**-**	**1,55,373.12**
– मंगलौर कैवर्न परियोजना	प्रारंभिक शेष घटाएं : अमूर्त परिसंपत्तियों में स्थानांतरण (आरओयू)	- -	2,000.00 (2,000.00)
	शेष बकाया	**-**	**-**
कुल (प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य)		**42.57**	**1,55,373.12**

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2.2 : अमूर्त परिसंपत्तियां

लाख ₹ में

अमूर्त संपत्ति (पाइपलाइन के लिए आरओयू)

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
वर्ष की शुरुआत के रूप में सकल ब्लॉक	4,450.00	-
वर्ष के दौरान अन्य संपत्तियों से जोड़ / स्थानांतरण	2,650.95	4,450.00
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में सकल ब्लॉक	**7,100.95**	**4,450.00**
वर्ष की शुरुआत में अमूर्तकरण	-	-
वर्ष के दौरान अमूर्तकरण	-	-
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में अमूर्तकरण	-	-
निवल खंड	**7,100.95**	**4,450.00**

नोट:
पाइपलाइन के लिए आरओयू निरंतर आधार पर अधिग्रहित किया जाता है, इसलिए कोई अमूर्तकरण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 3 – ऋण		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए) सुरक्षा जमा	559.62	610.34
कुल	**559.62**	**610.34**

टिप्पणी सं. 4 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
प्रवेश कर की मांग के प्रतिकूल अग्रिम	210.67	136.03
कुल	**210.67**	**136.03**

टिप्पणी सं. 5 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(अप्रतिभूत अच्छे माने गए) आरओयू तथा अन्य आपूर्ति के प्रति अग्रिम पूर्व प्रदत्त किराया (पट्टाधारी भूमि हेतु)	- 12,180.15	2.25 12,708.26
कुल	**12,180.15**	**12,710.51**

टिप्पणी सं. 6 – नकदी और नकदी तुल्य		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
बैंक शेष : चालू खाते में सावधि जमा में (एक वर्ष के भीतर परिपक्वता) **नकद शेष :** हस्तगत नकदी	 5,403.51 3,505.86 0.20	 7.90 1,959.95 0.00
कुल	**8,909.57**	**1,967.85**

टिप्पणी सं. 7 – बैंक राशि उपरोक्त के अलग		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
सावधि जमा (बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार के तहत) (एक वर्ष के भीतर परिपक्वता)	41.47	179.31
कुल	**41.47**	**179.31**

टिप्पणी सं. 8 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए) भारत सरकार और/या एचपीसीएल से प्राप्त होने वाले ओ एण्ड एम व्यय नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम	1,925.80 22.98	2,332.57 48.64
कुल	**1,948.78**	**2,381.21**

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 9 – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(अप्रतिभूत अच्छे समझे गए)		
पूर्व प्रदत्त व्यय	-	0.33
शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रति अग्रिम	2.76	12.34
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	62.59	-
पूर्व प्रदत्त किराया (पट्टाधारी भूमि हेतु)	517.95	493.11
अन्य	-	3.86
कुल	**583.30**	**509.64**

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 10 – शेयर पूंजी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी (क) प्राधिकृत ₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,83,25,60,000	3,83,256.00	3,83,25,60,000	3,83,256.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,74,83,74,670	3,74,837.47	3,68,10,64,670	3,68,106.47

टिप्पणियां

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलानः

	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
प्रारंभिक शेष	3,68,10,64,670		3,57,43,74,670	
जारी किए गए शेयर	6,73,10,000		10,66,90,000	
पुनः खरीद किए गए शेयर	-		-	
अंतिम शेष	3,74,83,74,670		3,68,10,64,670	

(ii) 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %
₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामित	3,74,83,74,670	100%	3,68,10,64,670	100%
कुल	**3,74,83,74,670**	**100%**	**3,68,10,64,670**	**100%**

(iii) इक्विटी शेयरों से युक्त शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिनका प्रति मूल्य ₹ 10 प्रत्येक का है और एक शेयर पर एक मत दिया जा सकता है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। निगम के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, उनके द्वारा धारित इक्विटी की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(iv) तुलन पत्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों कर अवधि के लिए

(क) नकदी में भुगतान किए बिना भुगतान (अनुबंधों) के अनुसार पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ग) शेयरों और शेयरों के वर्ग की कुल संख्या वापस खरीदी गई।	शून्य

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 11 – अन्य इक्विटी		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
प्रतिधारित आय का शेष:		
पिछले वर्ष के लेखे से अग्रेनीत शेष	(16,595.39)	(10,587.47)
घटाएं : निर्गत शेयर पर स्टाम्प शुल्क	(9.58)	(11.25)
घटाएं : वर्ष हेतु हानि	(6,716.68)	(5,996.67)
घटाएं : निवल राशि फेस II	-	-
कुल	**(23,321.65)**	**(16,595.39)**

टिप्पणी सं. 12 – अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा/प्रतिधारण राशि	170.45	19.68
कुल	**170.45**	**19.68**

टिप्पणी सं. 13 – देय व्यापार		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	157.81	-
(ii) देय प्रपत्र पूंजीगत व्यय	2,258.14	716.20
(iii) अन्यों को देय	2,531.41	1,245.51
कुल	**4,947.36**	**1,961.71**

टिप्पणी सं. 14– अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
(परिशोधित लागत पर)		
एडनोक को देय	6,758.11	-
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा	332.23	2,164.38
कुल	**7,090.34**	**2,164.38**

टिप्पणी सं. 15 – अन्य वर्तमान देयताएं		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
सांविधिक देय	357.92	35.85
एचपीसीएल वाईजैग को देय	97.28	97.28
ओआईडीबी से अनुदान	19.27	-
अन्य	12.61	12.61
कुल	**487.08**	**145.74**

टिप्पणी सं. 16 – अन्य आय		
लाभ तथा हानि खाते में अन्य आय		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
अन्य आय		
ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन (फेस II)	205.73	-
दंड प्रभार	-	1.43
परिसमापन क्षतिपूर्ति	11.98	2.49
आयकर रिफंड पर ब्याज	5.59	-
पूर्व अवधि समायोजन	2.37	-
कुल	**225.67**	**3.92**

टिप्पणी सं. 17 – अन्य व्यय		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
ओएंडएम व्यय		
क) श्रमशक्ति व्यय (परियोजना स्थल)	2,844.63	1,341.42
ख) विद्युत व्यय	1,050.12	867.26
ग) बीमा व्यय	1,593.00	923.61
घ) उपभोग व्यय	377.53	185.38
ङ) मंगलौर विशेष आर्थिक क्षेत्र ओएंडएम खर्च	458.20	-
च) अन्य व्यय	1,497.84	1,007.84
कुल	7,821.32	4,325.51
घटाएं :– भारत सरकार तथा एचपीसीएल से प्राप्त	7,821.32	4,325.51
निवल ओ एवं एम व्यय	-	-
पट्टे का किराया (पट्टे की भूमि)	522.58	493.11
फेस II का डीएफआर व्यय	205.73	-
कार्यालय व्यय	-	3.43
कुल	**728.31**	**496.54**

टिप्पणी सं. 18 – भारतीय लेखांकन मानक – 33 के अंतर्गत ईपीएस का प्रकटीकरण			लाख ₹ में
टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रति शेयर अर्जन		
(i)	आधारभूत		
	इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(6,716.68)	(5,996.67)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	3,69,73,26,615	3,62,40,14,232
	प्रति शेयर सम मूल्य	10.00	10.00
	जारी प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – आधारभूत	(0.18)	(0.17)
(ii)	तनुकृत		
	इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(6,716.68)	(5,996.67)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या – तनुकृत हेतु	3,72,48,26,616	3,62,83,24,232
	प्रति शेयर सम मूल्य	10.00	10.00
	जारी प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.18)	(0.17)

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 19 – प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिताएं

19.1 पट्टे
प्रचालन पट्टा – पट्टाधारी के रूप में

(i) संबंधित पट्टा अनुबंधों में बताए गए अनुसार पट्टा किरायों को लाभ एवं हानि विवरण को और अधिकतम बाध्यताओं को देय दीर्घावधि गैर–निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों पर प्रभारित किया जाता है।

लाख ₹ में

(ii)	गैर–निरस्तीकरण योग्य प्रचालन पट्टों हेतु पट्टा किराया	31–मार्च–2019	31–मार्च–2018
	अवधि के दौरान मान्यता प्रदान किए गए पट्टा किराए	55.84	49.90
	भावी पट्टा दायित्वों		
	– एक वर्ष के भीतर	44.85	44.85
	– एक वर्ष के पश्चात किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	179.41	179.41
	– पांच वर्ष से अधिक	1,538.62	1,583.47

19.2 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न की गई सीमा तक)
विवरण

(क) आकस्किम देयताएं

कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है मूल्य ₹99955.39 लाख (2018: ₹102853.95 लाख) की तुलना में
क) आयकर की विवादित मांग ₹489.56 लाख (2018: ₹475.41 लाख)
ख) खान और प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा रॉयल्टी की विवादित मांग ₹11794.95 लाख (2018: ₹11794.95 लाख)
ग) ₹86,997 लाख के लिए ठेकेदारों द्वारा विवादित दावे लाख (2018: ₹86997 लाख) विभिन्न साइटों पर किए गए परियोजनाओं के कारण ईआईएल द्वारा अस्वीकार कर दिया है, जिसके लिए मामले मध्यस्थों के साथ लंबित हैं
घ) एमएसईजेड द्वारा आरओयू के उपयोग के लिए विवादित दावे। ₹शून्य लाख (2018: ₹2700 लाख)
ङ) सीएसटी प्रतिपूर्ति और ग्रीन बेल्ट की विवादित मांग ₹611 लाख (2018: ₹611 लाख)
च) प्रवेश कर की विवादित मांग ₹275.77 लाख (2018: ₹276 लाख)
च) ओएंडएम गलियारे का देय शुल्क एमएसईजेड को ₹208.82 लाख (2018: ₹शून्य)
च) आईटीबीपी की सुरक्षा सेवाओं के लिए वाईजेग में मांग ₹2583 लाख (2018: ₹शून्य)

(ख) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष होने वाली सभी प्रमुख चालू संविदाओं की अनुमनित राशि ₹119.2 लाख (2018: ₹7369लाख) जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 20 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	
संबंधित पक्षों के ब्यौरे:	
संबंध का विवरण	संबंधित पक्षों का नाम
धारक संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) ने कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	(1) श्री एच.पी.एस. आहुजा, सीईओ एवं एमडी (2) श्री गौतम सेन, सीएफओ, (3) श्री अरूण तलवार, कंपनी सचिव **निदेशक मंडल (पद के अनुसार)** श्री के.डी. त्रिपाठी, अध्यक्ष (30.06.2018 तक) श्री एम.एम.कुट्टी, अध्यक्ष (18.07.2018 से) श्री राजीव बंसल, निदेशक श्री संजय सुधीर, निदेशक (21.02.2019 तक) श्री आशीष चटर्जी, निदेशक (14.11.2018 तक) श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (14.11.2018 से) श्रीमती किरन वासुदेवा, निदेशक (31.08.2018 से)

निम्नलिखित लेनदेन संबंधित पक्षों के साथ किये गये थे: (लाख ₹ में)

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	केएमपी पारिश्रमिक (संबंधित मूल कंपनी से प्राप्त डेबिट नोट के आधार पर)		
	सीईओ एवं एमडी	71.26	61.71
	सीएफओ	70.79	35.60
	सीएस	50.54	41.63
	कुल	**192.59**	**138.94**
(ii)	नियंत्रक कपंनी (ओआईडीबी)		
	शेयरों का आवंटन/शेयर आवेदन राशि	9,050.00	11,100
	ऋण भुगतान	-	162.48
	ओआईडीबी के व्यय की प्रतिपूर्ति	50.54	33.85
	फेस II के खर्चों के लिए अनुदान	225.00	-
	कुल	**9,325.54**	**11,296.33**
(iii)	स्वतंत्र निदेशक की बैठक शुल्क	-	4.14
	कुल योग (i) + (ii)+(iii)	**9,743.13**	**11,439.41**

संबंधित पार्टियों के साथ बकाया राशि (लाख ₹ में)

		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	नियंत्रक कपंनी (ओआईडीबी)		
	शेयर आवेदन लंबित आबंटन	2,750.00	431.00
	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए ओआईडीबी को देय	22.77	-
	कुल	**2,772.77**	**431.00**

	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड **वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां** **टिप्पणी सं. 21 – खंड रिपोर्टिंग**
1.	कंपनी भारत सरकार के संप्रभुत्व वाले खनिज तेल भंडारों हेतु भंडारण परिसंपत्तियों के निर्माण तथा ऐसी परिसंपत्तियों का रखरखाव भी करती है, इसे एकल प्राथमिक खंड माना जाता है।
2.	भौगोलिक सूचना लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत के भीतर है।
	टिप्पणी सं. 22 – वित्तीय उपकरणों
	श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरणों
1.	प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों, देय व्यापार, अल्पावधि ऋण और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य का आकलन उनकी वहन राशि के लगभग पर किया जाता है।
2.	वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं के उचित मूल्य को उस राशि में शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को इच्छुक पक्षों के मध्य किसी वर्तमान संव्यवहार में आदान–प्रदान किया जाता है, सिवाय किसी बाध्यकारी या परिसमापन बिक्री के।
3.	उचित मूल्य स्तर के संबंध में उक्त प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

टिप्पणी सं. 23 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

1. वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के क्रिया–कलाप इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में लाते हैं : बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा चल निधि जोखिम। कंपनी का प्राथमिक फोकस वित्तीय बाजारों की अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाना और इसके वित्तीय निष्पादन पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना है। कंपनी का प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है।

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य प्राप्य और सुरक्षा जमा शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्त–पोषण है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और नकदी/नकदी तुल्य शामिल है जो सीधे प्रचालनों से निकलते हैं।

वर्तमान में कंपनी इसके प्राकृतिक व्यापार संपर्क तथा साथ ही साथ ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम सहित वित्तीय लिखतों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी वित्तीय जोखिम के संपर्क में नहीं है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी हेतु उचित वित्तीय जोखिम शासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करता है।

2. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। बाजार मूल्यों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण तथा उधार, जमा, निवेश, तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। वर्तमान में कंपनी के वित्तीय लिखत किसी भौतिक बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

3. ऋण जोखिम

ग्राहक के ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यापार इकाई द्वारा ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रण के अधीन किया जाता है। किसी ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन व्यापक विश्लेषण पर आधारित होता है और बकाया ग्राहक देयों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है।

चल निधि जोखिम

कंपनी निधियों की कमी के अपने जोखिम की निगरानी ध्यानपूर्वक करती है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकता का प्रबंधन धारक कंपनी से अल्पावधि ऋणों पर पहुंच बनाए रखते हुए करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2019 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4–7 वर्ष	कुल
ऋण	-	-	-	-	-
देय व्यापार	4,947.36	-	-	-	4,947.36
अन्य वित्तीय देयताएं	7,090.34	170.45	-	-	7,260.79
कुल	**12,037.70**	**170.45**	**-**	**-**	**12,208.15**

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2018 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4–7 वर्ष	कुल
ऋण	-	-	-	-	-
देय व्यापार	1,961.71	-	-	-	1,961.71
अन्य वित्तीय देयताएं	2,164.38	19.68	-	-	2,184.06
कुल	**4,126.09**	**19.68**	**-**	**-**	**4,145.77**

टिप्पणी सं. 24 पूंजीगत प्रबंधन

कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों को आरोप्य सभी अन्य इक्विटी आरक्षित शामिल होते हैं। कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है।

31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्षों के दौरान पूंजी के प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 25 – अन्य टिप्पणियां

25 अन्य टिप्पणियां

(i) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रथम चरण के तहत सभी तीनों कैवर्नों से संबंधित प्रमुख निर्माण गतिविधियाँ हुई हैं जिनका कार्य संपन्न हो गया है। 15.12.2018 को पादुर में यह सुविधा आरंभ कर दिया गया है।

(ii) सामरिक प्रयोजन के लिए विशाखापट्टनम कैवर्न ए और मैंगलौर कैवर्न बी में संप्रभु क्रूड ऑयल भंडारण को धरा गया है। विशाखापत्तनम में कैवर्न बी का उपयोग एचपीसीएल द्वारा इसके प्रचालन के लिए किया जाता है और इसमें रखा गया क्रूड पूर्णतया एचपीसीएल की संपत्ति है, मैंगलोर स्थित कैवर्न ए को एडनॉक के साथ हुए समझौते के तहत कच्चे तेल के साथ नियत किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान क्रूड ऑयल को एडनॉक द्वारा भंडारण हेतु भर दिया गया है। पादुर कैवर्न को आरंभ करने के कार्य को संपन्न करने के लिए 6,23,633 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को मंगलौर कैवर्न बी से पादुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। कच्चे तेल से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं।

विवरण	कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख ₹ में)
दिनांक 31 मार्च, 2019 तक संचित कुल मात्रा (लैडिंग बिल के अनुसार) – जीओआई कच्चा तेल	1,972,229.01	480,942.43
दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार धारित कुल मात्रा – जीओआई कच्चा तेल	1,947,211.00	-
एडीएनओसी कच्चा तेल	755,577.00	-
दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार धारित कुल मात्रा – एडीएनओसी कच्चा तेल	728,846.84	-

(iii) दिनांक 31.03.2019 को प्राप्त हुए कच्चे तेल की मात्रा और स्टॉक में अंतर बेकार माल / आरंभन क्षति है और बोर्ड की राय में स्वीकार्य सीमा के भीतर होना है।

वर्ष के दौरान रोड शो कार्यक्रम का आयोजन, चंडीखोल (4 एमएमटी) तथा पादुर में द्वितीय चरण (2.5 एमएमटी), कैवर्न का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ साथ पीपीपी मॉडल के तहत पादुर में कैवर्न में कच्चे तेल को भरने के लिए किया गया था। 31/03/2019 तक द्वितीय चरण का कुल व्यय – ₹205.73 लाख (रोड शो कार्यक्रम सहित) है जिसका ₹225 लाख व्यय द्वितीय चरण के लिए ओआईडीबी द्वारा ग्रांट के रूप में स्वीकृत किया गया है।

(iv) मैंगलोर में द्वितीय खंड के लिए, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ तेल भंडारण और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार, 1,20,000 अमरीकी बैरल (15831 मीट्रिक टन) का भुगतान एडनॉक को डेड स्टॉक हानि/कमीशनिंग हानि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। वही अनुमानित रूप से 7000 लाख रुपए है। इस राशि को भारत सरकार की ओर से प्राप्त किया गया है, परंतु अभी तक एडनॉक के लंबित दावों के लिए उन्हें संवितरित किया जाना है। इसे अन्य वित्तीय देनदारियों के रूप में समूहीकृत किया गया है।

(v) दिनांक 31 मार्च, 2019 तक, कंपनी का दिन के दैनिक कार्य विभिन्न तेल कंपनियों से लिए गए 16 कर्मियों द्वारा संभाला जाता है और उनके अवकाश वेतन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की उनकी मूल कंपनियों की ओर से प्राप्त दावे पर आनुपातिक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। कंपनी के पास प्रोबेशन पर केवल एक कर्मचारी है। कर्मचारियों के भत्तों और अनुलाभ की नीतियां निर्माणाधीन हैं।

(vi) अन्य कंपनियों जिनमें कोई भी निदेशक एक निदेशक अथवा सदस्य है की ओर से राशि प्राप्त किए जाने योग्य मूल्य हेतु नकद अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम शून्य रुपए है (पिछले वर्ष – शून्य रुपए)।

(vii) कंपनी ने चालू पूंजीगत कार्यों से अर्जित ब्याज के लिए शून्य रुपए (पिछले वर्ष ₹87.07 लाख) को समायोजित किया है।

(viii) मैंगलोर एवं पादुर से चट्टानों की खुदाई कर स्थलों पर रखा गया है। उसके मूल्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जैसे और जब भी किसी भी प्राप्ति से इनके निपटान किए जाते हैं, उन्हें उपयुक्त रूप से लेखाबद्ध किया जाएगा।

(ix) वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ओ एंड एम व्ययों के लेखों पर ₹7821.32 लाख का व्यय किया गया था, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार तथा / अथवा एचपीसीएल द्वारा किया गया है। इसमें से ₹5199.92 लाख की राशि को वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है और शेष ₹2621.4 लाख की राशि दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार / एचपीसीएल की ओर लंबित है।

(x)	<u>विलंबित कर</u> कर योग्य आय आय के अभाव में आयकर के किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, आस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की यथोचित सुनिश्चितता नहीं है कि भावी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी जिसके लिए प्राप्य इस प्रकार के आस्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सकता है।
(xi)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि को दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) के रूप में ₹157.81 लाख तक निर्धारित किया गया था इस प्रकार के पक्षकारों की पहचान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 जो 2 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ था के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है।
(xii)	विक्रेताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं की ओर देय / वसूली योग्य राशि पुष्टि, सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो।
(xiii)	सभी उपभोग्य सामग्रियों / भण्डारणों / कलपुर्जों को खरीद के समय ओ एंड एम व्यय में बुक किया जाता है।
(xiv)	मैंगलोर एसईजेड से चट्टानों को हटाने पर रॉयल्टी का भुगतान को एमएसईजेडएल / इन्हें हटाने के लिए नियुक्त संविदाकार द्वारा वहन किया जाना है।
(xv)	आईटीबीपी द्वारा इन स्थलों की उनके द्वारा प्रदान की जा रही सुरक्षा से संबंधित राशि को दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के लिए ₹2583 लाख तक मांग को बढ़ा दिया है। कंपनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाया है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण लंबित है। खातों में इसके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, परन्तु इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।
(xvi)	जैसा कि लेखा परीक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए व्यय से संबंधित लाभ और हानि विवरण को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के तहत आवश्यक है (कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। में दिए अनुसार) और अन्य मदें इस प्रकार हैं:

	वित्तीय वर्ष 2018–19 (लाख रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (लाख रुपए में)
<u>संवैधानिक लेखा परीक्षक को भुगतान</u>		
लेखा परीक्षण शुल्क (जीएसटी सहित)	1.77	1.77
तुरंत देय व्यय	0.10	0.09
<u>आंतरिक लेखा परीक्षक को भुगतान</u>		
लेखा परीक्षण शुल्क (जीएसटी सहित)	0.48	0.52
अन्य सेवाएं	शून्य	0.03
<u>सचिवीय लेखा परीक्षक को भुगतान</u>		
लेखा – परीक्षण शुल्क	0.25	0.36

(xvii)	कंपनी द्वारा पादुर में 179.2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसमें से पादुर में 176.11 एकड़ भूमि को आईएसपीआरएल के नाम से पंजीकृत किया गया है, पादुर में शेष 3.09 एकड़ भूमि अभी कंपनी के नाम पर पंजीकृत होना शेष है।
(xviii)	तुलन पत्र के अनुसार आज की स्थिति के अनुसार आवंटन के लिए लंबित शेयरों को 4 मई, 2018 को आवंटित कर दिया गया है।
(xix)	पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के अनुरूप पुनर्संरचित / पुनर्गठित किया गया है, जहां कहीं भी वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के लिए यह आवश्यक है।
(xx)	दिनांक 24.06.2019 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. कारपोरेट सूचना

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी) ओआईडीबी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा सरकारी कंपनी अधिवासित और भारत में अधिनिगमित है। जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001 पर तथा प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय ओआईडीबी भवन, तीसरा तल, प्लॉट नं. 2, सेक्टर–73, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में है। कंपनी गैर–सूचीबद्ध है क्योंकि इसके शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है तथा उनका कारोबार नहीं किया जाता है।

कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. भारत सरकार के खनिज तेल के संप्रभुत्व वाले भंडारों या भारत सरकार द्वारा तय ऐसे किसी अन्य निकाय के खनिज तेल का भंडारण, जो निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन है:
   - केवर्नों से महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले भंडारों को निकालना तथा इनका पुनः भराव सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से किया जाएगा।
   - बशर्ते भारत सरकार के महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले भंडारों को गुणवत्ता आवश्यकता अथवा मरम्मत तथा रखरखाव के कारण खनिज तेल के परिचालन हेतु भी निकाला जा सकता है।
2. भण्डारण, हैंडलिंग, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, ब्रोकर तथा एजेंट, अभियांत्रिकी तथा सिविल डिजाइनरों, संविदाकारों, वारफ रिंगर, भण्डारगार गृह, उत्पादक तेल तथा तेल उत्पादों के डीलर गैस तथा गैस उत्पादों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के द्रव्यों और यौगिकों के प्रकार, व्युत्पन्न सामग्रियों, मिश्रणों, तत्संबंधी तैयार किए गए उत्पादों एवं अन्य उत्पादों के व्यापार को करना है।

1क : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित इंड एएस के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इनका अनुपालन करते हैं कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सभी भौतिक पहलू हैं।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किये गए हैं और सभी मूल्यों को केवल निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय अन्यथा निर्दिष्ट किए हुए के।

1.2 राजस्व मान्यता

i. ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ii. बीमा दावों को दावे के निपटान पर लेखांकित किया जाता है।

1.3 संपति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कम संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटा कर लागत पर बताया गया है। अचल परिसंपत्तियों की लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग की कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है।

ii. अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि जब यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और ऐसी परिसंपत्तियों की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत घटा संचित परिशोधन पर प्राप्त किया जाता है।

iii. पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को लागत पर वहन किया जाता है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार राजस्व व्यय पूंजीकृत होते हैं।

1.4 मूल्यह्रास तथा परिशोधन

i. मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है। सिवाय भूमिगत कैवर्न के जिसका उपयोगी स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष माना गया है।

ii. पृथक रूप से ₹5,000/– तक की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है।

iii. अनिश्चितकालीन जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) को अमूर्त नहीं किया जाता है, लेकिन नकद उत्पन्न करने वाले इकाई स्तर पर सालाना हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चितकालीन जीवन का आकलन सालाना समीक्षा करने के लिए किया जाता है यह निर्धारित करने के लिए कि अनिश्चितकालीन जीवन सहायक है या नहीं। यदि नहीं, तो अनंत जीवन से परिमित तक उपयोगी जीवन में परिवर्तन संभावित आधार पर किया जाता है।

1.5 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधन आवधिक रूप से बाहरी तथा आंतरिक स्रोतों का आकलन करके यह देखता है कि इसका कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब उत्पन्न होती है जब वहन मूल्य, वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है और परिसंपत्ति के सतत उपयोग तथा इसके अंततः निपटान से भविष्य के नकदी प्रवाह में वृद्धि होने की प्रत्याशा होती है। व्यय की जाने वाली क्षति हानि का निर्धारण परिसंपत्तियों के निवल बिक्री मूल्य तथा उपर्युक्तानुसार निर्धारित वर्तमान मूल्य से ऊपर वहन मूल्य के आधिक्य पर किया जाता है। किसी क्षति हानि को वसूली योग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमान में परिवर्तन होने पर वापिस कर दिया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक दर्ज किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहन लागत, उस वहन लागत से अधिक नहीं होती है जिसका निर्धारण मूल्यह्रास तथा परिशोधन के निवल हेतु किया जाता, यदि किसी क्षति हानि को मान्यता नहीं दी जाती।

1.6 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ii. विदेशी मुद्रा में लेनदेन को शुरूआत में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार दर्ज किया जाता है।

iii. मौद्रिक संपत्ति एवं विदेशी मुद्राओं के देनदारियों को नियति तारीख पर विनिमय की कार्यात्क मुद्राओं के समापन दर पर लेनदेन किया जाता है।

iv. गैर–मौद्रिक वस्तु जो विदेश में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में लाया जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

v. परिवर्तनीयता अथवा निपटान की स्थिति की विनिमय दरों में मतभेदों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ अथवा घाटे को लाभ–घाटा विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है।

1.7 वित्तीय लिखत

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रांरभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्रांरभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(iii) वि–मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाए अथवा ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरिक कर दिया जाए तथा ऐसे अंतरण विमान्यकरण हेतु अर्हक होते है।

वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है। जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन किया जाता या यह समाप्त हो जाती है।

1.8 आय पर कर

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को समय अंतरों के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। स्थगित कर संपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों का उपयोग किया जा सकता है।

1.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को लाभ या हानि में एक व्यवस्थिति आधार पर उस अवधि में मान्यता प्राप्त होगी जिसमें इकाई को संबंधित लागत को खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का दावा रखता है।

1.10 पट्टे

i. **प्रचालन पट्टे पर परिसंपत्तियां** – पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां, जहां किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के संबंध में सभी जोखिम तथा प्रतिफल पट्टादाता में निहित हो, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा भुगतानों को संबंधित पट्टा व्यवस्थाओं के निबंधनों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ii. **वित्तीय पट्टे पर परिसंपत्तियां** – वित्तीय पट्टों को पट्टे के प्रारंभ होने पर पट्टे पर ली गई संपत्ति के प्रारंभिक तिथि के उचित मूल्य अथवा, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टा देयता में कटौती के मध्य विनियोजित किया जाता है ताकि देयता की शेष अवधि पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके। वित्तीय प्रभारों को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों में वित्त प्रभार के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे अर्हक परिसंपत्तियों को सीधे आरोप्य न हो, और ऐसे मामले में उन्हें इंड एएस–23 के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

1.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्य देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहिरप्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके।

जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया गया है जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है।

1.12 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

1ख : जारी मानक जो अभी भी प्रभावी नहीं हैं

कॉरपोरेट मामला मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2019 की अपनी अधिसूचना में मौजूदा इंड एस के संदर्भ में इंड एस – 116 पट्टे व अन्य संशोधनों को अधिसूचित किया गया। इन संशोधनों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी के लिए लागू किया गया।

उपर्युक्त मानक और संशोधनों के अनुप्रयोग द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों का किसी प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होना अपेक्षित नहीं है।

अध्याय
10

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा–6 बोर्ड के कृत्य

6(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात् :–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (V) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना;

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य आसीमित संदायों की, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी;

ड़) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्तियों के भाग रूप रखे रहना;

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिबेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में, केन्द्रीय सरकार के या उसके अनुमोदन से, ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना;

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है:

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल शेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारकरण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन,

(ध) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ङ) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बातें कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुवांशिक या पारिणामिक हों।

परिशिष्ट–2

वित्त लेखा, और संपरीक्षा
तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15

15(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल शेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई दर में अनाधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदगृहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (20 प्रतिशत यथा मूल्य दिनांक 1.3.2016 से)।

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादक करता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा 9(1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदगृहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदगृहणीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के लिए उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास)अधिनियम, 1974 की धारा – 16
शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

16. धारा–15 के अधीन उदगृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चों की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17–
केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

17. केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

18. (1) तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात्

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(घ) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः–

क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(घ) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।

तंउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत सरकार

देश में तेल उघोग के विकास हेतु प्रतिबद्ध संस्थान

पंजीकृत कार्यालयः
301, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–11001

कॉर्पोरेट कार्यालयः
ओआईडीबी भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नोएडा–201301 उ.प्र.

Jaina Offset Printers: 9873149889, 9811269844